लोक-सभा
वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २६, १९५९/१८८१ (शक)

[६ अप्रैल से २० अप्रैल, १९५९/ १६ चैत्र से ३० चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सातवां सत्र १९५९/१८८१ (शक)
(खण्ड २९ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

79 (Ai) LSD—9.

विषय-सूची

पृष्ठ

[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ४१ से ५०—६ अप्रैल से २० अप्रैल १६५६/१६ चैत्र से ३० चैत्र १८८१ (शाक)]

अंक ४१ सोमवार, ६ अप्रैल, १६५६/१६ चैत्र १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६५ से १६६८, १६७०, १६७१, १६७४, १६७५ और १६७८ से १६८३ . . ४७६३—४८१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६६, १६७२, १६७३, १६७६, १६७७ और १६८४ से १६६० . . . ४८१७—२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०८ से २७६१ ४८२३—४२

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४८४३

लोक-लेखा समिति—

बारहवां प्रतिवेदन. ४८४३

याचिकायें ४३४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नहरी पानी के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान अन्तरिम करार. ४८४३—४४

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर की शुद्धि ४८४५

अनुदानों की मांगें—

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४८४५—६७

दैनिक संक्षेपिका. . . . . . ४७६८—४६०२

अंक ४२, मंगलवार, ७ अप्रैल, १६५६/१७ चैत्र, १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६३, १६६६ से १७०१, १७०३, १७०७, १७११ से १७१५ और १७१८ से १७२० ४६०३—२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६१, १६६२, १६६४, १६६५, १७०२, १७०४ से १७०६, १७०८ से १७१०, १७१६ और १७१७ ४६२५–३०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६२ से २८०६ और २८११ से २८१४ . . . ४९३०—५०

स्थगन प्रस्ताव

दलाई लामा के भारत पहुंचने के समाचार की नई दिल्ली से पहले पीकिंग द्वारा घोषणा ४९५०–५१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ४९५१–५२

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही-सारांश . . ४९५२

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ के उत्तर की शुद्धि . . ४९५३

अनुदानों की मांगें . . . . ४९५३—५७, ४९५८—५०२०

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ४९५३—५७, ४९५ —५०२०

सभा का कार्य ४९५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५०२१—२५

अंक ४३, बुधवार, ८ अप्रैल, १९५९/१८ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ से १७२६, १७२८ से १७३२, १७३४, १७३५, १७३७ से १७३९ और १७४१ से १७४३ . . ५०२७—५३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ . . ५०५३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२७, १७३३, १७३६, १७४० और १७४४ से १७४८ . . . . . . ५०५५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या २८१५ से २८६७ . . ५०५९—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५०८३

अनुदानों की मांगें . . . . . ५०८३—५१३५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५० ३—५१०३

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ५१०४—३५

दैनिक संक्षेपिका . . . ५१३६—३९

अंक ४४, बृहस्पतिवार, ९ अप्रैल, १९५९/१९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५४, १७५६ से १७६२, १७६४, १७६६, १७६७, १७६९ से १७७१, १७७३ और १७६५ ५१४१—६७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७५५, १७६३, १७६८ और १७७२ . ५१८७–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६८ से २९१७ . ५१६८—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . ५१९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५१९१

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर की शुद्धि ५१९१

विधेयक पर राय ५१९१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन ५१९२

प्राक्कलन समिति

पचासवां प्रतिवेदन . . . ५१९२

अनुदानों की मांगें . . . ५१९२—५२४६

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ५१९२—५२३०

पुनर्वास मंत्रालय ५२३०—४६

दैनिक संक्षेपिका ५२४७—५०

अंक ४५, शनिवार, ११ अप्रैल, १९५९/२१ चैत्र, १८८१ (श.क.)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ५२५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ से १७७६, १७७८, १७७९, १७८१, १७८३ से १७८५, १७८७, १७८८, १७९० से १७९३, १७९५, १७९६, १७९८, १८०० और १८०१, १७८२ ५२५१—७५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ . ५२७६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८०, १७८६, १७८९, १७९४, १७९७ और १७९९ . . . ५२७७—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९१८ से २९३० और २९३२ से २९६६ ५२७९—९७

स्थगन प्रस्ताव . ५२९७—९८

सभा-पटल् पर रखा गया पत्र . ५२९८

सभा का कार्य ५२९८–९९

सरकारी भाषा के सम्बन्ध में संसद् की समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . . ५२९९

अनुदानों की मांगें . . . . ५२९९—५३३५

पृष्ठ

पुनर्वास मंत्रालय . . . ५२६६—५३२८

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५३२८—३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन ५३३५

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कदाचार की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . ५३३५—४३

बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प . . ५३४३—४७, ५३५०—५२

पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के एक विमान को गोली मार कर गिरा देने के बारे में वक्तव्य ५३४७—५०

दैनिक संक्षेपिका ५३५३—५७

अंक ४६, मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५९/२४ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०२ से १८०६, १८०८, १८१३, १८१६, १८१७, १८१९ से १८२१ और १८२४ से १८२७ ५३५९—८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ ५३८२—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०७, १८०९ से १८१२, १८१४, १८१५, १८१८, १८२२, १८२३ और १८२८ . . . ५३८४—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६७ से ३०२१ और ३०२३ से ३०३१ . ५३८९—५४२०

स्थगन प्रस्ताव—

सीमा घटना ५४२१—२२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . ५४२२

प्राक्कलन समिति—

बावनवां प्रतिवेदन ५४२३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—पुर:स्थापित ५४२३

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५४२३

अनुदानों की मांगें . . . ५४२३—७२

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५४२३—७२

दैनिक संक्षेपिका . ५४७३—७७

अंक ४७, बुधवार, १५ अप्रैल, १९५९/२५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२९ से १८३५, १८३७, १८३८, १८४० से १८४३, १८४५ से १८४७ और १८४९ से १८५२ ५४७९—५५०४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३६, १८३९, १८४४, १८४८ और १८५३ . ५५०४—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३२ से ३०८१ और ३०८३ से ३११३ . ५५०६—३८

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५५३९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५५३९

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . ५५३९

प्राक्कलन समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . ५५३९

अनुदानों की मांगें . . . ५५३९—६३, ५५६४—८६

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५५३९—५५

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५५५५—६३, ५५६४—८६

याचिकायें ५५६३–६४

अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध के बारे में . ५५८७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५५८८—९२

अंक ४८, गुरुवार, १६ अप्रैल, १९५९/२६ चैत्र, १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५४ से १८५७, १८५९, १८६०, १८६३, १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८ और १८८० . . . . . ५५९५—५६१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५८, १८६१, १८६२, १८६४, १८६६, १८६८, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१ से १८८३ और १७७७ . ५६१९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३११४ से ३१९० . ५६२४—५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५६५४–५५

प्राक्कलन समिति .

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ५६५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन . . . ५६५५

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर की शुद्धि ५६५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ५६५६—५७०१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५६५६—७७

	पृष्ठ
वित्त मंत्रालय	५६७८—५७०१
कार्य मंत्रणा समिति	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५७०१
दैनिक संक्षेपिका	५७०२—०७

अंक ४६, शनिवार, १८ अप्रैल, १९५९/२८ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८४, १८८६, १८८७, १८८९, १८९१ से १८९७, १९०० से १९०३ और १९०५ . .	५७०९—२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ . . .	५७२९—३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८५, १८८८, १८९०, १८९८, १८९९, १९०४ और १९०६	५७३२—३५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९१ से ३२४५	५७३५—५६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	५७५७
प्राक्कलन समिति	
(१) कार्यवाही सारांश	५७५७
(२) अड़तीसवां प्रतिवेदन	५७५७
कार्य मंत्रणा समिति	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	५७५७
सभा का कार्य	५७५८
अनुदानों की मांगें	५७५८—८०
वित्त मंत्रालय	५७५८—८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बयालीसवां प्रतिवेदन	५७८०
विधेयक पुरस्थापित	५७८०—८१
(१) श्री काशीनाथ पाण्डे का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३८३ क का रखा जाना) . . .	५७८०—८१
(२) श्री बाल्मीकी का अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक	५७८१
मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . .	५७८१—८७

पृष्ठ

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . . . . . ५७८७—९६

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—वापस लिया गया

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५७९७—५८०१

अंक ५०, सोमवार, २० अप्रैल, १९५९/३० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०७ से १९११, १९१३ से १९१५, १९१७, १९२०, १९२२, १९२४, १९२५ और १९२७ से १९३१ . . ५८०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९१२, १९१६, १९१८, १९१९, १९२१, १९२३ और १९२६ . . . . . . ५८२७—२९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२४६ से ३३१६ . . . ५८३०—५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर की शुद्धि . . ५८५८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८५८–५९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५८५९

प्राक्कलन समिति

उनचासवां प्रतिवेदन . . . ५८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

१६ अप्रैल, १९५९ को इरोड पर कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना ५८६०–६१

अनुदानों की मांगें . ५८६१—८२

वित्त मंत्रालय . ५८६१—८२

वित्त विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५८८२—५९०४, ५९०५—१६

विनियोग (संख्या २) विधेयक पारित . . ५९०४—०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५९१७—२२

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

79(Ai) LSD—10.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २० अप्रैल, १९५९

३० चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विद्युत् इंजीनियरिंग गवेषणा केन्द्र

+
†*१९०७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् इंजीनियरिंग गवेषणा केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके नक्शे और प्राक्कलन तैयार हो गये हैं ;

(ग) यह गवेषणा केन्द्र कहां स्थित होगा; और

(घ) क्या यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) अभी नहीं।

(ख) नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) एक भाग बंगलौर और दूसरा भोपाल में रखने का प्रस्ताव है।

(घ) जी नहीं।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या मूल व्यय की राशि में कमी कर देने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो अब कितनी राशि है ?

†मूल अंग्रेजी में

79 (Ai) LSD—1.

†**श्री हाथी :** विद्युत् गवेषणा केन्द्र की सम्पूर्ण योजना पर तो मूल व्ययं घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन फिलहाल हम ४४ लाख रुपयों की लागत का एक छोटा गवेषणा केन्द्र बंगलौर में स्थापित कर रहे हैं। लेकिन यह तो शुरुआत है। अंतिम रूप से क्रियान्वित की जाने वाली योजना को तो घटाया नहीं जा रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस बंगलौर के केन्द्र के अलावा यह कार्य और भी कहीं हो रहा है?

†**श्री हाथी :** जी नहीं। बंगलौर के विद्युत् केन्द्र में जिस प्रकार का कार्य आरम्भ किया जाने वाला है वह कहीं नहीं किया जाता। पूना के गवेषणा केन्द्र में कुछ काम होता है पर वह वास्तव में इस प्रकार का नहीं है।

दिल्ली का चिड़ियाघर

+

†*१९०८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में चिड़ियाघर की स्थापना में अब तक और कितनी प्रगति हुई है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२५]**

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विवरण में बताया गया है कि जापानी उद्यान का कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके क्या कारण हैं?

†**श्री अ० म० थामस :** ये कारण विवरण में ही दिये हुए हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जंतुशाला का काम बहुत वर्षों से चल रहा है, इसमें शिथिलता क्यों हो रही है और वह कब तक पूरा हो जायेगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इसमें कोई शिथिलता नहीं हो रही है, बल्कि जितनी तेजी से यह काम चलना चाहिए, उतनी ही तेजी से यह चल रहा है। इस किस्म का कार्यालय बढ़ता रहता है, उगता रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता है।

श्री भक्त दर्शन : तो क्या इसका मतलब यह है कि यह कभी बन नहीं पायेगा, कभी पूरा नहीं होगा?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण से पता चलता है कि तेंदुओं और भालुओं के बाड़ों का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इन तेंदुओं और भालुओं को इस समय किस अवस्था में रखा जा रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : जंतुओं के जो बारह बाड़े बन रहे हैं वे लगभग पूरे होने वाले हैं और अभी ऐसे भी जन्म मौजूद हैं जिनके लिये बाड़े बनाये जा रहे हैं और ये इस वर्ष सितम्बर अक्तूबर तक पूरे हो जायेंगे।

ऊन का उत्पादन

†*१६०६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना कल में देश में ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप ऊन का उत्पादन बढ गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितना?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) भेड़ों और ऊन के विकास की अखिल भारतीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही शामिल है और उसके अधीन ३६६ भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्र, ४ भेड़ प्रजनन फार्म, जिनसे ऊन का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालायें संलग्न हैं और ३ ऊन उपयोग-करण केन्द्र विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने हैं। अब तक २२५ विस्तार केन्द्रों, ३ भेड़ प्रजनन फार्मों और ऊन उपयोग-करण केन्द्र के १ कुटीरोद्योग की स्थापना की गयी है।

(ख) और (ग). अभी से यह बता सकना संभव नहीं कि इस योजना को क्रियान्वित करने से ऊन के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई होगी। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक अधिक उत्पादन की बुनियाद रखी जा चुकेगी और इसके फलस्वरूप बाद की योजनाओं में बेहतर किस्म की अधिक ऊन प्राप्त होने लगेगी।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस देश की भेड़ों की नस्ल में सुधार करने के लिये विदेशों से बढ़िया नस्ल की भेड़ों का आयात किया गया था। वह प्रयोग सफल हुआ है या नहीं।

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : जी हां, वह आंशिक रूप से सफल रही है और हम अब भी जांच कर रहे हैं।

†श्री त्यागी : तिब्बत की अशान्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार को भारत को तिब्बती रुई के संभरण में कुछ अव्यवस्था होने की आशंका है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मेरे ख्याल से इससे यह प्रश्न तो किसी भी हालतमें उत्पन्न नहीं होता।

†श्री त्यागी : मेरा सुझाव है कि भारत में ऊन के उत्पादन पर अर भी ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। मुझे आशंका है, कि हमारी ऊन का अधिकांश भाग तिब्बत से आता था और मैं जानना चाहता हूं कि इसके संभरण में कुछ अव्यवस्था तो नहीं आयी या यह बन्द तो नहीं हो गया है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ है।

†श्री भ० दी० मिश्र : श्रीमन्, क्या यह ठीक है कि अब तक अधिक से अधिक ऊन राजस्थान पैदा करता है और सरकार ने राजस्थान को उसकी वृद्धि के लिये क्या क्या साधन दिये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० पं० शा० देशमुख: इस सम्बन्ध में राजस्थान को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा ऊन पैदा होती है ।

†**श्री दासप्पा :** क्या आस्ट्रेलियाई मैरीनो भेड़ों के अलावा रूस से कुछ भेड़ों का आयात किया गया है या उसके बारे में बातचीत चल रही है क्योंकि मेरा ख्याल है कि वे कुछ भेड़ों को यहां भेजने को उत्सुक थे ?

डा० पं० शा० देशमुख : यह बात तो ठीक है कि रूसी विशेषज्ञों ने कुछ भेड़ें देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन अभी तक इस बात का फ़ैसला नहीं हुआ कि कौनसी किस्में भारत की जलवायु के लिहाज से उपयुक्त होंगी और इनका पालन पोषण किस स्थान पर किया जायगा । इस के सम्बन्ध में चर्चा अभी चल ही रही है ।

सेठ गोविन्द दास : हमारे देश में किन किन स्थानों पर विशेषकर ये फार्म बनाये जा रहे हैं और क्या इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि स्थानीय नस्लों की ही उन्नति की जाय और एक स्थान से दूसरे स्थान पर या विदेशों से इस तरह की भेड़ें न मंगाई जायें ?

डा० पं० शा० देशमुख : काफ़ी स्थान हैं—बड़ी फेहरिस्त है—जहां पर हम सेन्टर्ज़ बनाना चाहते हैं । अगर आनरेबल मेम्बर साहब चाहते हों, तो मैं उनको दे दूंगा । हम ३९६ शीप एण्ड वूल एक्सटेंशन सैन्टर्ज़ बनाना चाहते हैं, जिन में से २२५ बन गये हैं । काफ़ी कार्यवाही चल रही है । ब्रीडिंग का भी प्रयत्न जारी है और इम्पोर्टेड शीप से क्रास ब्रीडिंग भी कर रहे हैं ।

श्री ग्रासर : क्या मैं जान सकता हूं कि आधुनिक ढंग से ऊन को काटने का शिक्षण देने की सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गई है, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस प्रकार के बहुत से केन्द्रों की स्थापना हो भी चुकी है ।

श्री फीरोज गांधी : माननीय मंत्री के विभाग में एक ऐसा भी विभाग है, जो भेड़-बकरियों वगैरह की गिनती करता है । क्या वह बता सकते हैं कि भेड़-बकरियों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है ?

श्री अ० प्र० जैन : इसके लिये अगर अलाहिदा सवाल दे दिया जाय, तो ठीक होगा, क्योंकि यह इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री हेमराज :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पशमीमा वूल सिर्फ तिब्बत से आती है क्या केन्द्रीय सरकार अपना कोई डेपूटेशन ईरान की तरफ़ भेजेगी, जहां पशमीना ऊन होती है और वहां से इस किस्म की बकरियां लाने का इन्तजाम किया जायेगा, जिससे पशमीना ऊन यहां पैदा हो सके और इस बारे में दिक्कत न हो ?

डा० पं० शा० देशमुख : ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल हमारे सामने नहीं है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि ऊन जो कि काश्मीर की सनत के लिये बेहद जरूरी है और काश्मीर के शाल वगैरह दुनिया में भेजे जाते हैं, काश्मीर में ऊन को तरक्क़ी देने के लिये हकूमत ने कौन से इकदामात किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : जम्मू तथा काश्मीर में हम २६ विस्तार केन्द्रों की स्थापना करने वाले हैं। इन में से १७ तो स्थापित भी हो चुके हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है और क्या इन क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया गया है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मैं समझ नहीं सका।

†अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या बादामी रंग की भेड़ों पर ही जोर दिया जाता है या काले रंग की भेड़ों पर भी ?

†डा० पं० शा० देशमुख : भेड़ें विभिन्न रंगों की होती हैं।

भुवनेश्वर में कुक्कुट फार्म

†*१६१०. श्री पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २० फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में प्रस्तावित कुक्कुट फार्म के निर्माण में तब से कोई प्रगति हुई है ;

(ख) कुती गई लागत में से अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ; और

(ग) क्या निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक समझी जाती है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां। जमीन ले ली गयी है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उस पर का जंगल साफ कर रहा है। अन्तिम रूप से निर्माण होने तक के लिये भुवनेश्वर के हवाई अड्डे के उन हैंगरों को, जिनका इस्तेमाल नहीं होता है और जो असैनिक उड्डयन अधिकारियों के हैं, परिवर्तित किया जा रहा है और राज्य के लोक निर्माण विभाग को आवश्यक राशि दे दी गई है। छः विशाल डिम्बौषक[1] उड़ीसा सरकार को उपलब्ध कर दिये गये हैं। फार्म के भार साधक अधिकारी और अन्य आवश्यक कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं।

(ख) लगभग ५०,००० रुपये।

(ग) फार्म को यथा संभव शीघ्र चालू करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयास किया जा रहा है। निर्माण कार्य जंगल साफ होने के बाद ही वास्तव में आरम्भ होगा।

†श्री पाणिग्रही : भुवनेश्वर में इस प्रादेशिक कुक्कुट फार्म की स्थापना के लिये जो भूमि ली गई है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री पाणिग्रही : उड़ीसा में यह जो प्रादेशिक कुक्कुट ाम स्थापित किया जा रहा है मोटे तौर पर उसकी विशेषतायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Incubators.

†**डा० पं० शा० देशमुख :** इस फार्म के प्रारम्भिक कृत्य ये हैं :—प्रदेश के राज्य कुक्कुट फार्म को आधारभूत स्टाक के लिये 'एक एक दिन के' बढ़िया चूजों का प्रजनन करना, उन्हें वायुजलानुकूलित बनाना और उनका संभरण करना। दूसरे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन जिन ३०० कुक्कुट विस्तार व विकास खण्डों की स्थापना की जा रही है उनके लिये आवश्यक कर्मचारियों लिये प्रशिक्षण-केन्द्र का कार्य करना। तीसरे, सम्बन्धित प्रदेशों की कुक्कुट प्रजनन सम्बन्धी समस्याओं जैसे प्रजनन, खिलाने. प्रबन्ध. निवास आदि के बारे में व्यावहारिक गवेषणा करना।

सेठ गोविन्ददास : क्या भुवनेश्वर के सदृश तर्थ-स्थान के सिवा गवर्नमेन्ट को इस काम के लिए देश में कोई दूसरा स्थान नहीं मिल रहा है

डा० पं० शा० देशमुख : काफी और स्थान हम सिलैक्ट करने वाले हैं और यह एक उडीसा के लिए है।

दिल्ली के गांवों में दूध की मात्रा

१९११. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्लीं के गांवों में दूध की मात्रा बढ़ाने की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय कितना दूध गांवों से नगर को भेजा जाता है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) दिल्ली के गांवों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये ये कदम उठाये गये हैं :—

(१) ढोरों का सुधार करने के लिये तमाम गांवों में सुधरी हुई नसल के सांडों का इन्तज़ाम कर दिया गया है।

(२) नांगलोई गांव में एक आर्टीफिशल इंसेमीनेशन सेन्टर स्थापित कर दिया गया है।

(३) ३०० अच्छी नसल के बछड़ों के लिये सबसिडी दी है।

(४) देहाती क्षेत्रों में पशु-विकास कार्य की देखभाल करने के लिये वटेरिनेरी असिस्टेंट सरजन्स का इन्तज़ाम कर दिया गया है।

(ख) गांवों से लगभग ३५०० मन प्रति दिन।

†**श्री हेम बरुआ :** अंग्रेजी में भी।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी हां।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि दिल्ली में इस समय ३५०० मन दूध का उत्पादन होता है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली शहर के लिये कितने दूध की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को देखते हुये यह दूध क्या कम है या ज्यादा है और अगरकम है को उत्पादन को बढ़ाने के लिये गवर्नमेंट क्या प्रयत्न कर रही है ?

डा० पं० शा० देशमुख : हमारा अन्दाजा यह है कि ७,००० मन की आवश्यकता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिये काफी कोशिश की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन की ओर से केन्द्र के पास क्या कोई इस प्रकार का सुझाव आया है कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में कुछ ऋण दिया जाय जिससे वे अपने पशुओं की तादाद बढ़ा सकें या और अधिक सहकारी समितियों की स्थापना कर सकें ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके ?

डा० पं० शा० देशमुख : दिल्ली के अलावा यू० पी० से भी कुछ दूध आता है। जो अंदाजा मैंने बताया है वह दिल्ली के गांवों का है। जो कुछ भी मदद हो सकती है दी जाती है क्योंकि हम चाहते हैं कि इन केन्द्रों को बढ़ावा दें।

†**डा० सुशीला नायर** : दिल्ली के लोगों को जीवाणुरहित और अन-अपमिश्रित शुद्ध दूध के संभरण के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :दिल्ली में दूध की डेरी स्थापित करने की एक योजना है। आशा है कि यह आगामी अगस्त में काम करने लगेगी। पहली प्रावस्था में यह रोजाना ७,००० मन दूध तैयार किया करेगी। इस में इस परिमाण को १२००० मन प्रतिदिन तक बढ़ाने की क्षमता होगी। इस योजना के ही एक भाग के रूप में दूध को ठंडा करने के ३० केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जहां दूध की रासायनिक और रोगाणुविषयक दोनों प्रकार की जांच की जायगी। इसको यहां जमा करके ठंडा करने के बाद नीरोग और जीवाणु रहित बनाने के लिये डेरी में ले जाया जायगा।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या इस डेरी की योजना में दिल्ली शहर से ढोरों को हटा देने की कल्पना की गई है, और यदि हां, तो ढोरों को यहां से हटा कर दूध के उत्पादन के लिये उपयुक्त स्थानों पर ले जाने की कब तक आशा की जा सकती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी हां। यह भी इस योजना का ही अंग है। अर्थात् इस समय जो ढोर दिल्ली में हैं उन्हें ग्राम्य क्षेत्रों में हटा दिया जायगा। मूलतः हम इसके लिये जमीन लेना चाहते थे लेकिन इसके रास्ते में कठिनाइयां हैं। अब जमीन लेने के लिये नये सिरे से कोशिश जारी की जा रही है ताकि ढोरों को देहाती क्षेत्रों में ले जाया जा सके।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई शिकायतें आई हैं कि आर्टिफिशल इंसेमिनेशन से जो बछड़े पैदा होते हैं, उसकी वजह से दूध कुछ कम होता है ?

श्री अ० प्र० जैन : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है बल्कि इसके बरखिलाफ जहां हमने देखा है कि आर्टिफिशल इंसेमिनेशन से जो बछड़े बछड़ियां पैदा हुये हैं वे काफी तन्दुरुस्त और अच्छे हैं।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह स्कीम केवल दिल्ली और दिल्ली के गांवों के लिये ही लागू है या अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह से दूध का प्रबन्ध करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री अ० प्र० जैन : इतनी बड़ी स्कीम तो दिल्ली के लिये ही है क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। दूसरी मुकाबलतन छोटी स्कीमें तमाम देश के वास्ते हैं और उनमें से चार या पांच स्कीमें यू० पी० को भी दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ईश्वर अय्यर** : क्या प्रस्तावित डेरी फार्म में दूध को बोतलों में भरने और उसे नीरोग बनाने की कोई योजना है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : दूध को नीरोग बनाने, उसे जीवाणुरहित करने, बोतलों में भरने और फिर लगभग १००० दूध-स्टालों की मार्फत उसके वितरण का प्रबन्ध किया जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ ही समय पहले श्री कृष्णप्पा इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं । यह पूछा गया था कि क्या गाय और भैंस के दूध में कुछ अन्तर होता है और यदि अन्तर नहीं होता तो वे गाय का दूध क्यों नहीं दे सकते । उन्होंने कहा था कि भैंस के दूध में बहुत सी चीजें मिलती हैं और यह डेरी फार्म मुख्य केन्द्रों के लिये होगा और छोटे क्षेत्रों के लिये यह भिन्न प्रकार का होगा । मेरे ख्याल से पूरी बातों का उत्तर दिया जा चुका है । अब फिर यह प्रश्न आया है । यदि किसी माननीय सदस्य ने अब तक इस विषय पर प्रश्न न पूछा हो तो पूछ सकते हैं ।

†**श्री बर्मन** : सरकार का इरादा गांवों से दूध लेकर उसे ठंडा करने के बाद दिल्ली के निवासियों द्वारा उपभोग के लिये केन्द्रों में ले जाने का है । इस बात के लिये क्या व्यवस्था की जायगी कि गांव के लोगों को अपने उपभोग के लिये इस प्रकार का दूध मिल सके ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इरादा यह नहीं है कि गांवों का एक-एक बूंद दूध दिल्ली आ जाय । उसका कुछ भाग दिल्ली आयगा और शेष भाग उनके उपभोग के लिये बचा रह जायगा ।

†**श्री बर्मन** : मैं यह जानना चाहता था कि ठंडा किया हुआ कुछ दूध गांवों में खपत की दृष्टि से वितरित किया जायगा या नहीं ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : योजना में यह बात नहीं है । ठंडा किये हुये दूध को नीरोग और जीवाणुरहित बनाने के लिये केन्द्रीय डेरी में लाया जायेगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर दी है कि इस समय जो हजारों ग्वाले बाजार में अलग अलग अपना काम चला रहे हैं उनका काम अचानक ही ठप न हो जाय बल्कि उनका काम भी चलता रहे ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमें आशा है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ही होगा क्योंकि उनका सारा दूध केन्द्र में खरीद लिया जायगा और उसके गुणों के आधार पर उसके दाम दिये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि सब को दूध का संभरण किया जायगा ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : बशर्ते कि सब उसके दाम चुकाने को राजी हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तूतीकोरिन पत्तन का विकास

+

†*१६१३. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुपकार :
श्री इलया पेरुमाल :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तूतीकोरिन पत्तन को विकसित कर उसे बड़ा पत्तन बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). तूतीकोरिन पत्तन को तृतीय योजना में विकसित कर बड़े पत्तन का रूप देने का प्रश्न अब भी विचाराधीन है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि तूतीकोरिन पत्तन विकास परिषद की ओर से एक शिष्ट-मण्डल श्री पाटिल और श्री राज बहादुर से मिला था और उन्होंने उसे यह आश्वासन दिया था कि इस योजना को क्रियान्वित किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह ठीक है कि शिष्टमण्डल मुझ से मिला था लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी मंत्री ने उसे यह आश्वासन नहीं दिया कि इस योजना को क्रियान्वित किया जायगा । उन से कहा गया था कि इस पर सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जायगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस पत्तन विकास परिषद ने अपनी ही मर्जी से इस समस्या की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है और इस विशेषज्ञ समिति ने इस पत्तन का प्रावस्था भाजित विकास करने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक उन सिफारिशों की जांच कर ली है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अनुदानों की मांगों पर बोलते समय मैं काफी स्पष्ट रूप में बता चुका हूं कि हम इसे काफी निश्चित रूप से तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि इसकी लागत कितनी होगी आदि । इस समय इससे अधिक कुछ कहना अनावश्यक होगा ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या यह सच है कि तूतीकोरिन पत्तन से मुख्य रूप से कोयले और नमक का आयात और निर्यात होता है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हो सकता है । तूतीकोरिन पत्तन के महत्व के बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव** : मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़े पत्तनों के रूप में विकसित करने के लिये पत्तनों को किस आधार पर शामिल किया जाता है, क्या वे समुद्रपार के व्यापार में योग प्रदान करते हैं आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न का निर्णय व्यापार-वाणिज्य और आसपास के इलाकों से आने वाले यातायात की आवश्यकताओं से सम्बन्धित कतिपय सर्व विदित बातों पर निर्भर करता है। इसके अलावा माननीय सदस्य को पता है कि हमने एक समिति भी नियुक्त की है जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि ऐसी परियोजनाओं में से प्रत्येक को क्या प्राथमिकता दी जाय ।

†**श्री तंगामणि** : मंत्री महोदय ने कहा था कि मंगलोर और तूतीकोरन दोनों को बड़े पत्तनों के रूप में विकसित करने की कार्य वाही की जायगी। जो आरंभिक जांच की गई है उसके लिये चालू वर्ष में और अगले वर्ष के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है कोई विशिष्ट राशि मंजूर नहीं की गई है। लेकिन कुछ आरंभिक सर्वेक्षण आरम्भ किये जा रहे हैं। यातायात का सर्वेक्षण और विशेषज्ञों के प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न रेखणों[1] पर छिद्रण भी किये जा रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि बड़े पत्तन के रूप में विकसित किये जाने के लिये किसी छोटे पत्तन के लिये यह जरूरी है कि उससे ५ लाख टन यातायात होता हो--और क्या सेतुसमुद्रम परियोजना के अलावा तूतीकोरिन बन्दरगाह को भी विकसित किया जायगा ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे ऐसे किसी मानदण्ड का तो पता नहीं है लेकिन आर्थिक पहलू पर तो विचार किया ही जायेगा। यही बात है जिस पर विशेषज्ञ सदा से विचार करते आये हैं। अब तक कुल मिला कर सात विशेषज्ञ--व्यक्ति और निकाय दोनों-- तूतीकोरिन पत्तन की जांच कर चुके हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार ने मंगलौर को बड़ा पत्तन बनाने के निश्चय की घोषणा की थी और अब मंत्री जी कहते हैं कि तूतीकोरिन पर तृतीय योजना में विचार किया जायगा। कारवाड़ का नम्बर कौनसा होगा ?

अध्यक्ष महोदय : कई पत्तन हैं। इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य पृथक् प्रश्न पूछें।

श्री नंजप्पा : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह मसला विचाराधीन है। क्या इस योजना को तृतीयप्योजना में शामिल किया जायगा ?

†**श्री राज बहादुर** : हम इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

†**श्री तिरुमल राव** : मंत्री महोदय ने यह कहा था कि मध्यम आकार के पत्तनों के विकास के सम्बन्ध में जांच करने के लिये उन्होंने एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति का जांच कार्य किस अवस्था में है, उसका प्रतिवेदन कब तक आने की आशा है, और क्या इस प्रतिवेदन के ऐसे समय से आने की सम्भावना है जिससे सिफारिशों पर विचार कर इसे तीसरी योजना में शामिल किया जा सके ?

†**श्री राज बहादुर** : हम इसकी आशा कर सकते हैं क्योंकि यह समिति विकास परामर्शदाता के सभापतित्व में बनायी गयी है। यह विचारणीय पत्तनों के गुणों-अवगुणों पर विचार कर रही है। हमें आशा है कि काफी समय रहते कुछ प्रस्ताव तैयार हो जायेंगे और हम उन पर विचार कर लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Alignment

†**श्री दासप्पा :** कस्तूर भाई लाल भाई समिति ने बम्बई और कोचीन के बीच एक बड़ा पत्तन बनाने के प्रश्न पर विचार किया था और उसकी सिफारिशें पिछले आठ वर्षों से बिना क्रियान्विति हुए पड़ी हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल :** मंगलौर, बम्बई और कोचीन के बीच में ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न तूतीकोरिन पत्तन के बारे में है । मैं देखता हूं कि जो भी प्रश्न इस सभा के समक्ष आता है वह बढ़ता जाता है । यदि प्रश्न किसी एक नदी या पत्तन के विषय में होता है तो भारत की सभी नदियों और पत्तनों के बारे में पूछना शुरू हो जाता है । इस का तो कभी अन्त नहीं होगा ।

कुण्डा जल-विद्युत् परियोजना

†*१९१४. **श्री नंजप्पा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुण्डा जल विद्युत् परियोजना का निर्माण कार्य कार्यक्रमानुसार चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो बिजली पैदा करने वाला पहला बिजलीघर कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) दोनों बिजली घरों के सभी बिजली पैदा करने वाली यूनिटों के १९६०–६१ तक पूरे हो जाने की आशा है ।

†**श्री नंजप्पा :** दूसरा बिजलीघर कब से बिजली पैदा करना आरम्भ कर देगा ।

†**श्री हाथी :** ोनों बिजलीघर १९६०–६१ के अन्त तक कार्य आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री ईश्वर अय्यर :** ये दोनों बिजलीघर कितनी बिजली पैदा कर सकेंगे ?

†**श्री हाथी :** १८०,००० किलोवाट ।

†**श्री तंगामणि :** कनाडा से सामान के रूप में जो सहायता आने वाली थी क्या वह आ गयी है?

†**श्री हाथी :** जी हां हमें कोलम्बो योजना के अधीन सहायता मिल रही है ।

†**श्री दासप्पा :** प्रत्येक किलोवाट ऑवर की लागत कितनी होगी ? यह कितनी बैठती है ?

†**श्री हाथी :** १८०,००० किलोवाट की कुल लागत ३५ करोड़ रुपये होगी ।

†**श्री नंजप्पा:** क्या कनाडियन टैक्निशियन अब भी परियोजना का निदेश कर रहे हैं या यह कार्य भारतीयों द्वारा किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी :** भारतीय इंजीनियर यह कार्य कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तुंगभद्रा निम्न स्तरीय नहर योजना

†*१९१५. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्रा निम्न स्तरीय नहर की आस्तियों के विभाजन के सिलसिले में २५ और २६ फरवरी, १९५९ को आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ;

(ग) इस बैठक में क्या किन्हीं अन्य विषयों पर चर्चा की गयी थी ;

(घ) क्या कुछ मसले केन्द्र को पंचनिर्णय के लिये सुपुर्द किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ङ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२६]**

†**श्री रामी रेड्डी :** भाग (क) और (ख) के उत्तर में कहा गया है कि कोई समझौता नहीं हो सका। भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है कि बैठक में कुछ मसलों पर चर्चा हुई थी। इससे क्या मैं यह समझूं कि भाग (ग) में जिन मसलों का जिक्र किया गया है उन पर समझौता हो गया है या उनके बारे में अब भी चर्चा चल रही है ?

†**श्री हाथी :** कुल मिला कर २४ बातों पर चर्चा होनी थी जिनमें से आठ के बारे में समझौता हो गया है। भाग (घ) और (ङ) में उल्लिखित ४ बातों के बारे में समझौता नहीं हो पाया। शेष पर मई, १९५९ में होने वाले अगले सम्मेलन में चर्चा की जायगी।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या इन मसलों का फैसला करने के लिये कोई सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

†**श्री हाथी :** प्रत्येक बात का निर्णय किसी सिद्धान्त के आधार पर ही होता है लेकिन प्रत्येक बात पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय किया जाता है।

†**श्री बासप्पा :** क्या तुंगभद्रा वर्कशाप से कोई काम लिया गया है, उससे क्या काम लिया जाता है और वह कैसा काम कर रही है ?

†**श्री हाथी :** तुंगभद्रा वर्कशाप वाणिज्यिक आधार पर चलाई जा रही है। हाल ही में हमें चम्बल वर्क्स से भी आर्डर मिले हैं। दोनों राज्य इस बात से सहमत हो गये हैं कि उसका प्रबन्ध निगम के रूप में किया जाना चाहिये।

†**श्री आचार :** विवरण में कहा गया कि जिन विषयों पर समझौता नहीं हो सका उन्हें केन्द्र के सुपुर्द कर दिया गया है। इस मसले का निर्णय करने के लिये केन्द्र क्या व्यवस्था करेगा और वह कैसे इसका फैसला करेगा ?

†**श्री हाथी :** यह कुछ अधिकारियों के पंच-निर्णय के रूप में होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इमाम:** जलाशय के निर्माण के दौरान में जो ऋण और दायित्व आ गये थे क्या उनका बंटवारा किया गया था, और यदि हां, तो किस आधार पर ? प्रत्येक राज्य को इसका कितने प्रतिशत अंश दिया गया है ?

†**श्री हाथी :** वास्तव में दायित्वों का बंटवारा ही ऐसी असाधारण बात है जिसका हमने निर्णय कर लिया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** तुंगभद्रा वर्कशाप के बारे में यह कहा गया है कि उन्हें निगम बनाने की सलाह दी गयी है । यदि निगम बनाया गया तो क्या कुछ वित्तीय सहायता दी जायगी ?

†**श्री हाथी :** फिलहाल तो उनके पास काफी मशीनें हैं । लेकिन यदि विस्तार करने की जरूरत पड़ी और उन्होंने केन्द्र से सहायता मांगी तो उस पर विचार किया जायगा ।

†**श्री बासप्पा :** क्या आंध्र और मैसूर के बीच बिजली के बंटवारे के बारे में कुछ समझौता हो गया है ?

†**श्री हाथी :** जी हां ।

†**श्री बासप्पा :** इसका आधार क्या है ?

†**श्री हाथी :** १ : ३ हैं । शेरावती का काम आरम्भ हो जाने पर यह १:४ हो जायगा ।

†**श्री रामी रेड्डी :** जिन बातों के बारे में समझौता नहीं हो पाया उनके सम्बन्ध में अलग अलग राज्य-सरकारों का दृष्टिकोण क्या था ?

†**श्री हाथी :** दोनों सरकारों के दृष्टिकोण पूछे गये हैं । हमें उन बातों के सम्बन्ध में, जिन पर समझौता नहीं हो पाया है, उनके विचार अभी नहीं मिले हैं ।

वाइकिंग विमान

+

†*१९१७. { **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने अब तक वाइकिंग विमानों को बेचने के बारे में कोई फैसला किया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** जैसा कि लोक-सभा में ११–१२–५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१५ के उत्तर में पहले बताया जा चुका है, एयर लाइन्स कारपोरेशन ने इस सम्बंध में यह निश्चय किया है कि जब भी सम्भव हो सके वह उन्हें बेचने को तैयार है ।

†**श्री कोडियान:** क्या यह सच है कि इनको खरीदने के लिए ब्रिटेन की एक फर्म ने ७५,००० प्रति विमान का मूल्य लगाया था मगर कारपोरेशन ने इनको बेचने से इन्कार कर दिया, यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मुझे इस प्रस्ताव का कोई ज्ञान नहीं है । किन्तु कारपोरेशन इनको बेचने के लिये अनेक अभिकरणों द्वारा प्रयत्न कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान :** क्या इनको खरीदने के लिये देश के भीतर से कोई प्रस्ताव आया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मझे इसका कोई ज्ञान नहीं।

†**श्री तंगामणि :** मंत्री महोदय ने ११-१२-५७ को कहा था कि कारपोरेशन ने इन जहाज़ों को बेचने का निश्चय कर लिया है। ४ मार्च को यह बताया गया कि १२ जहाज़ ७ दिल्ली में और ५ बम्बई में, बेकार खड़े हैं। इन १२ जहाज़ों को निकालने में और कितने दिन लग जायेंगे।

†**श्री मुहीउद्दीन :** जैसा कि मैंने अभी बताया है निगम उनको बेचने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। किन्तु आज कल पिस्टल इंजनों वाले विमानों की मांग ज्यादा नहीं है। फिर भी जब कभी हमें उचित मूल्य मिलने का अवसर दिखाई देगा हम उनको बेचने को तैयार हैं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को मालूम है कि अभी पिछले दिनों डेकोटाज़ की खरीद के बारे में अनडिजायरेबुल एकटिविटीज़ की शिकायत सुनने में आई थी और क्या गवर्नमेंट ने इस विषय में सावधानी बर्ती है कि वही मालप्रैक्टिसेज़ की शिकायतें वाकिंग एयरक्राफ्टस के परचेज़ के सिलसिले में न रिपीट हों और उनको बंद करने के लिये गवर्नमेंट ने क्या एप्रोप्रियेट डिसिज़न लिया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** हम इस में बहुत सावधानी बरतना चाहते हैं ताकि फिर ऐसी कन्ट्रोवर्सी न रेज़ हो।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि वाकिंग विमान गर्मी प्रधान देशों के लिये उपयुक्त नहीं हैं .यदि हां, तो क्या उनको खरीदने से पहले इस बात पर विचार किया गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जहां तक हमारा तजुरबा है, इन विमानों ने हमारी बड़ी सेवा की है और मैं समझता हूं वह ट्रापिकल देशों के लिये बहुत अच्छे हैं।

इलाहाबाद के असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में ट्रेनिंग कोर्स

†*१९२०. { **श्री आसर :**
श्री वाजपेयी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद के असैनिक उड्डयण प्रशिक्षण केन्द्र (सिविल एविएशन सेन्टर) में जनवरी १९५७ में जो दो वर्ष का 'फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स' शरू हुआ था वह अब तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) उसे पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (मुहीउद्दीन) :** (क) १४ प्रशिक्षाणार्थियों में से ६ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं शेष की ट्रेनिंग अगले तीन महीने में पूरी हो जायगी।

(ख) प्रशिक्षणार्थियों के टेक्नीकल परीक्षाओं में फेल होने के कारण देरी हो गई है। कुछ अवधि से फ्लाइंग इंस्ट्रकटरों का न मिलना भी देरी का थोड़ा बहुत कारण है।

(ग) कोर्स को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार को ज्ञात है कि लड़कों की एक बड़ी संख्या असैनिक उड्डयन में प्रशिक्षण प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है ? सरकार ने इसके लिये भारत में अभी तक ऊंचे दर्जे का कोई माडर्न स्कूल नहीं स्थापित किया है। उड्डयन के अध्ययन में इस तरह की त्रुटि किस कारण से दिखाई जा रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इलाहाबाद के ट्रेनिंग स्कूल में बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जा रही है। समय-समय पर इसका स्टेंडर्ड बढ़ाने का भी प्रयत्न होता रहता है। जहां तक विद्यार्थियों की संख्या का प्रश्न है, यह संस्था में प्रशिक्षण व्यवस्था की क्षमता और इस बात पर निर्भर करता है कि बाद में कितने व्यक्ति असैनिक उड्डयन के कार्य में सुगमता से खप सकेंगे ।

सड़क विकास योजना

***१६२२. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ फरवरी, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की सड़कों के विकास के बारे में इंजीरियरों की समिति द्वारा बनायी गयी नयी दीर्घावधि योजना पर विचार पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) तथा (ख). जी नहीं। अभी इस पर विचार किया जा रहा है। इसमें कुछ समय लग जाने की सम्भावना है क्योंकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अनेक अधिकारियों से विचार विमर्श करना पड़ेगा

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या किन्हीं राज्य सरकारों के मत प्राप्त हुये हैं; यदि हां, तो किन के ?

†**श्री राज बहादुर :** हमें कुछ मंत्रालयों से, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय से, उत्तर मिले हैं। राज्य सरकारों के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही हैं।

†**श्री श्रीं नारायण दास :** क्या इस पर कोई ग़ैर-सरकारी समितिया कोई सरकारी समिति विचार कर रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** अभी तो हमने इस योजना में प्रस्तावित सुझावों के बारे में राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों की राय मांगी है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस की कार्यान्विति पर कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** २० वर्ष में इस पर कुल ५२,०० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, जैसाकि माननीय मंत्री ने बतलाया कि इस नई सड़क योजना पर ५२,०० करोड़ रुपये लगेंगे तो क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग से कोई परामर्श किया गया है या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है कि इतने रुपये की व्यवस्था की जा सकेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : योजना आयोग से अवश्य परामर्श किया जायगा किन्तु उसके पहले यह आवश्यकता समझी गई कि राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों से जो कि इससे सम्बन्धित हैं उनसे इस विषय में पूछताछ की जाय और उनकी राय ली जाय ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि चीफ़ इंजीनियरों द्वारा दी गई सिफारिशों की मसानी समिति द्वारा भी जांच की गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य को सड़क परिवहन को सड़क योजना के साथ भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त हिन्दुस्तान और काश्मीर के दरमियान जो एक ही रास्ता जम्मू काश्मीर रोड है तो इस सिलसिले में क्या हूकूमत काश्मीर ने आप से दरख्वास्त की है कि वह पुराना रास्ता जिसको कि मुग़ल रास्ता कहा जाता है उसको डेवलप किया जाय जो कि कांगड़ा से बराहरास्त काश्मीर जाता है ?

श्री राज बहादुर : मैं इस ख़ास रास्ते के बारे में तो कुछ अर्ज़ नहीं कर सकूंगा ।

मनीपुर में तुलिहाल हवाई अड्डा

†*१९२४. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के तुलिहाल हवाई अड्डे पर जो नया 'कन्ट्रोल टावर' बनाई गई है उस पर पिछली फरवरी में बिजली गिर गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) तुलिहाल हवाई अड्डे पर लड़ाई के ज़माने का एक पुराना 'कन्ट्रोल टावर' थी उसकी अभी हाल में मरम्मत की गई थी । इस पर २१ जनवरी, १९५९ को बिजली गिर गई थी ।

(ख) कुछ स्थानों पर दीवारें गिर गई हैं और शीशे भी टूट गये हैं । इसको थोड़ी ही हानि हुई है । अनुमानतः १५०० रुपये के लगभग ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** क्या इसको बिजली के प्रभाव से बचाने के लिये पहले कोई उपाय किये गये थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जी हां । १९५८ से वहां पर कंडक्टर लगानें का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** बिजली गिरे हुये चार महीने हो चुके हैं क्या उसकी दोबारा मरम्मत पूरी हो चुकी है या अभी उसकी तजवीज ही हो रही है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य हो रहा है और दिसम्बर, १९५९ तक यह सारा अड्डा नये सिरे से तैयार हो जायेगा । इस समय इस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है । जहां तक दीवारों और शीशों की मरम्मत का प्रश्न है वह अवश्य पूरी की जा रही होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीज़न टिकट

†*१९२५. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना से विक्टोरिया टरमिनस तक के मासिक सीज़न टिकट जारी किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पूना से बम्बई तक त्रैमासिक सीज़न टिकट जारी करने की मांग की गई है ;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है त्रैमासिक टिकट नहीं जारी किये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पूना और बम्बई के बीच अभी तक त्रैमासिक सीज़न टिकट नहीं जारी किये जा गये हैं क्योंकि अभी तक ऐसे टिकटों की ज्यादा मांग नहीं है ।

किन्तु मासिक सीज़न टिकटों से यह अनुमान लगाया गया है कि अब पूना और बम्बई के बीच दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिमास बढ़ती जा रही है ? इसलिये यह निश्चय किया गया है कि पूना और बम्बई के बीच मई, १९५९ से त्रैमासिक सीज़न टिकट जारी कर दिये जायें ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि इन सीज़न टिकटों की दरें बम्बई के उपनगरीय क्षेत्रों की दरों से अधिक हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं आपका प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप प्रश्न को दोहराने की कृपा करेंगे ?

†**श्री आसर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि पूना से बम्बई जाने वाले यात्रियों को जिस दर पर सीज़न टिकट जारी किये जाते हैं क्या वह दर बम्बई के उपनगरीय क्षेत्रों से रेल द्वारा आने वाले यात्रियों को जारी किये जाने वाले सीज़न टिकटों से अधिक हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उपनगरीय क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की टिकट दर अन्य स्थानों से भिन्न तरीके से निश्चित की जाती है । मासिक सीज़न टिकटों में २४ एक तरफा यात्राओं का भाड़ा लिया जाता है । पूना से आने वाले यात्रियों से इस हिसाब से किराया लिया जाता है ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि पूना लोनावला लोकल गाड़ियों पर सीज़न टिकट की दरें बहुत अधिक हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी नहीं । बल्कि यह दर इतनी कम थी कि अब इसको बढ़ाना पड़ा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बूचड़खाने

+

†*१९२७. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बूचड़खाने की इमारत तैयार हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान बूचड़खाना वहां चला गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : अभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है या नहीं ?

†**श्री करमरकर**: अभी निगम इस सारे प्रश्न पर विचार कर रहा है । विचार करने के बाद यदि वह यह तय करेगा कि ऐसा स्थान बनाया जाय तभी इसका निर्माण शुरू किया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो बूचड़खाना बनाया जा रहा है इसमें क्या आधुनिकतम यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा ताकि अहिंसापूर्ण ढंग पर पशुओं का बध किया जा सके ?

श्री करमरकर : पशु तो मर जायेंगे, इसमें कोई अहिंसा का संबंध नहीं आता, और उनको कैसे मारना यह बात तै की जायेगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बूचड़खाना बनाया जा रहा है इसमें केवल खाने के वास्ते मांस तैयार करने के लिये ही जानवर मारे जायेंगे या कि चमड़े की ट्रेड के वास्ते भी जानवर मारे जायेंगे ?

श्री करमरकर : इसमें तो खास तौर से खाने के लिये मांस तैयार किया जायेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में चमड़े का भी उपयोग होगा ।

सरकारी अस्पतालों में शिकायत पुस्तकें

+

†*१९२८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जितने भी अस्पताल हैं उनमें सभी वार्डों और आउट-डोर विभागों में नियमित रूप से शिकायत पुस्तकें रखी जाती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण ; और

(ग) क्या सरकार सब अस्पतालों को ऐसी पुस्तकें रखने का अनुदेश देने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज अस्पताल में तो शिकायत पुस्तकें हैं, किन्तु सफदरजंग अस्पताल में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है ।

(ख) सफदरजंग अस्पताल में वार्डों तथा केजुएल्टी विभाग के डाक्टर इंचार्ज द्वारा तथा अन्य उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा शिकायतें नोट की जाती हैं ।

(ग) सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सभी वर्गों और आउट-डोर विभाग में "सुझाव पुस्तकें" रखने के अनुदेश दे दिये गये हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इन शिकायत पुस्तकों की यदाकदा कोई पड़ताल होती है ; यदि हां, तो क्या इनमें दर्ज किसी शिकायत के बारे में कभी कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : 'शिकायत पुस्तक' और 'सुझाव पुस्तक' में क्या अन्तर है ?

†**श्री करमरकर** : मैं स्वयं इस अन्तर को भली भांति नहीं समझ पाया हूं क्योंकि 'सुझाव पुस्तक' में शिकायत भी लिखी जा सकती है । कदाचित 'शिकायत पुस्तक' केवल शिकायतें लिखने के लिये ही हो जबकि 'सुझाव पुस्तक' में शिकायतें तथा सुझाव दोनों लिखे जा सकते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सफदरजंग अस्पताल में अब कोई 'शिकायत' या 'सुझाव' पुस्तक रख दी गई है ?

†**श्री करमरकर** : हमने उनको ऐसी पुस्तक रखने के लिये कहा है । मैं समझता हूं उन्होंने रख दी होगी ।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी

†*१६२६. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में विद्युत शक्ति की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य को अधिक बिजली देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत परियोजनाओं के लिये निर्धारित अधिकतम लक्ष्यों को बढ़ाने के संबंध में कोई आवेदनपत्र भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) लगभग सारे देश में किसी न किसी रूप में विद्युत शक्ति की कमी है । आंध्र प्रदेश में कोई विशेष कमी नहीं है ।

(ख) द्वितीय योजना में आंध्र प्रदेश में ३,२८,६२५ किलोवाट अधिक बिजली पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां ।

(घ) योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या आंध्र प्रदेश में विद्युत् परियोजनाओं का द्वितीय योजना में जो अधिकतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह प्रथम योजना के लक्ष्य से कम है ?

†**श्री हाथी** : मैं नहीं समझता कि यह कम होना चाहिये । किन्तु मेरे पास अभी इसके आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या द्वितीय योजना में उन विद्युत योजनाओं को रखा गया है जो प्रथम योजना काल से चल रही हैं और क्या यह सच है कि द्वितीय योजना में जितनी रकम की व्यवस्था की गई है वह उन योजनाओं को भी पूरा करने के लिये अपर्याप्त है ?

†**श्री हाथी** : इसमें जारी योजनायें पूरी की जा सकती हैं । किन्तु आंध्र सरकार ने योजना आयोग को राज्य के लिये निर्धारित २७ करोड़ रुपये की रकम को बढ़ा कर ३२ करोड़ रुपये करने के लिये कहा है ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या तुंगभद्रा जल-विद्युत योजना के अन्तर्गत जो मद्रास सरकार द्वारा शुरू की गई थी और जो जारी योजना है, सभी निर्माण तथा अन्य कार्य समाप्त हो चुके हैं और क्या यह सही है कि वहां पर केवल जेनरेटर लगाने शेष रह गये हैं तथा मैसूर और आंध्र की सरकारें भारत सरकार को उनके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की स्वीकृति देने के लिये बार-बार कह रही है ?

†**श्री हाथी** : बिल्कुल यही स्थिति है । वहां काम जारी है किन्तु विदेशी मुद्रा की समस्या भारी अड़चन पैदा कर रही है । जो योजनायें योजना की आवश्यक योजनाओं में सम्मिलित की गई हैं पहले उन्हीं के लिये विदेशी मुद्रा दी जा रही है । तुंगभद्रा योजना इनमें शामिल नहीं है । इसलिये इसके लिये विदेशी मुद्रा मिलना कठिन हो रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सारे भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ५० यूनिट है किन्तु आंध्र में द्वितीय योजना को समाप्ति पर यह केवल २५ यूनिट ही रखी गई है । यदि वहां पर सिलरु जल-विद्युत परियोजना को प्रारम्भ कर दिया जाये तो क्या यह कमी पूरी नहीं हो सकती है ?

†**श्री हाथी** : सिलरु जल-विद्युत परियोजना द्वितीय योजना में सम्मिलित है ।

†**श्री तिरुमलराव** : मंत्री महोदय ने बताया है कि योजना आयोग आंध्र प्रदेश की प्रार्थना पर विचार कर रहा है क्या आयोग इसके बारे में शीघ्र ही तथा ठीक समय से निश्चय कर लेगा ताकि आंध्र सरकार इस कमी को इसी योजना अवधि में पूरी कर सके ?

†**श्री हाथी** : योजना आयोग ने उनसे पूछा है कि वह यह बतायें कि उनको प्रत्येक योजना के लिये कितना और रुपया चाहिये । राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या यह सच है कि द्वितीय योजना तैयार करने के समय आंध्र प्रदेश सरकार को यह वचन दिया गया था कि आंध्र प्रदेश में विद्युत् का उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य को विशेष विकास निधि से पृथक् रकम दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : मुझे किसी ऐसे वचन का ज्ञान नहीं है। सामान्यतया जब किसी योजना को आयोजना के अन्तर्गत रखा जाता है तब सरकार उसके लिये रुपया देने की व्यवस्था का भी ध्यान रखती है। किन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई एक विशेष कठिनाई है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पावर की सख्त कमी है उसको पूरा करने के वास्ते सैकिंड फाइव इअर प्लान में क्या किया जा रहा है?

श्री हाथी : हरदुआगंजा पावर स्टेशन को फारिन एक्सचेंज देने के लिये प्लानिंग कमीशन ने सहमति दे दी है।

दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय

†*१६३०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों के बीच हाल में हुये एक सम्मेलन में यह तय किया गया है कि दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से कहीं अन्यत्र ले जाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) इसको कहां पर ले जाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२७]**

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मुख्यालय (हेडक्वार्टर) को हटाने का कार्य कब शुरू होगा ?

†**श्री हाथी** : इसको धीरे धीरे कलकत्ता से मैथोन क्षेत्र में ले जाया जा रहा है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वहां पर पहले बनी हुई इमारतें काफी होंगी या और नई इमारतें बनानी पड़ेंगी ?

†**श्री हाथी** : सम्भव है कुछ नई इमारतें भी बनानी पड़ें।

†**श्री स० चं० सामन्त**: इतनी देर तक कलकत्ता में क्यों मुख्यालय (हेडक्वार्टर) रखा गया और अब क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री हाथी** : निगम ने इसका मुख्य कारण यह बताया है कि इस समय निगम के सारे कर्मचारियों को कलकत्ता में एक साथ रखना कठिन हो गया है। दूसरा कारण यह है कि जब काम हो रहा था उस समय चीफ इंजीनियर और सभी टेक्नीकल स्टाफ कार्य क्षेत्र में ही थे किन्तु वस्तुएं खरीदने, संचार तथा अन्य बातों के लिये कलकत्ता को अधिक उपयुक्त समझा गया था। टेक्नीकल कर्मचारी शुरू से ही घाटी में रहते रहे हैं।

†**श्री रंगा** : सरकार को नये कार्यालयों आदि पर कितना रुपया व्यय करना पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी** : अनुमानतः १५० लाख रुपये। किन्तु निगम से यह कहा गया है कि जब तथा जैसे जैसे वहां जगह उपलब्ध हो वह धीरे धीरे अपने कार्यालय वहां भेजता रहे। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं कि यह सारी राशि इमारतों पर ही व्यय हो।

†**श्री साधन गुप्त** : कितने कर्मचारी वहां जायेंगे और क्या पंचेत पहाड़ी क्षेत्र और मैथोन में उनके बच्चों की शिक्षा आदि के लिये पर्याप्त संख्या में स्कूल तथा कालेज आदि हैं ?

†**श्री हाथी** : मुझे यह नहीं मालूम कि कितने आदमियों को कलकत्ता से घाटी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। उस क्षेत्र में हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिये सभी सुविधायें हैं।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में ऐसे कर्मचारियों की संख्या ८५० बताई गई है। इसमें कितने व्यक्तियों को पंचेत पहाड़ी और कितने व्यक्तियों को मैथोन में भेजा जा रहा है और क्या इन लोगों के लिये वहां पर क्वार्टरों आदि की कोई व्यवस्था है ?

†**श्री हाथी** : अभी तक ८५० आदमियों को भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने बताया है कि हम १५० लाख रुपये की इमारतें बनवाना चाहते हैं। अभी यही निश्चय किया गया है कि जैसे जैसे जगह मिलती जाये धीरे धीरे थोड़े थोड़े कर्मचारियों को वहां भेजा जाता रहे।

†**श्री दासप्पा** : इस समय निगम कलकत्ता में जिस इमारत में है उसका कितना किराया है ?

†**श्री रंगा** : और उसने कितने साल तक यह किराया दिया है ?

†**श्री हाथी** : हम लोग पर्याप्त किराया दे रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : अब तक निगम ने कुल कितना किराया दिया है ?

†**श्री हाथी** : इसके लिये मुझे पृथक सूचना चाहिये।

जल व नाली बोर्ड

†*१९३१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार ऐसे प्रादेशिक तथा राज्य जल व नाली बोर्ड बनाने का है जिन्हें स्थानीय निकायों की ओर से जल बोर्ड व ऋण पत्र द्वारा बाजार से ऋण लेने के वैध अधिकार हों ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). अक्तूबर १९५८ में हुई लोक स्वास्थ्य इंजिनियरों की तीसरी कांफ्रेंस में यह सिफारिश की गई थी कि स्वयं आय वाले उद्योग के रूप में नगर जल संभरण तथा सफाई परियोजना के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये प्रादेशिक और राज्य जल व नाली बोर्ड स्थापित किये जायें। आवश्यक कार्यवाही के लिये यह सिफारिश राज्य सरकारों को बताई गई थी। इस सिफारिश पर अभी तक किसी राज्य सरकार ने कार्यवाही नहीं की है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनायें न भेजे जाने पर वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या यह योजना आरम्भ की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **करमरकर** : यदि राज्य सरकारें इसे आरम्भ नहीं करती हैं तो यह लागू नहीं होगी। मैं समझता हूं कि प्रश्न यह है कि योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि राज्य सरकारें इसे अपने हक्क में नहीं लेती हैं तो क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस दृष्टि से कि राज्य सरकारों ने उत्तर नहीं भेजे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना आरम्भ की जायेगी या नहीं ?

†**श्री करमरकर** : हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें योजना पर विचार करेंगी और उत्तर देंगी। यदि वे कोई उत्तर नहीं देती, तो परिषद की आगामी बैठक में इस पर विचार होगा।

†**डा० सुशीला नायर** : यह एक टेक्निकल मामला है जिस पर अन्य देशों में काफी काम हुआ है, इसलिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों को योजना की तफसील समझाने और अन्य देशों के से आधार पर योजना तैयार करने के लिये क्या सहायता दी है ?

†**श्री करमरकर** : जल योजना बनाने की टेक्निकल जानकारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के पास है। यह तो एक विशेष प्रकार के संस्था के अधीन जल संभरण व नाली के कार्य के प्रयत्नों का समाहार करना है। इसकी भी पर्याप्त जानकारी है। जल व नाली बोर्ड बनाने की जानकारी का अभाव नहीं है। इसमें पहल करना राज्य सरकार का काम है। हमने राज्य सरकारों से इसकी सिफारिश की थी। आशा है कि राज्य सरकारें इसे आरम्भ करेंगी, विशेषकर इस कारण कि प्राक्कलन समिति ने भी इस बारे में ऐसी ही सिफारिश की है।

†**डा० सुशीला नायर** : टेक्निकल जानकारी के होते हुये भी जल व नाली योजनाओं पर काफी अधिक व्यय होता है। इन योजनाओं को काफी मात्रा में स्वावलम्बन के आधार बनाया जा सकता है—पूर्णतया नहीं, अपितु पर्याप्त मात्रा में। मैं इसी जानकारी का उल्लेख कर रही हूं। इस विषय पर भारत सरकार ने क्या अध्ययन किया है और इस अध्ययन के परिणाम राज्य सरकारों को बताने के लिये क्या प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे शंका है कि मैं प्रश्न नहीं समझ पाया हूं। तथ्य यह है कि २८—३० अक्तूबर, १९५८ को हुई लोक स्वास्थ्य इंजिनियरों की तीसरी कांफ्रेंस में यह विचार किया गया था कि स्थानीय निकायों को विद्युत उपक्रमों की भांति स्वयं आय वाले उद्योग के रूप में नगर जल संभरण तथा नाली योजनायें बनाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। प्रत्येक राज्य को ऐसा एक भी आधार जल व नाली बोर्ड बनाने को कहना चाहिये जिन्हें बाजार में ऋण लेने और ऐसी परियोजनाओं के स्थापन के लिये बोंड या ऋणपत्र बेचने का आवश्यक वैध, प्रशासकीय और टेक्निकल अधिकार हो। यह उनकी सिफारिश थी। हमने सिफारिश भेज दी। अधिकतर राज्य सरकारों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि वे मामले पर विचार करेंगी। तत्काल निश्चय करने में उन्हें अवश्य ही कठिनाई हो रही है होगी। यदि राज्य सरकारों को इस मामले में कोई टेक्निकल सहायता चाहिये, तो हम यदि अपने पास है तो उसे या नहीं है तो आवश्यक होने पर बाहर से प्राप्त करके देंगे।

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय मंत्री का कथन है कि इंजिनियरों ने स्वावलम्बन-आधार पर जोर दिया है। अनेकों देशों में यह प्रयोग अनेकों रूप में किया गया है। क्या भारत सरकार ने अब तक इसका अध्ययन किया है और यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : अभी तो मुझे इस का कोई ज्ञान नहीं है। मैं इसकी पूछताछ करूंगा और जानकारी सदन को दे दूंगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस दृष्टि से कि राज्य सरकारों ने कोई उत्तर नहीं दिया है, क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं इसे कार्यान्वित करने पर विचार करेगी ?

†**श्री करमरकर** : हम इसे लागू नहीं कर सकते। यह मामला पूर्णतया राज्य सरकारों का ह। हम अपना निर्णय उन पर नहीं लाद सकते।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि यह सामान्य वित्त नीति का मामला है कि क्या स्थानीय निकायों को जल बोर्ड, आदि बेच कर बाजार से ऋण लेने का अधिकार है, मुझे डर है कि क्या यह मामला रिजर्व बैंक से परामर्श किये बिना ही और स्वयं सरकार का यह निश्चित विचार बनाये बिना कि वह स्थानीय निकायों को बाजार में ऋण लेने की अनुमति देगी राज्य सरकारों का मत लेने के लिये भेजा गया है ?

†**श्री करमरकर** : यह उस समय भी हुआ था जब कि मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्रालय में थे।

†**श्री त्यागी** : : नहीं।

†**श्री करमरकर** : यह स्पष्ट बात है और मेरे माननीय मित्र इसे मेरी अपेक्षा अधिक जानते हैं। उदाहरणार्थ, सौराष्ट्र सरकार ने यह आश्वासन पाने पर कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता करेगी, पहिले चार नगरपालिका निकायों को अपनी सहायता करने के लिये ऋण लेने को तैयार किया। सामान्य प्रक्रियानुसार वित्त मंत्रालय बीच में आता है। मैं नहीं जानता कि रिजर्व बैंक बीच में आता है या नहीं। ये सारी औपचारिक आवश्यकताओं का ऋण, आदि प्राप्त करने के पहले पालन होता है।

†**श्री त्यागी** : यदि राज्य सरकारों को भी ऋण, आदि लेना होता है तो वे भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेती है। अर्थात्, उन्हें भी इस प्रकार ऋण लेने की स्वतन्त्रता नहीं हैं।

†**श्री करमरकर** : इस प्रश्न का उत्तर, कदाचित गलत उत्तर देने के प्रयत्न में मुझे वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिये।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस मान्यताप्राप्त योजना के अधीन क्या सरकार ने दोनों बोर्डों को ये निदेश दिये हैं कि उनके पास इस बात का पता लगाने के लिये पर्याप्त धन होना चाहिये कि मल पानी में न मिले ? बम्बई नगरपालिका ने केवल पिछले सप्ताह में ही चेतावनी दी थी नाली का पानी पानी के नलों में घुस गया है। क्या पानी के नलों में नाली के पानी के घुसने का पता लगाने और तत्काल मरम्मत के लिये विशेष राशियां आवंटित की जाती हैं ?

†**श्री करमरकर** : यदि मल पानी के नलों में घुस जाता है तो इसके लिये इन जल व नाली बोर्डों की स्थापना तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक गम्भीर बात है। मुझे इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं है कि कहीं मल पानी के नलों में घुस गया है। यदि ऐसा हुआ है तो, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं और मैं राज्य सरकार को अविलम्ब ही बताना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संयुक्त जल व नाली बोर्डों से ऐसी ही कठिनाई होती है।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : मैं नहीं समझता कि दिल्ली में ऐसा होता है । मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र किसी भी स्थान पर ऐसी घटना के बारे में जानते हैं या नहीं । परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पानी के नलों में मल नहीं घुसा है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : पिछले सप्ताह बम्बई के नगरपालिका इंजिनियर ने जनता को पानी को उबालने की चेतावनी दी थी क्योंकि नाली का पानी पानी के नलों में घुस गया था । इसी कारण मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : पिछले साल दिल्ली में यही हुआ था ।

†**एक माननीय सदस्य** : कलकत्ता में भी ।

†**श्री करमरकर** : मैं नहीं जानता; मैं इस बारे में जानना चाहता हूं । यह बहुत ही गम्भीर बात है क्यों कि यदि मल पानी के नलों में घुस जाता है तो इसका प्रभाव नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है । यदि बम्बई में कोई बात होती है, तो मेरे माननीय मित्र को केवल बम्बई के प्राधिकारियों से ही कहना चाहिये यहां नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मद्रास में वन लगाने के लिये सहायता

†*१९१२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य को १९५८-५९ में वन के अधिक पेड़ लगाने के लिये कितनी टेक्निकल तथा वित्तीय सहायता दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : राज्य सरकार ने किसी टेक्निकल सहायता की प्रार्थना नहीं की । १९५८-५९ में वन के पेड़ लगाने में वृद्धि करने के लिये मद्रास राज्य को कोई अलग अनुदान या ऋण नहीं दिया गया । परन्तु राज्य की वनविज्ञान तथा मिट्टी संरक्षण योजनाओं के लिये ६·५३ लाख रु० का अनुदान और २७·४७ लाख रु० का ऋण दिया गया । इन में वनरोपण की योजनायें भी सम्मिलित थीं ।

पंजाब में सरई[१] तथा शहतूत के पेड़ लगाना

†*१९१६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के खेल कूद उद्योग के लिये अपेक्षित सरई व शहतूत के पेड़ लगाने के लिये राज्य सरकार को कोई सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की कार्यान्वित के लिये क्या सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अभी तक राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Willow.

उड़ीसा में चीनी का कारखाना

†*१९१८. **श्री संगण्णा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ५ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में सहकारी चीनी कारखाना के लिये स्थगित ऋण योजना के अधीन मशीन प्राप्त करने का कोई निश्चय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) तथा (ख). विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण भारत सरकार ने निश्चय किया है कि स्थगित भुगतान के आधार पर भी विदेशों से चीनी कारखानों के लिये अधिक मशीनें आयात करने की अपेक्षा देश के संयंत्र निर्माताओं को चीनी संयंत्र और मशीन का निर्माण करना चाहिये। जनवरी, १९६१ से पहिले चार संयंत्रों और अक्टूबर, १९६१ में अन्य सात संयंत्रों के संभरण के लिये देश के चीनी संयंत्र निर्माताओं के साथ प्रबन्ध हो गया है। गंजक जिले में असका सहकारी चीनी कारखाना को अक्टूबर, १९६१ तक मशीन प्राप्त होने की आशा है।

हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील के लिये खाद्यान्न

†*१९१९. **श्री नेक राम नेगी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के चीनी क्षेत्र को, जो अभाव क्षेत्र है, खाद्यान्न के संभरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या चीनी के लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न देने का कोई प्रबध है;

(ग) यदि हां, तो १९५८-५९ में इस व्यवस्था से कितने लोगों को लाभ पहुंचा; और

(घ) उस क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न के वितरण की क्या व्यवस्था है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). चीनी तहसील में खाद्यान्न आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर वितरित किया जाता है और खाद्यान्न आयात किये गये उस स्टाक का होता है जो केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश को देती है।

(ग) लाभ चीनी तहसील की सम्भवतः समस्त जनता को प्राप्त है।

(घ) वितरण तहसीलदार की देख-रेख में सहकारी समितियों व पंचायतों द्वारा होता है।

पूर्वोत्तर रेलवे की वर्कशाप में आग

†*१९२१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मास पूर्व पूर्वोत्तर रेलवे की आइज़टनगर (बरेली, उत्तर प्रदेश) वर्कशाप में बड़ी भारी आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो घटना की तफसील क्या है और उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) क्या आग का कारण जानने की दृष्टि से कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १२-२-१९५८ को पूर्वोत्तर रेलवे की आइजटनगर वर्कशाप में आग लग गई थी।

(ख) १२-२-८९ को २०-१५ बजे एक सिपाही ने शेड के उत्तरपूर्वी कोने में जहां मशीनों के बक्से पड़े थे कुछ चिंगारियां व प्रकाश देखा और देखा कि कुछ बक्सों में आग लग गई है। कारखाने का आग बुझाने का इंजन बुलाया गया और आग पर २१३० बजे काबू पा लिया गया तथा २२-२० बजे उसी दिन वह पूर्णतया बुझा दी गई। आग से लगभग २३,००० रु० की हानि हुई।

(ग) तथा (घ). आग के कारण का पता लगाने के लिये चार वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति बनाई गई। समिति की खोज यह थी कि किसी बदमाश या बदमाशों ने आग लगाई थी।

केरल में चीनी का कारखाना

†*१९२३. { श्री वें० प० नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से पालघाट जिले में एक सहकारी चीनी कारखाना खोलने की अमनुति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस दृष्टि से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग की सम्पूर्ण लक्षित क्षमता के लाइसेन्स दे दिये गये थे, राज्य सरकार को सूचित किया गया कि किसी भी नये कारखाने के लिये लाइसेन्स के लिए उसकी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

डमडम हवाई अड्डे पर तोलने का कांटा

†*१९२६. श्री हाल्दर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९५८ से डमडम हवाई अड्डे पर सामानवाहक विमान का तोलने का कांटा बेकार पड़ा है ;

(ख) यदि हां तो इसे ठीक न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) डमडम हवाई अड्डे पर सामानवाहक अनुसूचित विमान का भार किस तारीख को आंका गया था ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) तथा (ख). तोलने के कांटे ठीक हैं और उन पर अलग-अलग पैकिट तोले जाते हैं। परन्तु पूरी तरह भरे विमान को तोलने का कांटा १७-९-१९५८ से बेकार है क्योंकि नया कांटा लगाया जा रहा है।

(ग) १०-८-१९५८।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे में चोरियां

†३२४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में उत्तर रेलवे में रेलवे सामान की कितनी चोरी हुई ; और

(ख) इस चोरी की अन्य रेलों पर चोरी के साथ तुलनात्मक स्थिति कैसी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) अप्रैल, १९५८ से फरवरी १९५९ के बीच उत्तर रेलवे में १,१८,८१३ रु० के मूल्य के रेलवे सामान की चोरी हुई ।

(ख) इस रेलवे पर रेलवे सामान का मूल्य, जो चोरी हो गया, पूर्व, दक्षिण-पूर्व, मध्य और दक्षिण रेलवे के चोरी गये सामान के मूल्य से कम है, परन्तु उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व सीमा और पश्चिम रेलवे की चोरियों के मूल्यों से अधिक है ।

दिल्ली में ट्रामें

†३२४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि १९५८-५९ में दिल्ली में ट्रामों से कुल कितना लाभ या हानि हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १९५८-५९ में दिल्ली में ट्रामों के चलने से, पुनरीक्षित प्राक्कलनों के आधार पर, ३·७२ लाख रु० की हानि होने की सम्भावना है ।

विभिन्न बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं में मजदूरों को सुविधायें

†३२४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को परियोजनाकार, आवास सहित, कैसे सुविधायें प्राप्त हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२८]**

सवारी-डिब्बे

†३२४९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भारत में श्रेणी और कारखानावार रेल के कितने सवारी-डिब्बे बनाये गये;

(ख) उसी काल में कितने डिब्बों का देशवार आयात किया गया; और

(ग) उन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२९]**

(ग) लगभग २९,५९,३९१ पौंड।

चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना

†३२५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना ने उत्पादन आरम्भ होने के बाद निम्न बातों सम्बन्धी कुल कितने मूल्य का कार्य किया है :

(१) नये इंजनों का उत्पादन व तैयार करना;

(२) पुराने इंजनों की मरम्मत; और

(३) रेलवे इंजनों के पुर्जों का निर्माण ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (१) २७-९-५८ तक बने इंजनों के लिये ४१२२·७१ लाख रु० का। २७-९-५८ के बाद बने इंजनों का मूल्य अभी निश्चित नहीं हुआ है।

(२) चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना पुराने इंजनों की मरम्मत नहीं करता।

(३) दिसम्बर, १९५८ तक रेलवे के लिये २७·२२ लाख रु० का काम किया।

पंजाब में खाद्य उत्पादन

†३२५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक (योजना और वर्षवार) पंजाब को खाद्यान्न उगाने के लिये कुल कितना धन दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३०]**

'डिपथीरिया'

†३२५२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में भारत में कितने बच्चे 'डिपथीरिया' से मरे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५८ में भारत में डिपथीरिया से मरे बच्चों की संख्या, जो राज्य सरकारों/प्रशासनों ने दी है, संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३१]**

बम्बई में भूमि संरक्षण

†३२५३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य को १९५९-६० में भूमि संरक्षण के लिये कुल कितना धन आवंटित किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : निम्नलिखित योजनाओं के लिये ३२१·८३ लाख रु०:—

भूमि संरक्षण योजनायें . . .	३०८·४ लाख रु०
माल-भूमि का कृष्यकरण	५·० लाख रु०
ढलाऊ जमीन पर कियारियां बनाना . . .	८·४३ लाख रु०

बम्बई में छोटी सिंचाई योजना

†**३२५४. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में भारत सरकार को बम्बई सरकार से कोई नई छोटी सिंचाई योजना प्राप्त हुई थी; और

(ख) क्या इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष अनुदान दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). हां श्रीमान् । परन्तु इनके योजना में सम्मिलित न होने के कारण से मंजूर नहीं की गईं । राज्य सरकार से आयोजित योजनाओं से, जो पहिले ही स्वीकृत हो चुकी हैं, पूरा करने के लिये कहां गया और इसके लिये १०० लाख रु० का अधिक अनुदान मंजूर किया गया ।

लाहौल और स्पिति क्षेत्र में डाक तथा तार कर्मचारियों का विशेष वेतन तथा भत्ता

†**३२५५. श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौल तथा स्पिति (पंजाब) के बर्फीले क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों को कितना विशेष वेतन तथा भत्ते मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) पंजाब राज्य सरकार के असैनिक कर्मचारियों के वेतन की तुलना में इनकी क्या स्थिति है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) लाहौल तथा स्पिति में कजा, लोटे और कीलांग के डाक कर्मचारियों को निम्न वर्गीकृत दर पर प्रतिकरात्मक और मकान किराया भत्ता दिये जाते हैं :

(१) वेतन क्रम	प्रतिकरात्मक भत्ते की दर
१—६० रु० प्रति मास	३ रु० प्रति मास
६०—१०० रु० प्रति मास	५ रु० प्रति मास
१०१—१०६ रु० प्रति मास	७ रु० प्रति मास
१०७ रु० या अधिक प्रति मास	१० रु० प्रति मास

(२) वेतन क्रम	मकान किराया भत्ता दर
१—५५ रु० प्रति मास	५ रु० प्रति मास
५५—१०० रु० प्रति मास	७ रु० प्रति मास
१०० रु० से अधिक प्रति मास	१०७ रु० से जितना कम वेतन मिलता हो ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को निम्न प्रतिकरात्मक भत्ता मंजूर किया है :

(१) स्थानीय भर्ती किये गये कर्मचारियों को अधिकतम ६५ रु० वेतन तक वेतन का ५० प्रतिशत और

(२) जो कर्मचारी लाहौल और स्पिति घाटी के नहीं हैं परन्तु वहां काम करते हैं उन्हें वेतन का १०० प्रतिशत।

छोटे पत्तनों का विकास

†३२५६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक जिन छोटे पत्तनों का विकास किया गया है, उनके क्या नाम हैं ;

(ख) उन पत्तनों पर क्या विकास-कार्य किया गया है और उस पर कितना धन खर्च हुआ है ; और

(ग) इस कार्य की वर्तमान प्रगति क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). छोटे पत्तनों के विकास की जिम्मेवारी मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। पंच वर्षीय योजनाओं में जो विकास योजनायें सम्मिलित हैं, उनके लिये केन्द्रीय सरकार, जहां उचित हो, ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देती है। एक विवरण संलग्न है जिसमें उन छोटे पत्तनों के नाम जिन पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में काम किया गया है, विकास-कार्य का स्वरूप, किया गया खर्च और अब तक हुई प्रगति बतायी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी०—१३६६/५६]**

गोदी श्रमिकों का कल्याण

†३२५७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन के गोदाम श्रमिकों और गोदी श्रमिकों के कल्याण के लिये कोई योजना लागू की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब लागू की जायेगी और इसके अधीन क्या उपबन्ध रखे जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). कोचीन पत्तन प्रशासन द्वारा सीधे ही कोई गोदाम श्रमिक नहीं रखे गये हैं। पत्तन प्रशासन द्वारा केवल वे श्रमिक रखे जाते हैं जिनकी घाट से शेड तक और शेड से घाट तक माल लाने ले जाने के लिये आवश्यकता होती है। उनके लिये पत्तन पर पाखाना और पेशाबघर की व्यवस्था है। काम के स्थान पर शेल्टर, रेस्ट शेड—जिनमें खाना पकाने व पीने के पानी की सुविधा रहती है—प्राथमिक चिकित्सा का सामान और डाक्टरी चिकित्सा (अन्दर और बाहर) की व्यवस्था है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान नहर परियोजना

†३२५८. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना पर धन लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार में क्या बातें तय हुई हैं ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में हुए करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जावेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). राजस्थान नहर परियोजना की क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को ब्याज पर ऋण दे रही है । इस ऋण के और इसके पुनर्भुगतान के बारे में अभी अन्तिम रूप से शर्तें तय नहीं हुई हैं ;

भटिण्डा से जामसर तक रेलवे लाइन

†३२५९. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामसर से सिन्दरी कारखाने को भेजे जाने वाले जिप्सम को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए क्या भटिण्डा से जामसर तक (उत्तर रेलवे की) मीटर गेज लाइन के स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ताकि भटिण्डा में मीटर गेज से बड़ी लाइन की गाड़ी में सामान लादने की असुविधा दूर की जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रश्न पर कब विचार किये जाने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राजस्थान में सड़क विकास योजनायें

†३२६०. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को सड़क विकास योजनाओं के लिये कितना अनुदान दिया है;

(ख) कितने धन का उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ग) इसके उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३२]**

उत्तर प्रदेश में गौशालायें

†३२६१. **श्री सरजू पांडे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गोशाला विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिये अब तक कितनी गौशालायें मंजूर की जा चुकी हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त अवधि में इस योजना पर कितना धन व्यय किया और शेष काल में कितना और खर्च करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ३४ ।

(ख)

वर्ष	खर्च में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा रुपये
१९५६–५७	८५,८३९
१९५७–५८	१,४५,२५७
१९५८–५९	१,०४,७००
१९५९–६० } १९६०–६१ }	५,६२,३०४
कुल	८,९८,१००

हिमाचल प्रदेश में आलू उत्पादक

†३२६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५९ में हिमाचल प्रदेश में आलू उत्पादकों को कितना ऋण दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: १९५७ में विशेष रूप से आलू उगाने के लिये किसानों को कोई ऋण नहीं दिया गया परन्तु सहकारी समितियों द्वारा अपने कृषक सदस्यों को जुलाई, १९५७ से जून, १९५८ के सहकारी वर्ष में आलू के उत्पादन समेत कृषि कार्यों के लिये १०,८१,४०९ रुपये की अल्प-कालीन पेशगियां दी गयीं । १९५९ में किसानों को आलू उगाने के लिये अभी तक कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

कोयम्बटूर हवाई अड्डा

†३२६३. **श्री नंजप्प** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर सुधार और विस्तार-कार्य के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) लगभग ९२ प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है ।

(ख) इस कार्य के अगस्त, १९५९ तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्न का संभरण

†३२६४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में हिमाचल प्रदेश में कितने गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ और उनकी कितनी खपत हुई ; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) इसी कालावधि में केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कितना चावल और गेहूं दिया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** (क) हिमाचल प्रदेश में १९५७–५८ और १९५८–५९ में चावल के उत्पादन के आंकड़े और १९५७–५८ में गेहूं के उत्पादन के आंकड़ें निम्न प्रकार हैं :

(हजार टनों में)

वर्ष	चावल	गेहूं
१९५७–५८	४३	७६
१९५८–५९	४१	अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

हिमाचल प्रदेश में १९५८–५९ में गेहूं के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्भ नहीं हैं ।

हिमाचल प्रदेश में वर्ष प्रति चावल और गेहूं के उपभोग की मात्रा के मूल्यांकन के बारे में विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख)

दी गयी मात्रा (टनों में)

वर्ष	चावल	गेहूं
१९५७–५८ (१ अप्रैल से ३१ मार्च तक)	शून्य	१,६७०
१९५८–५९ (१ अप्रैल से ३१ मार्च तक)	२१३	३,३६३

सहकारी खेती समितियां

३२६५. श्री खुशवक्त राय : क्या **सामुदायिक विकास और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में (राज्यवार) कितनी सहकारी खेती समितियां पूंजीबद्ध की गयी ; और

(ख) उक्त अवधि में उन्होंने क्या प्रगति की ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सूचना मिलने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

दामोदर घाटी निगम नौपरिवहन नहर

†**३२६६. श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर सें कलकत्ता तक नौपरिवहन बनाये रखने के लिये दामोदर घाटी निगम मंत्रणा समिति ने कलकत्ता और कुलटी के मुहाने के बीच मिट्टी साफ़ करने पर लगने वाली लागत पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि यदि गंगा बांध को बनाया गया तो इस मिट्टी पर उसका असर दस वर्ष बाद पड़ेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) समिति के निदेश पदों में यह प्रश्न नहीं था।

(घ) गंगा बांध के निर्माण पर लगने वाले समय और इससे होने वाले लाभ की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस मिट्टी पर गंगा बांध का अच्छा असर पड़ने में ७ से १० वर्ष लग सकते हैं।

हावड़ा स्टेशन पर भ्रष्टाचार

†३२६७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **रेलवे** मंत्री १४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा स्टेशन पर कुछ रेलवे कर्मचारियों पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों का पता लगा है और कितने मामले साबित हुए हैं; और

(ग) हावड़ा स्टेशन पर भ्रष्टाचार रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जांच अभी हो रही है।

(ख) स्थान-शुल्क को छोड़ने में अनियमितता के कुछ मामलों का पता लगा था।

(ग) इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है कि कर्मचारियों द्वारा स्थान-शुल्क अनियमित रूप से छोड़ा न जा सके। ऐसे सब मामले जिन में किसी भी कारण से स्थान-शुल्क लगता है, आदेश के लिये एक गजटेड अफसर के सामने पेश किये जाते हैं जो हर मामले के बारे में उसके गुणावगुणों के आधार पर फैसला करता है।

केन्द्रीय होमियोपैथीक चिकित्सा पद्धति परिषद्

†३२६८. **श्री स० च० सामन्त**
श्री सुबोध हंसदा

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने एक केन्द्रीय होमियोपेथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् की स्थापना के बारे में दवे समिति की सिफ़ारिशों का समर्थन नहीं किया है;

(ख) दवे समिति की सिफ़ारिशों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में अन्तिम रूप से कोई फैसला कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने जनवरी, १९५८ में दवे समिति की सिफ़ारिशों, जिन में एक केन्द्रीय होमियोपेथिक चिकित्सा पद्धति परिषद की स्थापना के बारे में भी सिफारिश है, और राज्य सरकारों के विचारों पर विचार किया। उस ने यह अनुभव किया कि मौजूदा हालतों में सब राज्यों के लिये एक सम नीति बनाना सम्भव नहीं है और राज्य सरकारें वह कार्यवाही कर सकती हैं जो कि वे होमियोपेथी और अन्य देशी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिये व्यवहार्य और उचित समझें। उस ने यह भी सिफारिश की कि केन्द्रीय सरकार इन पद्धतियों में गवेषणा को क्रियात्मक रूप से प्रोत्साहन दे।

(ग) और (घ). अतः देशी चिकित्सा पद्धति के स्तर को ऊंचा उठाने और इस में गवेषणा करने के लिये वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा और कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

चरखी दादरी स्टेशन पर पानी के नल

†**३२६९. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरखी दादरी स्टेशन पर पानी के नल लगाने के लिये सब सामान प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो पानी के नल कब लगाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, नहीं। हाई सर्विस टैंक और कुछ फिटिंग अभी बाकी है।

(ख) इस कार्य के चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है। तथापि, कुछ पानी के नलों पर अस्थायी पानी के कनेक्शन शीघ्र ही दे दिये जायेंगे।

चंडीगढ़ में उड्डयन क्लब

†**३२७०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में चंगीगढ़ में एक उडुयन क्लब स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्लब कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पर्यटन का संशोधित कार्यक्रम

३२७१. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री पांगरकर :
श्री दिनेश सिंह : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने पर्यटन के लिये निश्चित दो करोड़ रुपयों को कम कर के एक करोड़ १० लाख रुपये कर देने की सलाह दी थी, क्या उसके अनुसार संशोधित कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस संशोधित कार्यक्रम पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां।

(ख) आयोजना आयोग की स्वीकृति के अनसार संशोधित कार्यक्रम के बारे में व्योरेवार विवरण साथ में दिया जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३३]**

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कोटा

†३२७२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में अनसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये सेवाओं में रक्षित कोटा १९५८-५९ में ग्रेड-वार भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह कोटा कब तक भर लिया जायेगा; और

(ग) इन जातियों और आदिम जातियों के अब तक, ग्रेड-वार कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अनसूचित जातियां : जी, नहीं।

अनसूचित आदिम जातियां : जी, कोई रक्षित कोटा नहीं है।

(ख) (१) कुछ श्रेणियों में अभ्यर्थियों की वास्तविक भर्ती कुछ समय तक प्रशिक्षण के बाद की जाती है जो कि प्रशिक्षण स्कूलों में उपलब्ध क्षमता पर निर्भर है, और (२) कुछ टेक्निकल श्रेणियों में इस जाति के सदस्य पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक समय का सम्बध है, जब तक कि यह कोटा भरा जायेगा, इस बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

नाविकों का कल्याण

†३२७३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
{ **सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाविकों की कल्याण सुविधाओं के बारे में विचार करने के लिये नियुक्त की गई राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की विशेष उपसमिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) कौन-कौन सी सिफ़ारिशें अभी कार्यान्वित नहीं की गई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). जैसा कि १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४४ के उत्तर में बताया गया था, बन्दरगाहों में नाविकों के कल्याण सम्बन्धी विशेष उपसमिति के प्रतिवेदन पर नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की सिफ़ारिशें प्राप्त होने के बाद ही, सरकार जहां कहीं भी आवश्यक होगा, उनको कार्यान्वित करने के लिये पग उठायेगी। यह आशा की जाती है कि प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये बोर्ड की बैठक ४ मई, १९५९ को बम्बई में होगी।

रेलवे पर सिगनलिंग तथा दूर-संचार

†**३२७४. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६००. के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे पर सिगनलिंग तथा दूर-संचार में सुधार करने के कार्य में अब तक और क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** एक विवरण संलग्न है जिस में अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३५]**

सालन्दी जलाशय परियोजना, उड़ीसा

†३२७५. { **श्री पाणिग्रही :**
{ **श्री संगण्णा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सालन्दी नदी पर जलाशय परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) से (ग). योजना आयोग ने सालन्दी परियोजना अभी स्वीकृति नहीं दी है। क्षेत्र के समूचे विकास के लिये वैतरणी नदी पर प्रस्तावित भीमकुण्ड परियोजना को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रारम्भिक कार्य, अर्थात् कर्मचारियों के क्वार्टरों, कार्यालय भवन व उपागमन सड़कों का निर्माण और छोटी नहरों और नालियों के लिये भूमि अर्जन का काम, लगभग पूरा हो गया है। परियोजना के योजना आयोग द्वारा अन्तिमरूप से मंजूर किये जाने पर ही बांध बनाया जा सकता है। अतः इस में शंका है कि परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरी हो जायेगी।

रेलने में चोरियां और बिना टिकट यात्रा

†३२७६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनके क्षेत्राधिकार में १९५७ और १९५८ में चलती गाड़ियों में सबसे अधिक चोरियां हुई ;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनके क्षेत्राधिकार में १९५७ और १९५८ में बिना टिकट यात्रा करने के मामले सबसे अधिक हुए; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) १९५७ और १९५८ में चलती यात्री गाड़ियों में चोरी की सबसे अधिक घटनायें बम्बई राज्य में हुई और चलती माल गाड़ियों में चोरी की सबसे अधिक घटनायें पश्चिमी बंगाल में हुई।

(ख) पता लगे मामलों के आधार पर बम्बई राज्य।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३६]**

पूर्वोत्तर रेलवे पर जनता ट्रेन का देरी से चलना

†३२७७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा ऋतु के बाद भी पूर्वोत्तर रेलवे की जनता फास्ट पैसेंजर ट्रेन कभी समय पर नहीं चलती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नवम्बर, १९५८ से पूर्वोत्तर रेलवे के सब जि ों में फ़ास्ट पैसेंजर, एक्सप्रेस और मेल गाड़ियां किस हद तक समय पर चलीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। तथापि संख्या ३४ डाउन लखनऊ-कटिहार जनता फ़ास्ट पैसेंजर ट्रेन सन्तोषजनक रूप से समय पर नहीं चली है।

(ख) इन गाड़ियों विशेषतः संख्या ३४ डाउन के ठीक समय पर न चलने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) बरौनी जंकशन और कटिहार के बीच यार्डों और लूपों का नव-निर्माण।

(२) नये बनाये गये किनारों और अन्य अस्थायी कार्यों के कारण लगाये गये इंजीनियरिंग प्रतिबन्ध।

(३) खतरे की जंजीर का दुरुपयोग।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) रास्ते में क्षतिग्रस्त हुए डिब्बों को पृथक् करना और यार्ड की कठिनाइयों के कारण रेक्स के देरी से लगने से कटिहार से गाड़ियों का देरी से रवाना होना।

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३७]**

हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्र

३२७८. { **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष १९५८–५९ में कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : वर्ष १९५८–५९ के दौरान हिमाचल प्रदेश में छः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नीचे लिखी जगहों में खोले गये :—

(१)	चरगांव	जिला महासू
(२)	सराहां	
(३)	सूनी	
(४)	संडोल	जिला मण्डी
(५)	स्यांज	
(६)	किहार	जिला चम्बा

राजस्थान नहर परियोजना

†३२७९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी मुख्य राजस्थान नहर और उसकी शाखाओं को पंक्तिबन्दी के बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक अन्तिम निश्चय हो जायगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). १९५७ में मूल परियोजना का जो अनुमान स्वीकृत किया गया था उसमें राजस्थान नहर और उसकी राजस्थान के इलाके की शाखाओं की पंक्तिबन्दी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। निर्देशकों की समिति ने अब यह सुझाव दिया है कि राजस्थान को सहायक नहर का २३ मील का जो टुकड़ा राजस्थान के इलाके में है उसको पंक्ति बन्द करना चाहिए। इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय होने वाला है।

बम्बई में क्षयरोग रुजालय

†३२८०. **श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में बम्बई में केन्द्रीय सहायता से कितने क्षय रोग रूजालय खोले गये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राज्य सरकार ने १९५९-६० में केन्द्रीय सहायता से और रुजालय खोलने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार की सहायता से बम्बई में कोई क्षय रोग रूजालय नहीं खोला गया।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार १९५९-६० में अकोला, वर्धा, येतमाल और अरंगाबाद में प्रत्येक स्थान पर एक-एक क्षय रोग रूजालय खोलना चाहती है। इनके लिये 'क्ष' किरण यन्त्रों और अन्य प्रयोगशाला उपकरणों के प्रश्न पर सभी राज्यों की मांगों के साथ-साथ तभी विचार किया जायेगा जबकि राज्य सरकार इनके लिये आवश्यक इमारतें बना लेगी और कर्मचारी भर्ती कर लेगी।

फिरोजपुर डिवीजन में स्टेशनों पर बिजली लगाना

†**३२८१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फीरोज़पुर डिवीजन ३१ मार्च १९५९ तक कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई जा चुकी है ; और उनके नाम; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस डिवीज़न में के और किन किन स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (ख) तथा (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है [**देखिय परिशिष्ट ६, अनुन्ध संख्या १३८**]

परिवार नियोजन

†**३२८२. श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८-५९में भिन्न राज्य सरकारों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये जो अनुदान दिये गये थे उनका पूरा उपयोग नहीं हुआ है और वे वापस लौटा दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी रकम लौटाई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर** : (क) १९५८-५९ में राज्य सरकारों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये दिये गये रुपये में से वास्तव में कितना रुपया उपयोग किया है इसकी सूचना अभी नहीं मिल सकी है।

नये तरीके के अनुसार यह रकम योजना आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित अनुमानों के अनुसार 'अग्रिम मार्गोपायों' के रूप में दी जाती है। वर्ष के अन्त में इन अग्रिमों के प्रति सन्तुलन करने के लिये अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं।

(ख) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हो सकता है कुछ राज्य अस्थायी रूप से दी गई पेशगियों का अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के न मिलने के कारण पूरा-पूरा उपयोग न कर पाये हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व रेलवे में सुरक्षा संगठन

†३२८३. **श्री सुबिमन घोष :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये हाल में कोई सुरक्षा संगठन खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन में कितने गज़िटिड और कितने नॉन गज़िटिड अधिकारी हैं ।

(ग क्या इस संगठन की स्थापना के बाद पूर्व रेलवे में कोई बड़ी या छोटी रेल दुर्घटना हुई है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ;

(ङ) इस संगठन द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या ठोस सुझाव दिये गये हैं ;

(च) इस संगठन ने अब तक इस ज़ोन के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध लापरवाही की शिकायतें की हैं ; और

(छ) इस संगठन ने अब तक किस प्रकार के अपराध अधिकारियों के सामने रखे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) प्रत्येक रेलवे में, पूर्व रेलवे समेत एक-एक सुरक्षा संगठन स्थापित किया गया है । ये संगठन रेलों के संचालन में सुरक्षा संबंधी उपायों के पालन कराने के लिये बनाये गये हैं ।

(ख) सुरक्षा अधिकारी, गज़िटिड १

सुरक्षा इंस्पेक्टर, नॉन गज़िटिड (क्लर्कों तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) . . . १०

उपर्युक्त सूचना केवल पूर्व रेलवे के बारे में है ।

(ग) तथा (घ). यह संगठन जून, १९५८ में बना उस समय से लेकर ९ महीने तक की अवधि अर्थात् फरवरी १९५९ तक इस रेलवे पर प्रतिमास औसतन दो भिड़न्त की छोटी दुर्घटनाएं और गाड़ी के पटरी से उतरने की ११ छोटी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं । इस संगठन के कार्य का प्रभाव कुछ दिनों बाद मालूम होगा ।

(ङ) तथा (च). इस संगठन का मुख्य कार्य दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करना, लाइनों और स्टेशनों की जांच करना और यह देख भाल करना है कि सभी रेलवे कर्मचारी सुरक्षा नियमों का भली भांति पालन कर रहे हैं या नहीं, रेलवे कर्मचारियों को व्यक्तिगत सम्पर्क तथा लिखित सामग्री के वितरण के द्वारा सुरक्षा नियमों से परिचित कराना व उनकी याद दिलाते रहना, और सभी कर्मचारियों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना है । इस प्रकार यह संगठन केवल सुझाव या रखने या शिकायतें करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है और न ही ऐसी शिकायतों की संख्या की रेलवे की कार्यक्षमता को अन्दाज़ा लगाने के उपयुक्त मापदंड है ।

(छ) इस संगठन के अधिकारियों तथा इंस्पेक्टरों द्वारा पकड़े गये अपराधों में सुरक्षा नियमों के पालन न करने से लेकर कर्त्तव्य पालन में प्रमाद, आलस्य, उदासीनता तथा अनुशासनहीनता तक के अनेक प्रकार के अपराध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अलीपुर विकास खंड

३२८४. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अलीपुर के विकास खंड के किसानों ने यह शिकायत की है कि रबी आंदोलन के सिलसिले में उन्हें जो २८१—सी बीज दिया गया था वह उस खंड की भूमि के लिये उपयुक्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन को इस संबंधमें कोई हिदायतें दी गयी हैं ; और

(ग) उन हिदायतों का स्वरूप क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक और तार की सुविधायें

३२८५. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८—५९ के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों तथा, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और टिहरी गढ़वाल में से प्रत्येक जिले के किन-किन स्थानों पर नये शाखा डाकघर, उप—डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन-गृह, टेलीफ़ोन एक्सचेंज और तार घर खोले गये ; और

(ख) उपरोक्त जिलों के लिये उपरोक्त सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से सन् १९५९—६० के वित्तीय वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३९]**

उत्तर प्रदेश में तिब्बत सीमा तक सड़कों का निर्माण

३२८६. श्री भक्त दर्शन: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा तिब्बत से मिलती है, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ सड़कों के निर्माण का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी प्रत्येक सड़क का स्थान, लम्बाई व खर्च के अनुमान आदि बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) उन सड़कों के निर्माण के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ; और

(घ) उनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके के विकास की सड़क योजनाओं से है जिनके लिये केन्द्र से इस प्रदेश की सरकार ने सहायता के लिये अनुदान मांगे थे । इनमें से १९ योजनाओं के लिये १६०.५३ लाख रुपये के अनुदान मंजूर किये जा चुके हैं । इन योजनाओं **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४०]** की सूची साथ में दी जा रही है । इनमें से कुछ तो हाल ही में पूरी हो

†मूल अंग्रेजी में

चुकी हैं और बाकी बहुत सी योजनाओं पर काम तेज़ी से हो रहा है । इस क्षेत्र के लिये सड़क की योजनाओं के कुछ और सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आशा की जाती है कि इस बारे में जल्दी ही फैसला हो जावेगा । इनमें से बहुत सी सड़कें तो पहले से ही बनी हुई हैं और विकास के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इनको सुधारा जा रहा है ।

छपरा में नगरपालिका जल संभरण व्यवस्था

†३२८७. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर पब्लिक हैल्थ डिवीज़न के एक्सिक्यूटिव इंजीनियर ने पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मेनेजर, गोरखपुर, को चपड़ा के लाइन पार रेलवे रोड पर के दूसरी तरफ रहने वाले नगरवासियों को नगरपालिका का जल सप्लाई करने के लिये मार्ग देने के लिये प्रार्थना की है! और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना और उसके प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र

†३२८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं तथा वे कहां कहां पर हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर आठ परिवार नियोजन केन्द्र हैं :—

(१) हिमाचल प्रदेश अस्पताल, स्नोडाईन, शिमला ।

(२) सोलन, महासु जिला ।

(३) सुरेन्द्रनगर, मंडी जिला ।

(४) मंडी, मंडी जिला ।

(५) चम्बा, चम्बा जिला ।

(६) बिलासपुर, बिलासपुर जिला ।

(७) नाहन, सिरमूर, जिला ।

(८) पोंटा, सिरभर जिला ।

खंडसारी उद्योग

†३२८९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने जून १९५८ में खंडसारी उद्योग के संबंध में तथ्य अन्वेषण समिति के अंतरिम प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब विचार होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**:(क) तथा (ख) जी हां। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और उसने उत्तर प्रदेश की सरकार को इस उद्योग के लिए बिजली के **बेलने** लगाने के लिये लाइसेंस देने के नियम बनाने कीशक्तियां सौंप दी हैं। इन शक्तियों के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने २४ फरवरी, १९५९ को उत्तर प्रदेश खांडसारी चीनी निर्माता को लाइसेंसिंग आदेश, १९५९ जारी किया है। यह आदेश खडसारी चीनी का उत्पादन करने वाले ३० जिलों में सुरक्षित क्षेत्रों में लागू है। इस रिपोर्ट की प्रतियां लाइब्रेरी में रखी जा चुकी हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

†३२९०. { **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की पहली बैठक हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या विनिश्चय किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) तथा (ख). राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की पहली बैठक १० अप्रैल, १९५९ को नई दिल्ली में हुई थी। उसमें बोर्ड ने निम्नलिखित मुख्य विनिश्चय किये हैं।

(१) तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये भारतीय जहाजों के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारण के हेतु सिफारिशें करने के लिये श्री ए० रामास्वामी की अध्यक्षता में एक उप-समिति बनाना; और

(२) भारत सरकार को यह सिफारिश करना कि 'नौवहन' को तृतीय योजना की अत्यावश्यक योजनाओं में सम्मिलित किया जाय।

रेलवे वकील

†३२९१. **श्री दामानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वकीलों की भर्ती का वर्तमान तरीका क्या है; और

(ख) क्या पहले तरीके से इस में कोई परिवर्तन किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). १९५८ से पहले प्रत्येक रेलवे में रेलवे के काम के लिये भर्ती किये जाने वाले वकीलों का भिन्न भिन्न तरीका था किन्तु इनको कभी रेलवे कर्मचारी नहीं माना गया है। अब सब स्थानों पर एक समान तरीका निर्धारित कर दिया गया है। वह इस प्रकार है :—

(१) प्रत्येक स्थान पर, जहां पर कि व्यवहार न्यायालय होता है, एक या दो एडवोकेटों के नाम निर्देशित कर दिया जाता है (केवल उन स्थानों को छोड़ कर जहां पर

†मूल अंग्रेज़ी में

कि बहुत कम वाद होते हैं) और रेलवे के सभी मामले उनको हीं दिये जाते हैं। वे यह कार्य फीस लेकर करते हैं।

(२) ये एडवोकेट प्रायः चीफ कमर्शल सुपरिंटेंडेंट द्वारा उस डिवीज़न या रीजन के सुपरिंटेंडेंट् के परामर्श से चुने जाते हैं।

चीनी (हिमाचल प्रदेश में) में बाकटू कूल

†३२९२. **श्री नेक राम नेगी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्रालय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी (हिमाचल प्रदेश) में बकटू कूल के निर्माण को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस कूल का निर्माण फिर कब शुरू होगा;

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) इससे कितने क्षेत्र को लाभ होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस योजना का कार्य पिछले वर्ष प्रारम्भ हुआ था किन्तु स्थानीय कृषकों और भूस्वामियों के विरोध के कारण, जिनकी भूमियां पहले से गैर-सरकारी कूलों से सींची जा रही थीं और जिनको यह डर पैदा हो गया कि बाकटू कूल के पूरा हो जाने से उनको पहले से कम पानी मिलेगा तथा साथ में सुधार शुल्क तथा पानी की अधिक दरें देनी पड़ेगी, नये कूल के निर्माण को बन्द करना पड़ा है। यह देखने के लिये कि क्या अधिकतर किसान इसके बनाने के पक्ष में हैं या नहीं इस विषय को जिला बिकास तथा आयोजन समिति के। जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य हैं। सुपुर्द कर दिया गया है। इस समिति के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जब इसका जिला विकास तथा आयोजन समिति द्वारा अनुमोदन हो जायेगा।

(ग) चूंकि यहां केवल साल में ६ महीने ही काम हो सकता है और सर्दियों में बर्फ जम जाती है इसलिये जिस समय भी कार्य शुरू होगा उसके २ वर्ष बाद यह पूरा हो सकेगा।

(घ) लगभग ३००० एकड़ कृष्यि भूमि।

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की छोटी योजनायें

†३२९३. **श्री नेक राम नेगी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक हिमाचल प्रदेश के चीनी के खुश्क इलाके में सिंचाई की कितनी छोटी योजनायें चालू की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी (हिमाचल प्रदेश) में मुंग गांव के वासियों ने पानी की सप्लाई के लिये अपने आप एक बड़ी भारी सिंचाई योजना तैयार की थी और उसके लिये उन्होंने प्रशासन से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अभी तक चीनी में केवल एक योजना अर्थात् बाकटू नहर योजना चालू की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). यह सच है कि गांव वासियों ने पूरी मजूरी लेकर अपना एक कूल तैयार करने को कहा था किन्तु किसी ने भी बिना मजूरी के काम करने के लिये नहीं कहा। यदि गांव वाले स्वयं अपने व्यय पर कूल बनाना चाहें तो सरकार उनको निःशुल्क शिल्पिक सहायता व परामर्श देने को तैयार है।

मुरंग गांव के वासियों ने जो सिंचाई योजना तैयार की थी उसकी लोक निर्माण विभाग द्वारा जांच की गई थी किन्तु निम्नलिखित कारणों से इसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका :

(१) उस क्षेत्र में बीच में एक बड़ी ऊंची पहाड़ी है। उसके कारण बहुत लम्बा कूल बनाना पड़ेगा जो कि ऐसे क्षेत्र में से होकर गुजरेगा जिसकी किसी भी प्रकार से सिंचाई नहीं हो सकती है।

(२) कठोर चट्टानों तथा अनुपयुक्त ऊंची भूमि के कारण इसकी बहुत अधिक लागत होगी।

(३) वहां पर लगभग आधा वर्ष बर्फ पड़ी रहती है।

(४) ऊंची लागत और अपेक्षाकृत काम लाभ के कारण इस योजना को आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं समझा गया है।

रेलवे हाकी टीम

†३२६४. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस रेलवे हाकी टीम ने हैदराबाद में २१ मार्च, १६५६ को नेशनल हाकी टाइटिल जीता है उसके सम्मान के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है यदि हां तो क्या ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: २७ मार्च, १६५६ को भारतीय रेलवे टीम जब नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंची तब रेलवे स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड की ओर से उसका भव्य स्वागत किया गया। उसी सांयं को उन के सम्मान में बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली के लॉन्स में एक चाय पार्टी दी गई। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को चांदी का गेंद और हाकी दी गई।

भाड़े की दरों में कमी

†३२६५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १८ फरवरी, १६५६ को दिये गये अपने १६५६-६० के बजट भाषण के पैरा ४६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक निर्यात के लिये जाने वाले माल की भाड़े की दरों को कम करने के बारे में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की स्थायी समिति बन चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) अब तक इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(घ) इन बैठकों में किन विषयों पर विचार किया गया है।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) (१) श्री एस० आर० कल्याणरामन, एडिशनल मेम्बर कमर्शल, रेलवे बोर्ड।

†मूल अंग्रेजी में

(२) श्री सी० टी० वेणुगोपाल, डायरेक्टर फाइनेन्स, रेलवे बोर्ड

(३) श्री ग्रार० वेंकटेश्वरन, डिप्टी सेक्रेटरी, योजना आयोग

(४) डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रोमोशन

(५) श्री ई० कोलेट, डिप्टी सेक्रेटरी, वित्त मंत्रालय

(ग) एक ।

(घ) निर्यात के लिये भेजे जाने वाले माल पर भाड़े की दरें कम करने के सामान्य प्रश्न पर विचार किया गया । इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों पर विचार करने की सामान्य प्रक्रिया निश्चित की गई और यह निश्चय किया गया कि ऐसी प्रार्थना के साथ और कौन-कौन सी जानकारी मांगी जाय ।

हिमाचल प्रदेश में रेलवे ग्राउट एजेन्सियां

३२९६. श्री पद्म देव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितनी रेलवे ग्राउट-एजेंसियां हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और ग्राउट-एजेंसियों की मांग की है; और

(ग) इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) सात ।

(ख) केवल थानेदार में एक नयी ग्राउट-एजेन्सी खोलने के लिये एक सुझाव मिला है ।

(ग) इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में फलों को डिब्बों में बन्द करना

३२९७. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष १९५८-५९ में फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग के विकास के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं; और

(ख) इस प्रदेश के कितने स्कूलों में फलों को डिब्बों में बन्द करने का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १९५८-५९ में हिमाचल प्रदेश में २ छोटे पैमाने वाली फल संरक्षण टुकड़ियों की स्थापना के लिये २०,००० रुपये की रकम का उपबन्ध कर दिया गया है । एक टुकड़ी शीघ्र ही स्थापित कर दी जायेगी । प्रशासन एक पिक-अप गाड़ी में लगी हुई एक चलती फिरती फल संरक्षण टुकड़ी की सहायता से स्कूल के विद्यार्थियों को और दूसरों को जो फल संरक्षण को गृह उद्योग के रूप में दिलचस्पी रखते हैं, प्रशिक्षण भी दे रही है । मशोबरा, भंगरोट और चीनी के फल अनुसन्धान स्टेशनों पर भी फल संरक्षण में छोटे कोर्सेज़ और प्रेक्टिकल प्रदर्शन भी दिये जाते हैं ।

(ख) डिब्बों में फलों को बन्द करने के प्रशिक्षण का प्रबन्ध अभी तक स्कूलों में नहीं है परन्तु अनेक स्कूलों में चलती फिरती टुकड़ी द्वारा फल संरक्षण में ट्रेनिंग दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश का मत्स्य-पालन विभाग

३२९८. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के मत्स्य-पालन विभाग ने वर्ष १९५८-५९ में कितना व्यय किया तथा इस अवधि में उसे कितनी आय हुई; और

(ख) ट्राउट मछली के शिकार के लिये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विभाग द्वारा इस अवधि में क्या उपाय किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) १९५८-५९ के वर्ष में हिमाचल प्रदेश प्रशासन के मत्स्य विभाग को १०,००० रुपये की आय हुई और १,१३,७०० रुपये खर्च हुए।

(ख) प्रशासन ने नियम बनाये हैं जिनके अनुसार मछली उदारतापूर्वक पकड़ने की इजाज़त है। उदाहरण के तौर पर ट्राउट मछली पकड़ने के लिये नाम-मात्र फीस ली जाती है। बरोत वाके मंडी ज़िला और रोहरू वाके महासू जिला में आवश्यक सामान को नाम-मात्र दरों से किराये पर दिया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में, प्रशासन बरोत वाके मंडी ज़िला और चिरगांव वाके महासू ज़िला के स्थानों पर ट्राउट मछली पकड़ने की योजनाओं को १,४५,००० रुपये की लागत से कार्यान्वित कर रहा है।

इन तीनों केन्द्रों पर (रोहरू, चिरगांव और बरोत) अच्छे फरनिश्ड रेस्ट हाउसिज़ (furnished rest houses) भी मौजूद हैं।

हिमाचल प्रदेश में मछलियों को डिब्बों में बन्द करना

३२९९. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में मछलियों को डिब्बों में बन्द करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) और (ख). मछलियों को डिब्बों में बन्द करने सम्बन्धी किसी भी योजना पर अभी तक विचार नहीं किया है क्योंकि इस कार्य के लिये मछलियां काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी में मछलियों का सर्वेक्षण

३३००. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी में मछलियों के स्रोतों के बारे में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां, सर्वे का कार्य मार्च, १९५९ के तीसरे सप्ताह तक पूरा कर दिया गया था।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सर्वे करने से मछियारों की आबादी, मछली कला तथा सामग्री और मछली-उद्योग की आजकल की स्थिति के सम्बन्ध में डेटा मिल गया है। इस डेटा के आधार पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ज्यों ही यह तैयार हो जायेगी और इसकी प्रतिलिपियां बन जायेंगी, इसको सभा की टेबिल पर रख दिया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में क्षयरोग रुजालय

†३३०१. **श्री दलजीतसिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में कितने क्षयरोग रुजालय हैं; और

(ख) अगले वर्ष कितने रुजालय खुलने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर चार रुजालय हैं:—

(१) मंडी

(२) मासेहबेरा (शिमला)

(३) नाहन

(४) स्नोडाउन (शिमला)

(ख) कोई नहीं।

डाक सेवायें

†३३०२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि सप्ताह में एक या दो बार डाक बांटी जाती है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे स्थानों पर डाक सेवाओं के विस्तार का कोई विचार रखती है; और

(ग) यदि हां तो किस प्रकार से ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां। कांगड़ा जिले में अवश्य कुछ ऐसे स्थान हैं किन्तु होशियारपुर जिले में हर गांव में दो या उससे अधिक दिन डाक बंटती है।

(ख) तथा (ग). जी हां, अधिक डाक घर खोल कर और अधिक विभागतिरिक्त वितरण एजेण्टों की नियुक्ति द्वारा।

अन्दमान और निकोबार द्वीपों में प्रकाशगृह

†३३०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में प्रकाशगृहों का कोई विस्तृत विवरण भेजा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : प्राक्कलन समिति ने प्रकाश गृहों सम्बन्धी ४७ वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि चूंकि अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त के पास उस क्षेत्र के प्रकाश गृहों के रखरखाव और मरम्मत आदि की देख-भाल के लिये कोई उपयुक्त संगठन नहीं है इसलिये इन प्रकाश गृहों को कलकत्ता स्थित प्रकाश गृहों तथा प्रकाशपोतों के निर्देशक के अधीन अन्तरित करने के प्रश्न पर विचार किया जाय। इस अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्यायुक्त को अपने क्षेत्र की नौवहन सम्बन्धी सभी सुविधाओं का विस्तृत विवरण भेजने के लिये कहा गया था उसने वह विवरण भेज दिये हैं। अब इन यंत्रों आदि को प्रकाश गृहों तथा प्रकाशपोतों के विभाग को देने की योजना बनाई जा रही है।

प्रकाश स्तम्भों के लिये फ्लैशर

†**३३०४. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रकाश स्तम्भों के लिये अपेक्षित फ्लैशरों का भारत में निर्माण कराने में सफल हो सकी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी, हां। अब फ्लैशरों का प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाशपोतों के विभाग की कर्मशालाओं में निर्माण किया जा रहा है।

बिजली से चलने वाले बरमे

†**३३०५. श्री बं० च० मलिक**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की राज सरकार ने राज्य के सूखे से पीडित क्षेत्रों में गहरे हुए कुओं को खोदने के लिये केन्द्रीय सरकार से बिजली से चलने वाले बरमे देने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो उसने यह आवेदन कब किया था और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) २५ फरवरी, १९५८ को।

(ग) इस कार्य के लिये राज्य सरकार को मीडियम रोटरी ब्रेल ड्रिलिंग रिग-माडल ५००-एम पोर्य ड्रिल का एक यूनिट एलाट कर दिया गया था।

खाद्यान्न रखने के गोदाम

†**३३०६. श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सारे भारत भर में खाद्यान्न रखने के नये गोदाम बनाने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने गोदाम बनाये जायेंगे,

(ग) बम्बई राज्य में कितने गोदाम बनाये जायेंगे;

(घ) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में गोदाम बनाने का ठेका दिया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो फर्म के नाम और गोदाम की अनुमानित लागत क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी,हां।

(ख) यह फैसला नहीं किया गया है कि कुल कितने गोदाम बनाये जायेंगे । सरकारी खाते पर खाद्यान्न रखने के लिये क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में गोदाम बनाये जा रहे हैं और बनाये जायेंगे ।

(ग) बम्बई में केन्द्रीय सरकार के कुछ गोदाम पहले ही हैं । यह विचार है कि वर्तमान गोदामों की क्षमता बढ़ायी जाये और कुछ और गोदाम भी बनाये जायें । व्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) अब तक मंजूर किये गये नये निर्माण की अनुमानित लागत लगभग १ करोड़ रुपये है । निर्माण-कार्य के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जिम्मेवार है । यह ख्याल किया जाता है कि अभी ठेके नहीं दिये गये हैं ।

मनीपुर में सहकारी समितियां

†**३३०७. श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में मनीपुर में बड़े पैमाने की कितनी सहकारी समितियां बनायी गयीं ;

(ख) क्या ये समितियां धान और चावल के समाहार-कार्य में लगी हुई हैं ; और

(ग) १९५८–५९ में मनीपुर में क़ो-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक द्वारा प्रत्येक सहकारी समिति को कितना ऋण दिया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

फीरोजपुर डिवीजन में नये स्टेशन

†**३३०८. श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में उत्तर रेलवे के फ़ीरोज़पुर डिवीज़न में बनाये गये स्टेशनों के क्या नाम हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में बनाये जाने वाले स्टेशनों के क्या नाम हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९५८–५९ में दो नये स्टेशन खोले गये हैं ; अर्थात्,

(१) भटिण्डा–फ़िरोज़पुर छावनी सेक्शन पर गुलेवाला और फ़रीदक़ोट स्टेशनों के बीच पिपली पक्खी कलां ।

(२) लुधियाना–फ़िरोज़पुर छावनी सेक्शन पर मालनपुर और बद्दोवाल के बीच मनोबाद पंजाब ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दो नये स्टेशन खोलने का प्रस्ताव है, अर्थात्,

(१) लुधियाना–जाखल सेक्शन पर कुप और अहमदगढ़ के बीच रोहिरा ।

(२) लुधियाना–अमृतसर सेक्शन पर बुटारी और ब्यास स्टेशनों के बीच रय्या ।

उत्तर रेलवे में स्टेशनों पर पानी के नल

†३३०९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रूपड़ से नंगल डैम और पठानकोट से जोगेंन्द्र नगर सेक्शन में जिन स्टेशनों पर पानी के नल लगे हुए हैं, उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) उन स्टेशनों के क्या नाम हैं जिन पर १९५९–६० में पानी के नल लगाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) निम्नलिखित स्टेशनों पर पानी के नल लगे हुए हैं :

(१) पठानकोट-जोगेन्द्र नगर सेक्शन

नूरपुर रोड, नगरौता, पालमपुर (पंजाब) और बैज नाथ पपरौला ।

(२) रूपड़---नंगल डैम सेक्शन

रूपड़ और नंगल डैम ।

(ख) शून्य ।

रेलवे स्कूल

†३३१०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में उत्तर रेलवे में कितने स्कूल खोले गये ; और

(ख) १९५९–६० में उत्तर रेलवे पर कितने स्कूल खोले जायेंगे और वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) शून्य ।

(ख) १९५९–६० में उत्तर रेलवे में ९१ नये प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है । एक विवरण संलग्न है जिसमें उन स्थानों के नाम बताये गये हैं जहां ये स्कूल खोले जायेंगे । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४१]**

चलती गाड़ी में बच्चों का पैदा होना

†३३११. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के नागपुर डिवीज़न में चलती गाड़ियों में औसतन १५ बच्चे प्रति माह पैदा होते हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गाड़ियों में बच्चों के पैदा होने का गाड़ियों के ठीक समय पर चलने पर असर पड़ा है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है या की जावेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। जब कि १९५७–५८ में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था, १९५८–५९ में तीन मामले हुए ।

(ख) क्योंकि वर्ष १९५८–५९ में केवल तीन मामले हुए अतः यात्री गाड़ियों की समयानुकूलता पर प्रभाव नगण्य रहा ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना व्यवहारिक नहीं है ।

रेलवे में चोरियां

†**३३१२. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली रेलवे पुलिस ने शाहदरा के निकट एक कुएं का पता लगाया है जिसमें चलती गाड़ियों अथवा दिल्ली रेलवे स्टेशन से खोये हुए यात्रियों के ट्रंक डाले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या चुराई गयी किसी सम्पत्ति का भी पता लगा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). जी, हां । भारतीय दंड संहिता की धारा ३७९ के अधीन सरकारी रेलवे पुलिस, दिल्ली, द्वारा दर्ज किये गये ५ मामलों से सम्बन्धित १३ ट्रंक पाये गये । ८ व्यक्ति जिनके पास से सितम्बर, १९५८ में ट्रंकों का सामान पाया गया था, गिरफ्तार किये गये और उनको अदालत में मुकदमे के लिये भेजा गया ।

खाद्यान्नों का 'बफर' स्टाक

†**३३१३. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न के बाजार पर नियंत्रण करने के लिये केन्द्रीय सरकार आन्तरिक समाहार और आयात द्वारा एक 'बफ़र' स्टाक बना रही है ! और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितने गेहूं का आयात किया जायेगा और समाहार किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) खाद्यान्न के भविष्य में आयात अथवा आन्तरिक समाहार के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना लोक-हित में नहीं है ।

गेहूं का मूल्य

†**३३१४. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं की खरीद के भाव निर्धारित करने का फैसला कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किये गये खरीद के भाव का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) इस मामले में शीघ्र ही एक फैसला किये जाने की आशा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जम्मू तथा काश्मीर से लकड़ी के स्लीपरों की खरीद

†३३१५. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार से लकड़ी के स्लीपर खरीदने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो खरीदे जाने वाले स्लीपरों का कुल मूल्य क्या है ;

(ग) अब तक कितने स्लीपर खरीदे गये हैं ;

(घ) स्लीपरों का कितना मूल्य है ; और

(ङ) इस बारे में इमारती लकड़ी के व्यापारियों को क्या सुविधायें दी गयी हैं या दी जावेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) १–१–५८ से ३१–१२–५९ तक जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार से कुल ९ लाख लकड़ी के स्लीपर खरीदे जायेंगे और उनका कुल मूल्य लगभग १·८ करोड़ रुपये होगा ।

(ग) १-१-५८ से ३१-३-५९ तक लगभग ४ लाख स्लीपर प्राप्त हुए हैं ।

(घ) लगभग ८० लाख रुपये ।

(ङ) स्लीपर जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार से खरीदे जा रहे हैं ।

रेलवे पदाधिकारी

†३३१६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कितने रेलवे पदाधिकारी अस्थायी तौर पर नियोजित किये गये हैं ;

(ख) उनकी पदोन्नति और उनको खपाने की क्या योजना है ; और

(ग) उनको खपाने की योजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) ४७९

(ख) पदोन्नति :

जूनियर स्केल में सातवें वर्ष के वेतन पर ४७० रुपये पर पहुंचने पर अस्थायी असिस्टेंट अफ़सर यदि वे अन्यथा उपयुक्त हों, सीनियर स्केल के पदों पर पदोन्नति किये जा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खपाया जाना :

अस्थायी असिस्टेंट अफ़सर, यदि वे उपयुक्त हों तो, उनके लिये रक्षित कुछ पदों पर स्थायी पदाली में खपाये जा सकते हैं ; अन्यथा वे पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।

(ग) रेलवे से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन पर विचार किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५५ दिनांक ४-१२-१९५८ के उत्तर में शुद्धि

४–१२–५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के भाग (क) के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखा गया :

विवरण

इस समय रेलवे वर्कशापों में काम कर रहे विदेशियों की संख्या १४९

सभा पटल पर रखे गये पत्र

निवारक निरोध अधिनियम की कार्यान्विति के बारे में सांख्यकीय जानकारी

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : श्री गो० ब० पन्त की ओर से मैं निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की ३० सितम्बर, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक की कालावधि में, कार्यान्विति के बारे में सांख्यकीय जानकारी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १३५७/५९]

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१३५८/५९]

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं विविध सत्रों में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, वचनों, तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ सातवां सत्र, १९५९ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ५ छठा सत्र, १९५८ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४३]**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ६ पांचवां सत्र, १९५८ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४४]**

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८ चौथा सत्र, १९५८ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४५]**

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २४ दूसरा सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४६]**

बम्बई पत्तन न्यास अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्री स० का० पाटिल** : श्री राज बहादुर की ओर से, मैं बम्बई पत्तन न्यास अधिनियम, १८७६ के अन्तर्गत दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४२५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१३६४/५९]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा की गई सिफारशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण

†**श्री दातार** : श्रीमती आल्वा की ओर से, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा वर्ष १९५६-५७ के अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१३६५/५९]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २३ मार्च, १९५९ को लोक-सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(२) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(३) दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(४) संसद (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

उनचासवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (मोदिलवाड़) : मैं "वित्त मंत्रालय—राजस्व विभाग का संगठन—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड" के बारे में प्राक्कलन समिति का उनचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अबिलम्बनी लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

१६ अप्रैल, १९५९ को इरोड पर कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"१६ अप्रैल १९५९ को इरोड जंकशन पर कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना, जिसके कारण अनेक व्यक्तियों का घायल हो जाना ।"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० राम स्वामी)** : मुझे सभा को यह बताते हुए दुख होता है कि १६ अप्रैल, १९५९ को प्रातःकाल दक्षिण रेलवे के ओलावाकोट डिवीजन के इरोड स्टेशन पर नम्बर १९ डाउन मद्रास-कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना हो गई।

मद्रास-कोचीन हार्बर एक्सप्रेस इरोड स्टेशन पर ४ बजे प्रातः आई। जब स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर ३ से यह गाड़ी चलने वाली थी उसी समय नम्बर १ मद्रास-मंगलौर मेल में लगाये जाने के लिये एक इंजन, जिसे इरोड से शोरानूर जाना था, और जो उसी लाइन पर खड़ा था, गाड़ी के पिछले डिब्बों से टकरा गया। इसके परिणामस्वरूप ४३ व्यक्तियों के चोट आई; इन में से ४ रेलवे कर्मचारी थे। पहले यह पता लगा था कि चार व्यक्तियों के गहरी चोट लगी है परन्तु जांच के बाद पता लगा कि केवल एक महिला यात्री के अधिक चोट आई है। घायलों में से पांच के अतिरिक्त अन्य लोगों ने प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात उसी गाड़ी से यानी मद्रास-कोचीन एक्सप्रेस से जो पांच घंटे बाद इरोड से चली, यात्रा जारी रखी। महिला यात्री को भी जिसके अधिक चोट लगी थी, यात्रा करने की अनुमति दे दी गई क्योंकि उस ने ऐसा करने की ज़िद की थी। परन्तु रेलवे प्रशासन ने कोयम्बटूर तक, जहां उसे जाना था, उसकी देख-रेख के लिये दो असिस्टेंट सर्जनों को भेज दिया था।

१६ अप्रैल, १९५९ को पांच व्यक्तियों को, जिन्हें मामूली चोट आई थी, इरोड रेलवे अस्पताल में दाखिल किया गया। उन में से दो को उसी रात को छुट्टी दे दी गई, शेष तीन को और आगे डाक्टरी परीक्षा के लिये पोदानूर रेलवे अस्पताल भेज दिया गया। उनको भी अब छुट्टी दे दी गई है।

महिला यात्री को १०० रुपये दे दिये गये हैं।

बंगलौर स्थित रेलवे के सरकारी इंस्पैक्टर ने १७ अप्रैल, १९५९ को जांच आरम्भ की तथा १८ अप्रैल, १९५९ को समाप्त की। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** (खम्मा) : मैं जानना चाहता हूं कि स्टेशन पर इन्टरलाकिंग मंत्र बिजली से चलने वाला था या दूसरा।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बिजली से चलने वाला.।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मद्रास-मंगलौर मेल लाइन ४० मिनट बाद आनी थी तब यह इंजन इतनी जल्दी क्यों ले आया गया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सामान्य प्रक्रिया यही है कि इसे मद्रास-मंगलौर मेल के आने से पहले इस लाइन पर ले आया जाता है।

अनुदानों की मांगें

वित्त मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी। श्री चांडक अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम इस समय वित्त मंत्रालय और योजना मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इस सारी चर्चा के दौरान योजना मंत्री सभा में नहीं आये हैं। इस विषय में आप पहले भी एक बार कह चुके हैं।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं भी योजना आयोग का सदस्य हूं और वाद-विवाद का उत्तर दे सकता हूं।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : हम योजना आयोग की मांगों पर नहीं, योजना मंत्रालय की मांगों पर बहस कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक संभव हो, सब माननीय मंत्रियों को, जिनके मंत्रालयों पर चर्चा हो रही हो, वाद-विवाद में भाग लेना चाहिये, या कम से कम सभा में उपस्थित रहना चाहिये।

श्री चांडक (छिंदवाड़ा) : माननीय स्पीकर महोदय, इस समय फाइनेंस और प्लानिंग की जो डिमांडस हाउस के सामने हैं, उन डिमांडस पर मैं दो चार बातें कहना चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि कुछ महीनों पहले मुल्क में एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया था कि जब फारेन एक्सचेंज का अभाव सा प्रतीत होने लगा था और इधर हमारे मुल्क में खाद्यान्नों का उत्पादन घट जाने के कारण भाव भी काफी बढ़ गये थे। उस वक्त हम यह सोचने पर बाध्य हो गये थे कि हमारी यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है यह किस प्रकार से पूरी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी के प्रयत्नों से वह स्थिति अब टल गई है। इस वर्ष के बजट प्रोपोज़ल्स को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई अच्छी बातें की जा रही हैं। एसेसमेंट के जो बहुत सारे केसिस पेंडिंग थे उनकी संख्या घट गई है। नये सिरे से इंटरनल रिसोर्सिस को मजबूत करने के लिए प्रयत्न किये गये हैं और टैक्स इवेयन जो होता था, उसके लूपहोल्स को बन्द करने की भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चांडक]

कोशिश की गई है। इसी तरह से लगभग २३ करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाने के भी सुझाव रखे गये हैं। इसके साथ ही साथ हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बाहर जा कर हमारे फारेन एक्सचेंज के सवाल को भी लगभग हल कर लिया है। हमारा श्रौद्योगिक उत्पादन भी काफी परिमाण में बढ़ रहा है। लोहा श्रौर इस्पात के तीन कारखाने जो लगे हैं, वे भी प्रोडकशन करने लगे हैं श्रौर आशा की जाती है कि अब योजना की पूर्ति में आने वाला संकट टल गया है श्रौर हमारी योजना जोकि आर्थिक श्रौर सामाजिक सुधारों की दृष्टि से बहुत आवश्यक है श्रौर उस श्रोर एक ठोस कदम है, वह सफल होगी श्रौर हम आगे बढ़ेंगे। इस में मुझे कोई सन्देह मालूम नहीं देता है।

लेकिन उस के साथ ही साथ कुछ श्रौर बातें भी हैं जिन की श्रोर हमारा ध्यान जाना चाहिये। सारी योजनायें हमारी पूरी हो रही हैं या निश्चित कदम हम उन को पूरा करने की श्रोर बढ़ा रहे हैं, इस में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन जहां तक खेती के उत्पादन का सवाल है, हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है श्रौर यह कहा जाता है कि खेती के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में उस पर काफी ज़ोर दिया गया था। बात सही है श्रौर ज़ोर दिया भी गया था। लेकिन क्या कारण है कि हमारा खेती का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। बड़े-बड़े बांध भी बांधे जा रहे हैं, इरिगेशन श्रौर पावर प्राजैक्टस भी बड़े-बड़े कायम किये जा रहे हैं श्रौर इन सब को भी अगर हम दृष्टि में रखें तो यह कहा जा सकता है कि जरूर कुछ प्रयत्न हो रहा है श्रौर इस में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जितने भी बड़े-बड़े बांध बांधे जा रहे हैं उन में से अधिकांश का पानी अभी तक खेतों में नहीं पहुंचा है श्रौर जितनी बिजली पैदा हुई है या हो रही है उस में से केवल छः प्रतिशत बिजली ही इरिगेशन के काम में आती है श्रौर ७४ प्रतिशत बिजली उद्योगों के उपयोग में आ रही है। मेरा अनुमान है कि खेती के उत्पादन या कृषि सम्बन्धी जो योजनायें बनाई गई हैं, उनको बनाते समय कुछ प्रयोरिटीज़ की श्रोर ध्यान का दिया गया है। यह कहा जाता है कि यह नैशनल एक्सटेंशन स्कीम्स श्रौर कम्यूनिटी प्राजैक्टस की जो स्कीमें हैं, उन्होंने देहातों में एक क्रान्तिकारक परिवर्तन किया है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है श्रौर अनुभव किया है, इन योजनाओं के अन्तर्गत अवश्य कुछ काम देहातों में हुआ है लेकिन वह इतना कम हुआ है कि उनका असर कृषि के उत्पादन पर तो शायद बिल्कुल पड़ा ही नहीं है। जरूर कुछ कच्ची सड़कें देहातों में बन गई हैं, कुछ नये प्राइमरी स्कूल खुल गये हैं श्रौर बीज श्रौर खाद का कुछ बटवारा किया गया श्रौर कुछ तकावी भी बांटी गई है लेकिन इनके अतिरिक्त देहातों को सुधारने के लिये जिन चीजों की आवश्यकता थी, वे बहुत ही कम हुई हैं श्रौर उस श्रोर ध्यान नहीं दिया गया है। एक काम करने वालों की बड़ी फौज को काम जरूर मिल गया है, इस में सन्देह नहीं है लेकिन जो हम चाहते थे, जो हमारा उद्देश्य था कि ये योजनायें देहातों का नक्शा ही बदल देंगी, एक क्रान्तिकारक परिवर्तन वहां ला देंगी वह चीज़ नहीं हुई है। यह बात निर्विवाद है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह मानी हुई बात है कि अन्य कोई भी साधन उपलब्ध हों, लेकिन जब तक पानी श्रौर खाद की पूरी व्यवस्था नहीं होती है, बिजली देहातों में नहीं पहुंचाई जाती है, तब तक अन्न का उत्पादन या खेती का उत्पादन अधिक नहीं बढ सकता है। यदि इन बड़े-बड़े बाधों के साथ-साथ छोटी-छोटी योजनाओं की श्रोर भी अधिक ध्यान दिया गया होता, प्रथम ध्यान दिया गया होता तो आज जो खाद्यान्नों की कमी महसूस की जा रही है, मेरा अनुमान है, वह कमी न हुई होती। आज हम जिस संकट में फंसे हुए हैं वह संकट हमारे सामने न होता। इसलिए मैं अर्थ मंत्री जी से विनयपूर्वक पार्थना करना चाहता हूं कि यदि खेती का उत्पादन बढ़ाना है श्रौर बढ़ाना अवश्य है, यह निर्विवाद है, क्योंकि हमारी सारी योंजनायें खेती के उत्पादन पर निर्भर करती हैं श्रौर इस बात को सभी ने माना है—तो सब से पहले श्रौर अधिक से अधिक ध्यान हमें देहातों की तरफ देना चाहिये।

देहातों की हालत को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिये और छोटी-छोटी जो सिंचाई की स्कीमें हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये । जहां-जहां सम्भव हो, आप बड़े बड़े बांध भी बांधें लेकिन इन स्कीमों की ओर अधिक ध्यान दें । आज लोग हम से पूछते हैं कि भाखड़ा बांध का पानी तो हमारे खेतों में आने वाला नहीं है तो क्या कारण है कि हमारे लिये छोटी-छोटी स्कीमें शुरू नहीं की जाती हैं। जहां-जहां पर बड़े-बड़े बांधों का पानी नहीं पहुंच सकता है, वहां आवश्यकता इस बात की है कि नाले खोदे जायें, नहरें खोदी जायें तालाब बनाये जायें, जो चीज़ भी सुविधापूर्वक बनाई जा सकती है, बनाई जाए ताकि उन क्षेत्रों को पानी मिल सके, जहां पानी बड़े-बड़े बांधों का पहुंचाया नहीं जा सकता है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाए ।

इसी तरह से गांवों में बिजली की अत्यन्त आवश्यकता है । इतनी बिजली पैदा हुई है लेकिन फिर भी देहातों में बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई है और वहां पर बिजली की बहुत अधिक मांग है । जितनी बिजली आज पैदा होती है, उसमें से केवल छः प्रतिशत बिजली इरिगेशन के काम में आती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के काम को बहुत जल्द किया जाए और जल्द से जल्द देहातों में बिजली तथा पानी पहुंचाया जाए । इसी तरह से खाद का भी इन्तज़ाम किया जाए जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है ।

वैसे ही एक दूसरी बात की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि अभी किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार अपनी खेती को सुधारने के लिये कर्ज नहीं मिलता । जहां तक मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को देखा है, उससे मालूम हुआ कि अब हमारे रिजर्व बैंक ने कोआपरेटिव बैंक के जरिये २८ करोड़ रु०—२५ करोड़ रु० लांग टर्म कर्ज और ३ करोड़ रु० शार्ट टर्म कर्ज—की व्यवस्था की है। आप सोच सकते हैं कि यह कितनी कम व्यवस्था है । इस से किसानों को जो कर्ज मिलता है वह कम परिमाण में मिलता है और वे अपनी खेती का विकास नहीं कर सकते । मेरा आप से निवेदन है कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय । ३० जून, १९५८ तक के लिये २८ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी, इस वर्ष के लिये शायद ६ करोड़ रु० की व्यवस्था रिजर्व बैंक और करने वाला है । लेकिन यह व्यवस्था बहुत अल्प मात्रा में है । ऐग्रिकल्चरिस्ट को जो कर्ज मिलता है वह रिजर्व बैंक से तो डेढ़ परसेन्ट ब्याज पर दिया जाता है, लेकिन किसानों के हाथ में वह कर्ज पहुंचता है तो उनको ९ या १० परसेन्ट ब्याज देना पड़ता है । मेरी आप से विनय है कि इस ब्याज की जो दर है उसको घटा दिया जाय ।

साथ ही मुझे आप से यह कहना है कि एग्रिकल्चरिस्ट को मदद करने के लिये आपको और भी कदम उठाने चाहियें । जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ को मदद करने के लिये आपने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन कायम किया है उसी तरह से एग्रिकल्चरिस्ट्स को मदद करने के लिये एक एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन भी कायम किया जाय । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन प्रतिवर्ष लगभग ४० करोड़ रु० इन्वेस्ट करता है । इस ४० करोड़ रु० में से ५० परसेन्ट तो उसे गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है लेकिन जो बाकी की ५० परसेन्ट रकम है यदि उसमें से आधी रकम भी इस एग्रिकल्चरल फाइनेंस कारपोरेशन को खेती करने वाले किसानों को कर्ज देने में इन्वेस्ट करने के लिये दे दी जाय तो यह फंड ज्यादा बढ़ सकता है । मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे ।

मेरा आप से यह भी निवेदन है कि भले ही हमारी दिल्ली शहर को न्यूयार्क बनाने की कल्पना हो, लेकिन रूरल हाउसिंग की स्कीम किसी भी प्रकार, अमल में नहीं आ रही है । देहातों का नक्शा आज भी वही पड़ा हुआ है जो कि पुराना था । आप स्वयं जाकर देख सकते हैं । वही टूटे-फूटे घर हैं जहां स्लम क्लिअरेंस नहीं हुआ है, घास फूस के घर और कच्चे मकान हैं जिनमें उनको रहना पड़ता है ।

[श्री चांडक]

देहातों की स्थिति को सुधारने के लिये तब तक आप छोटे-छोटे उद्योग धंधों, ग्रामोद्योग धंधों और कुटीर उद्योगों को अधिक से अधिक नहीं बढ़ायेंगे तब तक देहातों की हालत सुधरने वाली नहीं है । हर एक आदमी इस बात का अनुभव करता है कि जो खेतों में काम करने वाले आदमी हैं, यानी किसान और देहातों में रहने वाले दूसरे आदमियों को कई काम नहीं मिलेगा, कोई सब्स्टिट्यूट काम नहीं मिलेगा खेती की जगह पर, और खेती के साथ-साथ तब तक उनकी हालत सुधरने वाली नहीं है । मेरा ऐसा ख्याल है कि छोटे और कुटीर उद्योग धंधों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है इस तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । हालांकि हमें बड़े उद्योग धंधों की जरूरत है, लेकिन जब तक यह चीजें नहीं होंगी तब तक देहातों की तथा कृषि की हालत नहीं सुधर सकती है ।

मेरी आप से एक और विनय है । स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के फलस्वरूप हमारे नये मध्यप्रदेश का उदय हुआ । यह बहुत बड़ा प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल १ लाख, ७१ हजार, २०१ वर्गमील है । आप जानते हैं कि इसमें चार यूनिट शामिल हैं जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई । केन्द्र की इच्छा के अनुसार भोपाल राजधानी बनी है । यह राजधानी तो बन गई लेकिन राजधानी बनाने योग्य साधन वहां उपलब्ध नहीं थे । इस कैपीटल प्राजैक्ट के लिये प्रयत्न हो रहा है लेकिन वहां पर आज स्थिति क्या है इसे आप समझ सकते हैं । मध्य प्रदेश की सरकार आज ६ जगहों में बटी हुई है । उनके डाइरेक्टर ६ जगह बटे हुए हैं । कुछ रायपुर में रहते हैं, कुछ ग्वालियर में कुछ इन्दौर में, कुछ भोपाल में कुछ रीवां में । इस तरह से ६ जगहों में डाइक्टोरेट्स बटे हुए हैं । आप कल्पना कर सकते हैं कि डाइरेक्टर्स तो एक दूसरे से ३००, ३०० और ४००, ४०० मील दूर रहें और सेक्रेटरी भोपाल में रहें, हमारे मन्त्रीगण भोपाल में रहें, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कारोबार किस तरह से चलता होगा । सारे आफिसेज को एक जगह पर लाने के लिये जगह नहीं है, जगह का अभाव है, मकानों का अभाव है । मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार, दो बार नहीं, कई बार आप से विनय की है कि उन्हें कैपीटल प्राजैक्ट के लिये आप से मदद मिलनी चाहिये । जिस तरह से चंडीगढ़ और भुवनेश्वर आदि नई राजधानियां बनीं उसी तरह से भोपाल भी नई राजधानी बनी केन्द्र की ओर से चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को राजधानियां बनाने में मदद दी गई । क्या वजह है कि मध्य प्रदेश की ओर केन्द्रीय सरकार ध्यान नहीं देती जबकि दूसरी राजधानियों को बनाने के लिये केन्द्र की ओर से मदद दी गई ? मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेशकी ओर भी आप ध्यान दें । मध्य प्रदेश सरकार आज कैपिटल प्राजैक्ट के प्रयत्न में लगी हुई है । उसकी शायद १५ करोड़ रु० की स्कीम है, लेकिन वह उसेपूरा नहीं कर पा रही है । जब केन्द्र की इच्छा से भोपाल राजधानी बनाई गई तो केन्द्र का कर्तव्य हो जाता है कि वह इस कैपिटल प्राजैक्ट को पूरा करने के लिये, राजधानी को फुलफ्लेज्ड रूप से एस्टैब्लिशलश करने के लिये वह मदद करे ।

इसके साथ-साथ १९१ करोड़ रु० का मध्य प्रदेश का डेवेलपमेंट बजट है जिसमें से, यह कहा गया था, १४४ करोड़ रु० केन्द्र की ओर से मिलेगा और ४७ करोड़ रू० उसमें राज्य सरकार को लगाना होगा । राज्य तो अपना हिस्सा पूरा कर रहा है लेकिन मुझे यह पता लगा है कि केन्द्र की ओर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रतिवर्ष जिस परिमाण में रुपया मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि यदि १४४ करोड़ रु० को पांच वर्ष में बांटा जाय तो हर वर्ष के लिये २९ करोड़ रु० आता है । कम से कम इस वर्ष का रुपया तो मध्य प्रदेश राज्य को मिलना ही चाहिये ।

परसों हमारे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा था कि मध्य प्रदेश में इतना फारेस्ट है जो कि सारे देश के फारेस्ट्स का चौथाई हिस्सा है । यह तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत पोटेंशलिटीज हैं, वहां बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं, वहां बहुत घने जंगल हैं, जंगलों की बहुत बड़ी सम्पत्ति है,

वैसे ही भूगर्भ में भी अनेक प्रकार की सम्पत्ति भरी हुई है । लेकिन उसको डेवेलप करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहे हैं, और यदि हो रहे हैं तो बहुत कम । केन्द्र को इसके ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

वैसे ही आप जानते हैं कि वहां डाकुओं का बहुत बड़ा सवाल है । चम्बल और बेतवा नदियों के बीच जो बड़े-बड़े टीले बने हुए हैं, रेवाइन्स पड़े हैं, उनके अन्दर इन डाकुओं के रहने के स्थान हैं । यह हजारों लाखों एकड़ जमीन है । यदि इस जमीन को रिक्लेम किया जाय तो मैं समझता हूं कि एक और तो वहां पर कुछ आबादी बस सकती है और दूसरी ओर जो वहां जमीन है उससे पैदावार भी बढ़ सकती है साथ ही जो डाकुओं का संकट है वह भी टल सकता है । इस पर भी केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

अब एक दो बातें मैं आप को सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में सुझाना चाहता हूं । सब तरफ से आवाज आती है कि हमारी सेल्स टैक्स की पद्धति ऐसी है कि हर एक प्रान्त में, हर एक चीज पर अलग-अलग सेल्स टैक्स लगाया जाता है । आप की रिपोर्ट से भी मालूम होता है कि आप इस तरफ ध्यान दे रहे हैं । मेरा आप से निवेदन है कि यदि सारे प्रान्तों में एक सा यूनिफार्म सेल्स टैक्स हो और सेल्स टैक्स ऐटसोर्स हो, जैसा कि आपने शुगर, तम्बाकू, कपड़े आदि कुछ चीजों के सम्बन्ध में किया है, तो इससे बहुत सी अड़चनें और उलझनें दूर हो सकती हैं । पैसा अधिक मिल सकता है और जो छोटे-छोटे व्यापारियों के मार्ग में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं वे दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं और आसानी से यह सेल्स टैक्स का पैसा वसूल हो सकता है । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस प्रकार से यह यूनिफार्म सेल्स टैक्स लागू हो और सेल्स टैक्स एटसोर्स वसूल हो, इस प्रकार की कोई योजना बनाई जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी मैंने देखा कि आपके जो अंक हैं उससे पता चलता है कि गत तीन वर्षों में १२११ करोड़ रुपया बाहर से कर्ज मिला है, बाहर से मदद के रूप में मिला है लेकिन इस कर्ज में से केवल ४७८ करोड़ रुपये का उपयोग हुआ है अर्थात् केवल ४७८ करोड़ रुपये युटिलाइज़ हुए हैं और ७३३ करोड़ रुपये इस तीसरे वर्ष के अन्त में भी अनयुटिलाइज्ड पड़ा हुआ है । हमने देखा कि एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह चीज आई कि हमारे तीनों स्टील प्लाण्ट्स की कीमतें बढ गई और वह इस कारण हुआ कि चूंकि समय पर पैसों का युटिलाइज़ेशन नहीं हुआ, समय पर पैसा उपयोग में नहीं लाया गया । इतनी बड़ी रकम जो हमने मेहनत करके बाहर से प्राप्त की है उसमें से केवल ४७८ करोड़ रुपये युटिलाइज़ हुए और ७३३ करोड़ रुपये तीन साल के बाद में भी, तीसरे साल के अन्त में जबकि हम चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं तब भी वह रुपया अनयुटिलाइज़ पड़ा हुआ है । आखिर क्या कारण है और क्यों यह रुपया युटिलाइज़ नहीं हुआ है ? मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस काम के लिये जो रुपया आये यदि समय पर उसका उपयोग नहीं होता है तो जिस तरह से तीनों स्टील प्लाण्ट्स की कीमतें बढ़ गई उसी तरीक़े से यह कीमतें भी बढ़ सकती हैं और समय पर रुपया युटिलाइज़ नहीं हो सकता ।

इन शब्दों के साथ मैं इन डिमाण्ड्स की ताईद करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं । साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने के लिये चन्द एक मिनट दिये उसके लिये आपको अनेकों धन्यवाद ।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : स्वतन्त्रता प्राप्त हुये हमें दस वर्ष से ऊपर हो गये हैं । इस बीच औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने काफी सफलता प्राप्त की है इस्पात

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बर्मन]

संयन्त्रों को चालू किया है, खानों और तेल का पता किया है। इन सब से देश की औद्योगिक प्रगति और गरीबी तथा दुःख दूर हो जायेंगे। देश के राजस्व और पूंजी में भी काफी वृद्धि हुई और विदेशों से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध हुई है। परन्तु अन्य क्षेत्र में मंत्रालय को इतनी सफलता नहीं मिली। हमें कठिनाइयों और कमियों का ज्ञान है, परन्तु फिर भी मेरा मत यह है कि मंत्रालय जितना कुछ कर सकता था, उतना उसने किया नहीं। वित्त मंत्रालय ने खाद्य उत्पादन को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि औद्योगिक विकास को दिया है। हमें अपने देश में खाद्यान्नों के अभाव के कारण लगभग ३० लाख टन खाद्यान्न बाहर से आयात करना पड़ता है। इसके लिए बाहर से कर्जे भी लेने पड़ते हैं। परन्तु जब हम खर्चे की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि उर्वरकों अथवा खाद्य उत्पादन से सम्बन्धित वस्तुओं के आयात के लिए हमने बहुत ही कम खर्च किया है पश्चिमी बंगाल सरकार के आंकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि देश में कुल अनाज की कमी ५ अथवा ६ प्रतिशत है। अत: मेरा कहना है कि इस मामले में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए जो करना अपेक्षित था वह नहीं किया गया।

१९५१ में हमने अमेरिका से ९३ करोड़ रुपये का अनाज आयात किया। उसका हम कर्जा पूर्णत: अदा नहीं कर सके। और जो कुछ किया जाना चाहिए था, वह मंत्रालय ने नहीं किया देश की ७० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है, तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से ही इन लोगों की दशा सुधर सकती है। इसके लिए सरकार को इस दिशा में गम्भीरता से पग उठाने होंगे। यदि हम लोग बाहर से अनाज के आयात पर ही रहे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता और देश की जनता शोचनीय अवस्था में रहेगी।

हम देश का औद्योगिक विकास भी चाहते हैं और हमें यह भी पता है कि हमारे साधन सीमित हैं। परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था अथवा, अर्थ व्यवस्था का विकास भी कृषि उत्पादन पर निभर है। हमें इस्पात संयन्त्र भी चाहिए परन्तु उर्वरकों की आवश्यकता का भी अनुभव करना चाहिये और देश को इसमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिये। देहाती क्षेत्रों की ओर सरकार समुचित ध्यान नहीं दे रही और मेरी सरकार से अपील है कि उसे इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री सिंहासन सिंह :(गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज बजट की डिमांड्स की मंजूरी का आखिरी दिन है और आज हमारे वित्त मंत्री महोदय आखिरी तौर पर बजट का उत्तर देंगे और अपने बजट प्रस्तावों में आज जिन संशोधनों को वह उचित समझेंगे उनको स्वीकार करने की घोषणा सदन में करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय हमको निराश नहीं करेंगे और इस सदन के अधिकतर सदस्यों ने यहां पर यह आवाज़ उठाई है कि छोटे-मोटे व्यवसायों और गृह उद्योगों पर जैसे कि हमारा खंडसारी का उद्योग है उनको प्रोत्साहन देना सरकार का फ़र्ज़ है और इसलिए जो सरकार ने खंडसारी पर टैक्स लगाया है वह उचित नहीं है और सभी सदस्यों ने खंडसारी पर से इस टैक्स को हटा लेने की मांग की है। खंडसारी पर पहले ८ आने का टैक्स होता था जो कि सन् १९५२ से माफ़ हो गया था। लेकिन अब यकायक सन् १९५९ के बजट में इस तमाम खंडसारी इंडस्ट्रीज़ पर जो कि पावर से चलती हैं ५ रुपये ६० नये पैसे का सरकार टैक्स लगाने जा रही है। अभी प्लानिंग कमिशन ने छोटे व्यवसायों की परिभाषा यह की है कि ऐसे उद्योग जहां कि ५० आदमी पर शिफ़्ट काम करते हों और पावर से काम करते हों और एसे उद्योग जहां कि १०० आदमी पर शिफ़्ट काम करते हों और जहाँ हाथ से काम होता हो वे छोटे व्यवसाय माने जायेंगे लेकिन इस परिभाषा का कोई भी लिहाज़ न करके सब को इस टैक्स के लिए रख लिया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में हर तरह से इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि बिजली की शक्ति और बढ़ाई जाय और यह शक्ति बढ़ेगी तो केवल यह बड़े-बड़े कल कारखानों के लिए ही नहीं काम आयेगी बल्कि छोटे-छोटे हाथ व्यवसायों के लिए भी काम में आयेंगी । हम इस प्रयत्न में होंगे कि जहां हम हाथ से काम कर रहे हैं, वहां छोटी-छोटी मशीनें लगा कर बिजली से हम काम करें । एक अवस्था ऐसी आ सकती है जैसे कि अम्बर चख के लिए भी किसी ने सुझाव दिया है कि अम्बर चर्खा बिजली से चलाया जाय तो हो सकता है कि आगे चलकर वह बिजली से चलने लगे और छोटे-छोटे हमारे ग्रामोद्योग जो कि आज हाथ से चलते हैं । उनका भी बिजली से चलाये जाने का प्रयत्न होगा । जैसा कि जापान इत्यादि मुल्कों में होता है । इसलिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि कौन से छोटे गृह उद्योग ऐसे हैं जिन पर कि हम टैक्स न लगावें क्योंकि यह तो मानी हुई बात है कि अगर किसी में सब से अधिक क्षमता सब को काम देने की है तो वह इन छोटे गृह उद्योगों में है, बड़े उद्योगों में नहीं है ।

प्लानिंग कमिशन ने सवाल जवाब के रूप में यह बताया है कि सन् १९६१ तक हमारे देश में बेकारों की तादाद १ करोड़ ५० लाख हो जायगी । इतने लोग काम लायक़ होंगे । ३० लाख हर साल बढ़ रहे हैं । अब हर साल यह जो बेकारों की तादाद बढ़ती जा रही है इनको अगर काम देने की क्षमता किसी में है तो वह छोटे धंधों में है और यदि रखिये जब तक सरकार का ध्यान इन छोटे-छोटे गृह उद्योगों की ओर नहीं जायगा तब तक आपकी यह बेकारी की समस्या सफलतापूर्वक हल नहीं हो सकेगी । उन छोटे व्यवसायों को उसी तरह का प्रोत्साहन देना चाहिये जैसे कि आप खेती को देते हैं । यह ३ आने गज़ का प्रोत्साहन देकर यह मानना पड़ेगा कि जहा खेती लाखों में पहुंचती थी आज वह करोड़ों में बन रही है और कई लाख आदमी उसके अन्दर काम कर रहे हैं लेकिन अगर ३ आने विदड्रा करके २ आने उस पर लगा दें तो यक़ीन मानिये कि वह भी बैठ जायगी । बड़े उद्योगों के मुक़ाबले अब छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन इसी तौर पर दिया जा सकता है कि उनको ट्रेड ड्यूटी से माफ़ी दे दें । आज आप बाज़ार भाव देखिये । चीनी जो कि मिलों द्वारा तैयार की जाती है उसका भाव ४० रुपये प्रतिमन है जब कि खंडसारी का भाव ३०, ३५ रुपये है । दोनों में ४, ५ रुपये का अन्तर है और अगर यह ५ रुपये ६० नये पैसे का टैक्स खंडसारी पर लगा दिया गया तो खंडसारी उद्योग पनप नहीं सकेगा और यह इंडस्ट्री बैठ जायगी और वह चलने वाली नहीं है और इस तरह लाखों आदमी बेकार हो जायेंगे । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस खंडसारी में जो दो, तीन तरीक़े के आदमी काम करते हैं, ऐसे आदमी जो मशीन से काम करते हैं और कुछ ओपन पैन लगा कर संल्फ़र से साफ़ करके चीनी बनाते हैं और जिनकी कि बनाई हुई चीनी क़रीब-क़रीब मिल की चीनी के बराबर होती है । अब ऐसी खंडसारी इंडस्ट्री पर जो कि सल्फ़र द्वारा चीनी को साफ़ करके ओपेन पैन से काम लेते हैं और जो छोटी मिलों के रूप में हैं उन पर यह टैक्स लगाया जाय तो कुछ समझ में भी आ सकता है लेकिन ऐसे लोगों पर जो कि १० हौर्स पावर या ५ हौर्स पावर तक की मशीन से खंडसारी बनाते हैं उन पर यह टैक्स लगाना उचित नहीं है और उन पर यह टैक्स नहीं लगना चाहिये । आज सदन में वित्त मंत्री का बजट डिमांड्स पर जो एनाउन्समेंट होने वाला है हमें उम्मीद है कि वे खंडसारी उद्योग पर इस टैक्स का हटाने के सम्बन्ध में सदन के हर पक्ष की ओर से चाहे वह कांग्रेस का हो अथवा विरोधी दल का, टैक्स हटाने के लिए जो मांग की गई है उसको ध्यान में रख कर अपनी घोषणा करेंगे और आज उनकी घोषणा से ही प्रजातांत्रिक राज्य का सबूत भी मिलने वाला है । मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय अपनी घोषणा में कम से कम १० हौर्स पावर तक के जो खंडसारी के कारखाने चलते हों उनको इस टैक्स से छूट देने का ऐलान करेंगे ।

[श्री बर्मन]

दूसरी तरफ़ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य शुरू से यह रहा है कि बड़े और छोटे के अन्तर को दूर करें, आर्थिक विषमता को दूर करें और आज जो असमानता है उसको काफ़ी हद तक समाप्त करें लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि हम उस दिशा में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं और आज भी रेलवे स्टेशनों पर यदि आप जायें तो आपको भिखारियों की भीड़ खड़ी दिखाई देगी। आप स्टेशन पर उतरेंगे नहीं कि सामने आपको भिखारियों का झुंड खड़ा मिलेगा। मुमकिन है कि माननीय मंत्रियों को यह न देखने को मिलता हो क्योंकि मिनिस्टर लोगों के आगे पीछे पुलिस तैनात रहती है और उस हालत में उन तक भिखमंगे न पहुंच पाते हों। आप भले ही बड़े-बड़े विदेशी मेहमानों को बड़े-बड़े नगरों में व्यवस्था के साथ घुमा कर और बड़े-बड़े महलों और आलीशान होटलों और कोठियों में ठहरा कर यह सर्टिफ़िकेट उनसे लेने में कामयाब हो जाते हों कि हमारा देश काफ़ी प्रगति कर चुका है लेकिन आज कटु सत्य यह है कि देश में से बेकारी, भुखमरी और नंगापन गया नहीं है।

आप जहां इतने टैक्स लगा रहे हैं वहां आप एक भिखमंगों का भी एक टैक्स लगा दीजिये जिसके कि अनुसार हर एक से १ आना भिखमंगे का टैक्स लिया जाय और उस टैक्स के ज़रिए प्राप्त होने वाली रक़म से आप ऐसी उचित उनके लिए व्यवस्था कर दें ताकि किसी स्टेशन पर और कहां पर भी कोई भिखमंगा इधर-उधर घूमता और भीख मांगता दिखाई न पड़े। आप तमाम भिखमंगों को इकट्ठा करके उनके लिए एक मकान की व्यवस्था करें जहां कि वह रहते हुए श्रम करके अपनी रोज़ी कमायें और वे देश के एक अच्छे नागरिक की भांति जीवन यापन करें।

गोरखपुर में इस तरह का एक कुष्ट आश्रम बना हुआ है जहां पर कि कोढ़ी लोग रहते हैं और सरकारी मदद और लोगों के सहयोग के कारण वह स्वर्ग समान बना हुआ है और वहां की व्यवस्था को देखते हुए कोई यह कह नहीं सकता कि यहां पर कोढ़ी लोग निवास करते हैं। वहां पर उन्होंने श्रम करके फूल आदि लगाये हुए हैं, सुन्दर फुलवाड़ी लगी हुई है और वहां पर साग सब्ज़ी आदि पैदा करके सैल्फ़ सफ़िशिएंट बने हुए हैं और वे भीख मांगने नहीं जाते। वे एक योग्य नागरिक की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ़ दिल्ली जो कि भारतवर्ष की राजधानी है वहां स्टेशन से उतरते ही आपको कोढ़ियों और भिखमंगों की कतार सामने खड़ी दिखाई देगी। यह बड़े शर्म का विषय है कि आज दस वर्ष से अधिक हमें स्वतंत्र होने को आये लेकिन हम उनकी कोई माकूल व्यवस्था नहीं कर सके। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे और उनकी कोई उचित व्यवस्था करे।

हम देख रहे हैं कि जहां एक ओर हमारे देश में इतनी गरीबी और भुखमरी फैली हुई है वहां देश का वह धनी वर्ग दिन प्रतिदिन और अधिक धनी होता जा रहा है। अभी हमारी काम मिनिस्ट्री ने कहा कि वह प्राइवेट काम करने वाली मैनेजिंग एजेंसीज़ की कुछ आमदनी कम करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इन प्राइवेट मैनेजिंग एजेंसीज़ की आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह कहा गया कि किसी के पास १० या २० मैनेजिंग एजेंसीज़ से ज्यादा न हों लेकिन इस पर भी हम देख रहे हैं कि बिड़ला हाउस, टाटा हाउस फैलते ही जा रहे हैं और भगवान जाने किस-किस के नाम से एजेंसीज़ बनाते जा रहे हैं। अब एक ओर तो इनकी आमदनी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर देश में गुरबत कायम है और जो ग़रीब हैं वे दिन पर दिन और ग़रीब होते जा रहे हैं। इन दस, बारह वर्षों के अन्दर हम ने जो कुछ तरक्क़ी की है वह शहरों की की है देहातों की तरक्की नहीं की है। इसलिये आपका ध्यान उधर जाना चाहिये।

अभी हमारे पूर्व वक्ता ने गल्ले की तरफ ध्यान आकर्षित किया । मैं भी इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं । गवर्नमेंट ने भी पास किया था कि हम स्टेट ट्रेडिंग करेंगे ताकि मिडिल मैन निकाल दिया जाये । हमारी कल्पनायें अच्छी हैं, भावनायें अच्छी हैं, लेकिन जब उनको कार्य रूप में परिणत करने का वक्त आता है तो हमारा हाथ रुक जाता है । स्टेट ट्रेडिंग के मसले को पास हुए आठ नौ महीने हो गये लेकिन क्या उस दिशा में कुछ कदम उठाया गया ? कुछ नहीं । अभी परसों जवाब मिला कि फुड मिनिस्टर साहब ने जो स्कीम बनायी है वह चलेगी । फुड मिनिस्टर साहब ने स्कीम निकाली है कि जो खरीदने वाले बनिये हैं उनको ही लाइसेंस दिया जायेगा और वह सरकार के लिये गल्ला खरीदेंगे । लेकिन आज तक उनको लाइसेंस नहीं दिये गये और वह मनमाने ढंग से गल्ला खरीद रहे हैं । अभी दस दिन पहले गेहूं का भाव २८ रुपये मन था और अब १५ रुपये मन हो गया है । आप समझ सकते हैं कि आज किसानों को रुपये की जरूरत है, और छोटे-छोटे काश्तकार अपना गल्ला बाजार में ला रहे हैं । हापुड़ मंडी की रिपोट है कि ३०० या ४०० मन गल्ला रोज आ रहा है पर कोई खरीदने वाला नहीं है । महाजन नहीं खरीदते । वह कहते हैं कि न जाने गवर्नमेंट का रुख क्या होगा । नतीजा यह हो रहा है कि काश्तकार का गल्ला मनमाने ढंग से १५ रुपये मन पर ले रहे हैं । लेकिन जब दस दिन के बाद हमारे घर से गल्ला निकल जायेगा और फिर हम को बनियों के घर से खरीदना पड़ेगा तो फिर २८ और ३० रुपये के भाव पर मिलेगा । पता नहीं कि गवर्नमेंट अपनी सद्भावनाओं को कार्यान्वित करने में आगे क्यों नहीं बढ़ती ।

एक तरफ आपका स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है । वह बाहर और भीतर तमाम बातों में काम करता है । लेकिन आपकी एक संस्था जो बनी बनायी थी उसको आप काम में नहीं लाते । आपने एक वेअर हाउसिंग कारपोरेशन का कानून बनाया था कि जिसके अन्तर्गत देहातों में काश्तकारों का गल्ला इकट्ठा करने की व्यवस्था करने की बात थी ताकि जब अनाज महंगा हो तो किसान उसको बाजार में लाकर बेच सकें और उसको इस तरह अधिक दाम मिल सकें । लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ । हम देखते हैं कि जितनी स्कीमें गरीबों के लाभ के लिये होती हैं उनको लागू करने में देरी होती है ।

अरहर की दाल जिसका भाव १३ आने सेर तक पहुंच गया था आज हम ने अखबार में देखा है कि उसका भाव १२ से १६ रुपये मन तक हो गया है । तो जब हमारी चीजें बाजार में आती हैं तो उनका भाव गिर जाता है और बाद में उनका भाव बढ़ जाता है । आपने चावल का भाव निश्चित किया था और उस वक्त चावल का भाव काफी नीचा हो गया था लेकिन आज फिर बहुत ऊंचा चला गया है । आज आप गेहूं का जौ का दालों का भाव निश्चित करेंगे तो वह नीचे चला जायेगा । चावल का भाव जब आपने निश्चित किया था तो वह १८ से २२ रुपये मन तक चला गया था लेकिन आज आप देखें कि वह ३४ से ४० रुपये मन पर बिक रहा है । लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं जा रहा है । आपने जमींदार और राजे महाराजों को निकाल दिया लेकिन अभी भी व्यापारी मिडिल मैन के रूप में कायम हैं । इनको बीच में से निकालने की ओर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए । पता नहीं कि सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है कि इधर कदम नहीं उठाती । इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

दूसरी तरफ आप ने कहा था कि जो नये टैक्स लगाये गये हैं वे २३ करोड़ रुपये के हैं । क्या हम यह आशा नहीं कर सकते कि कोई साल तो ऐसा हो जिस में नया टैक्स न लगाया जाये । जब से हम आये हैं बराबर जनता पर टैक्स लगाये जा रहे हैं । लोग तो यह कहने लगे हैं कि शहर में तीन चीजें हैं नून, खून और टैक्स । यह चीजें काफी बढ़ती जा रही हैं । नमक तो सस्ता है और

[श्री बर्मन]

उसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा है लेकिन और टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे एक पूंजीपति महोदय ने सरकार से मांग की थी कि सरकार व्यवसाय की उन्नति के लिये कुछ समय के लिये टैक्स लेना बन्द कर दे। हम भी चाहते हैं कि टैक्स कम किये जायें। यह जो २३ करोड़ का टैक्स लगाया जा रहा है इसको क्या हम कम नहीं कर सकते थे। क्या हम अपने खर्च कम करके इसको न लेने की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। खर्च कम करने की बात तो कही जाती है लेकिन खर्च कम नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि सात-सात आठ-आठ स्टोरी के भवन बन रहे हैं उन म कोई भी कमी नहीं है। नाटक अकादमी के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, कल्चुरल कायक्रमों पर रुपया खर्च किया जा रहा है, इन कार्यक्रमों पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। अगर इस तरह के खर्च न किये जायें तो नया टैक्स न लगाना पड़े।

हम ने देखा कि सन् १९४८-४९ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर ३५५० लाख रुपया खर्च हुआ लेकिन आज वह बढ़ कर दो अरब २२ करोड़ ७३ लाख हो गया है यानी करीब छः गुना बढ़ गया है। इस बढ़ने का कारण यह हो सकता है कि लोगों की तनख्वाहों में वृद्धि हुई है, आदमियों में भी वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम खोज-खाज करें तो हम बहुत अंशों में खर्चा कम कर सकते हैं लेकिन शायद खर्चा कम करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

अभी पंजाब में जो इकानमी कमेटी बैठी थी उस ने कहा है कि सरकारी अफसरों को जो भत्ते दिये जाते हैं वह तनख्वाह से बढ़ जाते हैं। हमारे यहां भी पबलिक एकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि भत्ते बहुत बढ़ते चले जाते हैं उनको कम करने की जरूरत है। हमारी पबलिक एकाउंट्स कमेटी इस बारे में रिपोर्ट देती है, एस्टीमेट्स कमेटी रिपोर्ट देती है कि खर्च किस तरह से कम किया जाना चाहिये लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस बारे में मौन सी हो जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम को अपने खर्चों को भी देखना चाहिये और जब हम जनता से पेट कसने के लिये कहते हैं तो हम भी उसके सामने अपना खर्च घटा कर उदाहरण पेश करें। अगर हमारे खर्च घटाने के बाद और सारी कोशिश कर लेने के बाद भी हमारा काम न चले तो हम जनता के सामने आकर कह सकते हैं कि अब हमारा काम नहीं चल सकता और हम को नया टैक्स लगाना पड़ेगा।

अन्त में मैं अधिक समय न लेते हुए मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी कारवाई करें ताकि हम आगे बढ़ सकें।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, जो मांगें हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने पेश की हैं उनको पास करना बहुत जरूरी है। हमारे मौजूदा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के हाथ में हमारा यह विभाग बहुत सुरक्षित है। हमारे मिनिस्टर साहब हिन्दुस्तान से बाहर गये क्योंकि सैकिंड फाइव इअर प्लान के लिये रुपये की सख्त जरूरत थी और उन्होंने अपनी कोशिशों से और अपनी निपुणता से कई सौ करोड़ रुपये का कर्ज हिन्दुस्तान के लिये हासिल किया। यह तो ठीक है कि मौजूदा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के हाथ में हमारा यह विभाग सुरक्षित है। लेकिन जो स्कीम्स हमारे सेंटर से पास होती हैं वह आगे चल कर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर अच्छी तरह कार्यान्वित नहीं की जाती, उनका वहां दुरुपयोग होता है।

यहां एक्साइज ड्यूटी लगायी जाती है लेकिन वह उस तरह से वसूल नहीं की जाती जिस तरह से कि वसूल की जानी चाहिए। स्टेट्स में ज्यादातर इस्पेक्टर जो यह ड्यूटी वसूल करने जाते हैं वह कारखानादारों से मिल जाते हैं और पूरी एक्साइज ड्यूटी वसूल नहीं करते और इससे स्टेट को काफी नुक्सान होता है।

हमारे देश को आजाद हुए लगभग १२ साल हो गये हैं जरूरत तो इस बात की थी कि जनता को कुछ राहत मिलती, लेकिन आज हम देखते हैं कि जनता अपने को बहुत परेशान महसूस करती है क्योंकि उस पर काफी टैक्स लगाये गये हैं । यह ठीक है कि टैक्स लगाये गये हैं क्योंकि जो हमारी योजनायें हैं उनके लिये रुपये की जरूरत भी है । लेकिन जो जनता टैक्स की आदी नहीं थी उस पर इतना टैक्स लगने से वह बेचैन हो उठी है और खास तौर से जब कि गल्ले और कपड़े आदि के भाव, बहुत ऊंचे हो गये हों । आप ने देखा होगा कि आज से महीने भर पहले गल्ले का क्या भाव था । लोगों को खाना नहीं मिलता था । जब तक कपड़े की, गल्ले की और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं की उचित व्यवस्था न की जाये तब तक जनता को राहत नहीं मिल सकती । लेकिन हो यह रहा है कि इधर तो चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं और उधर नये टैक्स लगाये जा रहे हैं । इससे जनता को काफी बेचैनी व परेशानी होती है ।

अन्न अर्थात् भोजन जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है । लेकिन खेद का विषय है कि इस पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पैसा रुपया गल्ले पर और दो पैसा रुपया तिलहन पर टैक्स लगा दिया है । इससे जनता बड़ी परेशान हो रही है । इसी तरह से कपड़े पर, तम्बाकू, पर खांड आदि दूसरी चीज़ों पर जो एक्साइज़ ड्यूटी लगायी गयी है उसकी वजह से भी लोगों में बहुत बेचैनी है ।

मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां टैक्स इस तरह से लगाए जाने चाहियें कि जनता आसानी से दे सके । इसके साथ-साथ चीज़ों की जो कमी है—खास तौर पर गल्ले की—उसको पूरा करना चाहिए, तभी हम जनता को राहत दे सकते हैं । इस स्थिति से आपोज़ीशन पार्टीज़ भी फ़ायदा उठाती हैं और जनता को भड़काती हैं व गुमराह करती हैं फलस्वरूप हर एक आदमी कांग्रेस का मुख़ालिफ़ होता जाता है । एक तो कुदरती तौर पर चीज़ों की कमी के कारण असन्तोष है और उसमें आपोज़ीशन वाले भी योग देते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि जनता में बड़ी बेचैनी और घबराहट होती है ।

अब मैं बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है । उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में चरस, शराब और गांजा बन्द और कुछ में खुला है लेकिन गलत तरीके से चरस, गांजा, अफीम भांग और लिकर बिकता है । पुलिस और इंस्पैक्टर इसमें मिले हुए हैं और पैसा लेते हैं । जब इसके विरुद्ध आन्दोलन किया जाता है और अधिकारियों से कहा जाता है, तो थोड़ा बहुत किसी को गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और मामला खत्म हो जाता है । लेकिन इस पर भी हम देखते हैं कि शराब, चरस और गांजे आदि के अड्डे उसी तरह चल रहे हैं । मैंने निवेदन किया है कि स्कीम तो अच्छी होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसमें इतनी खराबबियां पैदा हो जाती हैं कि जनता में बेचैनी फैल जाती है और वह सोचने लग जाती है कि यहां पर गवर्नमेंट का राज है या नहीं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगरा में नाजायज तरीकों से काफ़ी शराब बनती है और चरस और गांजा भी बिकता है । हम पुलिस से और एक्साइज़ डिपार्टमेंट से कहते हैं । वे थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन इन चीज़ों की बिक्री जारी है—बन्द नहीं होती है ।

इसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि काश्तकार तम्बाकू पैदा करते हैं और इंसपैक्टर वहां जाता है । अगर उससे बात हो जाती है, तो वह कम ड्यूटी लगा देता है और अगर बात नहीं हुई, तो वह ज्यादा ड्यूटी लगा देता है । इस से काश्तकार बड़ा परेशान होता है और मारा-मारा फिरता है । कुछ काश्तकार अपने लिए तम्बाकू पैदा करते हैं, लेकिन उस पर भी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिस से उनमें बड़ी बेचैनी और परेशानी होती है । वे कहते हैं कि हमने अपने पीने के लिये लिए तम्बाकू काश्त किया है, लेकिन उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है । जैसा कि मैंने निवेदन किया है, सैन्टर से हमारे कायदे, कानून और रूल्ज़ वगैरह बहुत ठीक बनते हैं, लेकिन आगे चल कर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर उनका दुरुपयोग होता है, जिससे जनता को परेशानी होती है ।

[सेठ अचल सिंह]

जहां तक स्मगलिंग का सम्बन्ध है, आप देखते हैं कि सोना काफ़ी मात्रा में बाहर से आया और स्मगंल हुआ। मुझे खुशी है कि हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट ने साथ-साथ पाकिस्तान ने उस बारे में काफ़ी सख्ती की और उसको बन्द किया। इसका फल यह है कि आज सोना १२० रुपये तोला हो गया है, जबकि पहले वह १००, १०२ रुपए तोला बिक रहा था।

इनकम टैक्स के बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। इनकम टैक्स इसलिये लगाया गया है कि गवर्नमेंट को इनकम हो, लेकिन हम देखते हैं कि इनकम टैक्स आफ़िसर समझते हैं कि व्यापारी बड़े बेईमान हैं, चोर हैं और इसी दृष्टि से उनके बहीखाते देखते हैं, जिससे व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती है और उनमें बड़ी बेचैनी फैलती है। मैं चाहूंगा कि इस विषय में जितनी भी काम्प्लीकेशन्ज़ और उलझनें हैं, उनको दूर किया जाये और इनकम टैक्स वसूल करने का सीधा-सादा तरीका होना चाहिए। एक-एक जिले में लाखों करोड़ों रुपए इनकम टैक्स के बाकी हैं वह वसूल नहीं हो पाता इसके अलावा इनकम टैक्स आफ़िसर्ज़ एडवान्स में रुपया जमा करा लेते हैं। वह बरसों तक वापस नहीं होता है। इस सम्बन्ध में मेरी एक सज्जन से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हम ने बीस-पच्चीस हजार रुपया १९४६ में जमा कराया था, वह आज तक वापस नहीं किया गया है, तारीख पर तारीख़ दी जाती है। हमारे मन्त्री महोदय बड़े योग्य हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। वह इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इनकम टैक्स, वैल्थ टैक्स और एक्सपेंडी-चर टैक्स वगैरह वसूल करने की मशीनरी अच्छी बनाई जाये, जिससे जनता की परेशानी में वृद्धि न हो, क्योंकि जो काम करने वाले हैं, वे इस तरह के आदमी हैं कि वे इस के सिवाये कुछ नहीं सोचते कि हमारा किसी तरह फायदा हो और हम जनता को परेशान करें। इससे जनता में फ्रस्ट्रेशन फैलती है और उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ़ भावना पैदा होती है। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

अभी मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोग नकली नोट बनाते हैं और एक आध फैक्ट्री हाल में पकड़ी गई है। मुझे बताया गया है कि और भी फैक्टरियां हैं, लेकिन उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि नकली नोट न चल सकें और सरकार नुकसान से बच जाये। इस ओर ध्यान देना आवश्यक है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): जाली नोट कहां बनते हैं?

सेठ अचल सिंह: आगरा में। एक फ़ैक्ट्री पकड़ी गई है।

श्री दी० चं० शर्मा: भगवान् कृपा करे।

सेठ अचल सिं: सेल्ज़ टैक्स स्टेट्स का है और इण्टर-स्टेट सेल्ज़ टैक्स सैण्टर का है। उससे बड़ी गड़बड़ पैदा होती है। किसी जगह कुछ सेल्ज़ टैक्स है और किसी जगह कुछ। इस वजह से एक जगह के लोग दूसरी जगह माल ले जाते हैं, ताकि कम सेल्ज़ टैक्स देना पड़े। फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरी प्रार्थना है कि वह तमाम स्टेट्स के वित्त मंत्रियों की एक कान्फ्रेंस करें, जिसमें इस पर विचार किया जाय कि तमाम स्टेट्स में एकसा—यूनिफार्म-टैक्स होना चाहिये, ताकि व्यापारियों को और जनता को असुविधा न हो।

बेचैनी की एक वजह बेकारी भी है। हमारे यहां काफ़ी लोग बेकार हैं, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी है। जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता महोदय ने बताया है, बेकारी तभी दूर हो सकती है, जबकि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जाये और उन को प्रोत्साहन दिया जाय, ताकि

ज्यादा से ज्यादा लोग उनमें लग सकें। एक बड़ी इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ़ दस-बीस फी सदी आदमी काम पर लगते हैं जबकि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एक लाख की लागत पर चार-पांच सौ आदमी लग सकते हैं छोटी इंडस्ट्रीज़ में रुपया भी कम लगता है। फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट को इस तरफ़ ग्रोर ध्यान देना चाहिये, जिससे बेकारी दूर हो, क्योंकि अगर बेकारी दूर होगी, लोगों को काम मिलेगा, तो लोगों को राहत मिलेगी।

मेरा निवेदन है कि हमको स्टेट को इस तरह मैनेज करना है, जिससे लोगों को खाने को अन्न, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान मिल सके, ताकि उनकी बेचैनी और परेशानी दूर हो सके। मौजूदा हालत शोचनीय है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उस पर विचार करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोगों को राहत मिले और वे हमारी गवर्नमेंट को अच्छा समझें और उस की ताईद करें। इन शब्दों के साथ मैं इन डिमाण्डज़ की ताईद करता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्रीमान्, जिन माननीय सदस्यों ने वित्त मंत्रालय के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी चर्चा में भाग लिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो सुझाव उन्होंने दिये और जो आलोचना की मैंने उसे ध्यानपूर्वक सुना है। मैं यह समझता हूं कि कुछ सुझाव तो सदैव ही दिये जाते हैं। मैंने कई बार कतिपय मामलों का स्पष्टीकरण किया है किन्तु उन्हें दुबारा सभा के समक्ष रख दिया जाता है। पुनः उन्हीं का स्पष्टीकरण करना कहां तक उचित है यह मैं नहीं जानता। तदपि सभा के प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि मैं सभी बातों का उत्तर दूं।

सबसे पहले मैं साम्यवादी दल के सदस्य श्री प्रभातकार की बातों का उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी कराधान प्रणाली की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है और न ही करारोपण के कोई सिद्धांत अपनाये गये हैं बल्कि यह सारा मामला वित्त मंत्री की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने इस कथन को साबित करने के लिये पूंजीगत लाभ कर तथा धनकर का उदाहरण दिया। इससे अधिक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया।

जहां तक पूंजीगत लाभ कर का सम्बन्ध है, यह सर्वप्रथम सन् १९४६ में लागू किया गया था और लगभग १९५४ में इसे हटा दिया गया। कारण यह था कि उन दिनों सम्पत्ति का मूल्य काफी गिर गया था और गिर रहा था। इसलिये ऐसी स्थिति में इसे जारी रखना लाभदायक नहीं था। किन्तु जब दोबारा मूल्यों की वृद्धि होने लगी, इसे भी पुनः लागू कर दिया गया। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि करारोपण का मामला वित्त मंत्री की अपनी स्वेच्छा पर ही आधारित है।

इसी प्रकार से धनकर और अतिरिक्त लगा कर सम्बन्धी दलीलें भी ठोस नहीं हैं। हमने इन करों को नहीं छोड़ा। जो कुछ हमने लगाया है उसकी प्राप्ति हमें हो रही है—इसे छोड़ना नहीं कहा जा सकता। अब इसे निगम करों के साथ सम्मिलित कर दिया गया है, ताकि कराधान की प्रणाली सरल हो जाय। यही बात मैं पहले भी बता चुका हूं किन्तु यदि मेरे जवाब के बाद भी किसी को सरकार की आलोचना करने से प्रसन्नता मिलती है, तो मुझे क्या आपत्ति है। उसे प्रसन्न रहना चाहिये। इससे अधिक इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

इसी तरह से कराधान की सीमा में की गई कमी भी किसी वित्त मंत्री की स्वेच्छा की बात नहीं है। वित्त मंत्री अधिनायक नहीं होता। जो भी नीति अपनाई जाती है वह सामूहिक रूप से ही अपनाई जाती है। इसलिये यह बात गलत है कि हमारे यहां व्यक्तिगत नीतियां चलती हैं। यह बात अलग कि है कोई एक व्यक्ति सरकार की नीतियों से सहमत न हो या उन्हें ठीक न समझे पर इसका अर्थ यह नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

कि सरकार ने बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया और केवल वही अकेला आदमी बुद्धि से काम ले रहा है। हां, माननीय सदस्य को यह कहने का हक है कि उन्हें सरकार की नीति पसन्द नहीं और वह दूसरी नीति चाहते हैं। किन्तु अपने आप को ही बुद्धिमान समझना, गलती है। जो ऐसा करते हैं लोग उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमारे देश में आर्थिक अस्त-व्यस्तता फैल रही है और हमारे देश का लगभग दीवाला सा निकल रहा है। यह तो नहीं कहा कि हमारा दीवाला पिट चुका है। किन्तु जनसाधारण तो इसका यही अर्थ निकालेगा। पर मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। हमने कब किसी का पैसा दबाया है। हम हरेक को देते हैं। अगर यह कहा जाय कि हम कम ले रहे हैं तब भी यह बात सोच समझ कर कही जानी चाहिए।

क्या सरकार से यह आशा की जाती है कि वहां कहीं से बिल्कुल उधार न ले ? क्या आप चाहते हैं कि सरकार केवल करों से ही अपना काम चलाये और जितना धन इस प्रकार प्राप्त हो उसी से देश का विकास करे ? यदि यह बात है तो मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को विकास का ज्ञान ही नहीं है। यदि इस नीति पर चला जाय तो हालत बिगड़ती ही जायगी, सुधरेगी नहीं। यदि देश का विकास करना है तो उसके लिये धन आवश्यक है और इतना धन करों से प्राप्त नहीं हो सकता। यह धन देश के लोगों या विदेशों से उधार लेकर ही हासिल किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें विदेशों से ऋण लेना पड़ता है—क्योंकि बाहर से ही भारी मशीनें आदि मंगानी पड़ती हैं। जब तक हम मशीनों का उत्पादन अपने देश में नहीं कर पाते तब तक हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता रहेगी। इसलिये बाहर से ऋणलेते समय हमें केवल यही सोचना चाहिये कि कहीं इतना ऋण तो नहीं ले रहे जिसे वापस ही न कर सकें।

विदेशों से ऋण तथा सहायता हम केवल उत्पादन वृद्धि के लिए ही ले रहे हैं और उत्पादन बढ़ने से जो अधिक आय होगी उसी से ऋण चुका देंगे। सारी दुनियां में लेन देन के मामले में हमारी साख बनी हुई है। बेशक अन्य देशों ने अदायगी में खराबी की हो, किन्तु इस सरकार ने एक बार भी ऐसा नहीं किया। आगे भी ऐसा नहीं होगा। हां, यदि दुर्भाग्यवशत् यह देश ऐसे लोगों के शासनाधीन आ जाय, जो मूर्ख हैं और जो कभी भी इस देश का हित नहीं सोचते बल्कि अन्य देशों की ओर देखते हैं तो, हमारे देश की सहायता ईश्वर ही करेंगे। खैर ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है वह दिन ही नहीं चढ़ेगा। इस लिए हमें निश्चिन्त रहना चाहिए।

रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों पर अपर्याप्त नियंत्रण रहता है, यह प्रश्न भी उठाया गया था। यह बात गलत है। रिज़र्व बैंक की शक्तियां पर्याप्त हैं और वह सारे प्रबंध को ठीक रीति से चला रहा है। देश में लेन-देन की संतुलित स्थिति को देखकर यह सत्य प्रमाणित हो जाता है। हां, माननीय सदस्य अलग राय रख सकते हैं। इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। शायद वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण को पसन्द करें, किन्तु हमारी सरकार देश के हित को ही देखती है। केवल राष्ट्रीयकरण के लिए तो राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। जहां तक बैंकों पर नियंत्रण रखने का सम्बन्ध है वह काम रिज़र्व बैंक पूरी बुद्धिमत्ता से कर रहा है। यदि यह कहा जाता है कि गैर-सरकारी व्यापारियों को ऋण न दिया जाय तो मैं बात को समझता किन्तु हमें यह नीति नहीं अपना रहे हैं।

हमने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया है और यही व्यवस्था सर्वोत्तम है। हम किसी वाद विशेष का अनुसरण नहीं करते जो बात लाभदायक है उसे अपनाते हैं। यदि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लें तो हमारे संसाधनों की वृद्धि किस नीति से हो। इससे अधिक सुंदर रीति से हम उनका उपयोग भी नहीं कर सकते। ऐसा कदम देश के हित में नहीं होगा। अत: यह बात ही व्यर्थ है। मैं आशा करता हूं कि इसे बार-बार न दुहराया जायेगा। हमारे विचार अलग हैं उनके अलग। यदि यह प्रश्न भविष्य में उठा तो मैं इसके बारे में कुछ न कहूंगा।

यह भी कहा गया कि दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से भी पता चलता है कि आर्थिक स्थिति डांवांडोल है। अगर तथ्यों की ओर ध्यान दिया जाय तो ज्ञात हो जायेगा कि गत वर्ष अनाज की कीमत न तो घाटे की अर्थव्यवस्था के करण बढ़ी और न ही सरकार को किसी असफलता के कारण। बल्कि इसका कारण ही अलग था। १९५७-५८ में लगभग ६७ लाख टन कम अनाज की पैदावार हुई थी क्योंकि उस वर्ष मौसम की स्थिति भयंकर रही।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

गत वर्ष का मौसम बहुत ही खराब रहा। इस को तो कोई भी पहले से नहीं देख सकता। तब भी हमारी सरकार ने ३५ लाख टन अनाज बाहर से मंगवा कर स्थिति पर काबू पा लिया था। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मूल्य अत्यधिक बढ़ गये थे। पड़ौसी देशों की स्थिति देखने से आपको मालूम हो जायेगा कि वहां मुद्रास्फीति किस मात्रा तक पहुंच चुकी है। खैर कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं करनी चाहिए।

इसी प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार लोगों में घबराहट पैदा कर देता है और इसी घबराहट से मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव ऐसे देश में जहां अभी हालत में स्थिरता न आई हो और भी अधिक बुरा होता है। यदि ऐसी स्थिति में कुछ लोग सरकार के मान को धक्का पहुंचाने के लिए या स्वंय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लोगों में घबराहट पैदा करते हैं, वह देश के हित का कार्य नहीं। लोगों को हानि पहुंचाकर आप फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है।

निस्संदेह हमें अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से ही हमारे देश की समृद्धि हो सकती है। हम उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। बजाय उसके कि यहां अनेक प्रकार के सुझाव दिये जायं, क्या लोगों के लिए यह अधिक अच्छा नहीं है कि वे ग्रामों में जायें और देखें कि किसानों की सहायता किस नीति से की जा सकती है और उसे करें। इसके अतिरिक्त भूमि का विषय राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखता है।

हम राज्य सरकारों को विभिन्न उपाय करने का परामर्श देते हैं किन्तु उनका काम तनिक कठिन हो जाता है क्योंकि उनका लाखों किसानों से वास्ता पड़ता है। किसान को पहले तो नये तरीकों की उपयोगिता का विश्वास दिलाना होता है और फिर सारी सुविधाएं देनी होती हैं। यह काम सरल नहीं है। केवल अच्छे बीज उगाने का मामला ही ऐसा है जो एक दिन में पूरा नहीं हो जाता। अच्छे बीज देने में ही वर्षों लग जाते हैं। इन सब मामलों में शिक्षा का निरंतर प्रवाह आवश्यक है न कि आलोचना का। आलोचना को भी हम स्वयं पसंद करते हैं किन्तु वह ऐसी आलोचना हो जिससे हमें जानकारी मिले। आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए।

इसी प्रयोजन के लिए हमारी सरकार चाहती है कि प्रत्येक गांव में सेवा-सहकारी संस्थाएं स्थापित हों और खेती का काम भी सहकारिता की भावना पर ही चलना चाहिए। किन्तु यह काम भी तभी हो सकता है जब लोगों को उचित रीति से शिक्षा दी जाय। यदि हमें इस काम में सफलता मिले तब तो यह लाभदायक है अन्यथा नहीं। यह समस्या भी दलगत दृष्टिकोण से हल नहीं की जा सकती।

[श्री मुरारजी देशाई]

यह आलोचना भी निराधार है कि यह सरकार अपना स्थिति पर काबू पाने के लिए पूरा ज़ोर नहीं लगा रही। यदि हम अन्य चीज़ों के मूल्यों की ओर देखें तो पता लगेगा कि उनकी कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ीं। वस्तुतः जितना अनाज मंहगा हुआ उतनी मंहगाई दूसरी चीज़ों में नहीं आई। यह सरकार की सफलता है। आप यह नहीं कह सकते कि यह बात अपने आप हो गयी। जनता के सहयोग के बिना सरकार भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकती। यदि हम लोग कुछ मूलभूत बातों का विरोध न करें तो निस्संदेह जनता सहयोग करेगी। बजाय आलोचना के हमें सरकारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहिए और एक समन्वित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनता के मन में द्विविधा उत्पन्न न हो।

इसके बाद योजना का प्रश्न था। कहा गया कि योजना भी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। श्री अशोक मेहता ने बड़ी मूल्यवान बातें कहीं। उन्होंने योजना की व्याप्ति, इसके उद्देश्यों आदि के सम्बन्ध में बड़ी सैद्धान्तिक बातों का निरुपण किया। किन्तु यदि योजना आयोग के कार्य को देखा जाय तो ज्ञात होगा कि वह इस प्रकार की समस्त बातों पर पूरा ध्यान रखता है। यह कहना गलत है कि आयोग ठीक काम नहीं कर रहा। यह तो संभव है कि योजना बनाने वाला एक दूसरा दल अलग बातें सोचेगा। । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे योजना निर्माता कुछ नहीं जानते, बाहर वाले ज्यादा जानते हैं और हमारा आयोग फजूल है। यह विचित्र बात है।

यहां योजना मंत्री के कर्त्तव्य भी पूछे गये। योजना मंत्री का कर्त्तव्य दूसरा है। अनेक कृत्यों के साथ उसे योजना का काम भी देखना पड़ता है। योजना का कोई पृथक मंत्रालय नहीं है। अलग कर्मचारी भी नहीं है। वह यहां प्रश्नों का उत्तर देते हैं, मैं भी दे लेता हूं क्योंकि मैं योजना आयोग का सदस्य हूं। प्रधान मंत्री उसके सभापति हैं। अत: जवाब कोई भी दे सकता है। किसी एक के लिए यह मखसूस नहीं किया गया है।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले आज तक कोई योजना नहीं बनी। हमें यह काम नये सिरे से शुरू करना पड़ा। पहली योजना, देश में उपलब्ध सामग्री के आधार पर बनाई गयी। कई छोटी योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी योजना बना ली गयी थी। उस समय योजना के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं पनपे थे और यदि यह कहा भी जाय तो भी ठीक ही है। किन्तु जब दूसरी योजना बनाई गयी तो यह केवल ऊपर ही से नहीं बनाई गयी। जिला आयोजन सलाहकार समितियां और राज्य समितियां अब मौजूद हैं। वे सारी सामग्री एकत्रित करती हैं और उसे एक स्थान पर एकत्रित करके आयोग के पास पहुंचा दिया जाता है। सारे देश से प्राप्त इन विचारों का समन्वय योजना आयोग करता है और फिर ऐसी योजना बनाता है जो हमारे आर्थिक ढांचे में जचे और प्रत्येक राज्य से बातचीत करने के पश्चात् सारी योजना को एक रूपता प्रदान की जाती है। हमने इस सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाई है। यह कहना गलत है कि योजना बनाते समय जनता की राय नहीं ली जाती। हां यह भी संभव नहीं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति से ही परामर्श लिया जाय। किन्तु जितनी संस्थाओं से परामर्श लेना संभव है, लिया जाता है। सरकार इस मामले में नगरपालिका बोर्डों और विकास बोर्डों से सलाह लेती है। वस्तुत: क्षेत्रीय बोर्डों और ज़िला विकास बोर्डों में इन संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। अत: इन से परामर्श करना अथवा नगरपालिकाओं से परामर्श करना एक ही बात है।

तीसरी योजना की तैयारी के लिए, योजना आयोग ने १५ कार्यकारी दलों की स्थापना की है। वे विभिन्न विषयों का अध्ययन करेंगे। वित्तीय संसाधनों कृषि, सिंचाई तथा बिजली

आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। हमें देश की आर्थिक-स्थिति की सामूहिक आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान देना पड़ता है और उसी आ ार पर हम प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं। इन प्राथमिकताओं के निर्धारण में मतभेद भी होना संभव है। अन्ततः इन सब मतभेदों को योजना आयोग दूर करता है। थोड़ा मतभेद रहे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है—किन्तु यह कह देना कि योजना आयोग का काम ही कुछ नहीं, गलत है। यह आलोचना ठीक आलोचना नहीं है। यह भी गलत है कि योजना आयोग अपना प्रतिवेदन दिल्ली में बैठे बैठे बना लेता है और जनता से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ, सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण की बात भी कही गयी। राष्ट्रीयकरण के दो प्रश्न उठाये गये। एक तो यह कि राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है और दूसरे यह कि जनता के मन का राष्ट्रीयकरण हो।

यह भी कहा गया कि वित्त मंत्रालय में तो खर्चे की बचत की जाती है किन्तु इससे बाहर कुछ नहीं होता है यह बात ठीक नहीं है। सन्, १९५६ से लेकर अब तक विभिन्न मंत्रालयों के विशेष पुनर्गठित एककों ने ४० लाख रुपया प्रति वर्ष की बचत की है। यह एकक कम खर्च के सुझाव देता है। यह बचत एक करोड़ रुपये की पहली बचत से अलग है। किन्तु विकासोन्मुख देश में तो व्यय अन्य दिशाओं में बढ़ता रहता है। इस कारण बचत का पता तुरन्त नहीं लग पाता। हम और ज्यादा बचत करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा करने की गुंजाइश सदैव रहती है। यदि हम लापरवाही करें तो फजूलखर्च हो जायेंगे। इसी दृष्टिकोण से वित्त मंत्रालय में एक विशेष पुनर्गठन एकक बनाया गया है जो सामान्यतया प्रत्येक मंत्रालय के काम काज को देखता है और फिर उस काम को उस रीति से समन्वित कराने का प्रयास करता है जिससे कि काफी बचत हो सके। यह काम निरन्तर जारी है। हम ने इस एकक को दृढ़ बना दिया है। हमें आशा है कि यह एकक अपना काम दो या तीन वर्षों में पूरा कर लेगा और उसके पश्चात् हमारे प्रशासन का आधार अधिक वैज्ञानिक एवं दृढ़ हो जायगा। असैनिक प्रशासन के व्यय की वृद्धि के कारण हमारी आलोचना हुई है और इसके लिये ही हम सब को अत्यधिक चिन्ता रही है। मैं इस बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम इस व्यय को यथासंभव कम रखेंगे और सदैव यही चेष्ठा करेंगे। हम व्यर्थ व्यय नहीं करेंगे। जो व्यय होगा उसका परीक्षण बार बार करते रहेंगे और फजूलखर्ची बिल्कुल समाप्त कर देंगे।

इस सम्बन्ध में यदि मैं आप के समक्ष व्यय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण दूं तो आप समझ लेंगे कि हमारे सामने कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं। सन् १९५१-५२ में संसद् सम्बन्धी व्यय ३२,४६,००० रुपया था किन्तु १९५८-५९ में यही व्यय बढ़ कर १२४,१३,००० रुपया हुआ और अनुमान है कि १९५९-६० में १३५,५०,००० रुपये हो जायेगा। देख लीजिये ३२ लाख से बढ़ कर यह व्यय १३५ लाख हो गया है। यह आवश्यक व्यय है। मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य इसे अनावश्यक न कहेगा। खैर हम इसका भी परीक्षण कर रहे हैं। किन्तु यहां मैं कुछ न बोलूंगा। सक्षम लोग ही कुछ कह सकेंगे। अनावश्यक न होते हुए भी व्यय बढ़ रहा है और इसी प्रकार अन्य विभागों में भी व्यय वृद्धि हो रही है।

†**श्री खाडिलकर**: श्रीमान्, यह तर्क इन्होंने सभा के सदस्यों को चुप कराने के लिये दिया है। मुझे इस पर बहुत आपत्ति है। १९५१-५२ में संसद का विकास हो रहा था। इसने प्रगति तो करनी ही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें इतना भावुक नहीं होना चाहिये । मैं ने स्वयं संसद् के समस्त व्यय का परीक्षण किया है । इस सम्बन्ध में मैं ने लोगों की राय भी मांगी थी । हमारे प्रतिवेदन को माननीय सदस्य देख सकते हैं । किन्तु माननीय सदस्यों को भी बुरा नहीं मानना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरा उद्देश्य आलोचना का नहीं था बल्कि मेरा तात्पर्य केवल यह जतलाने का था कि सरकार भी व्यय के बारे में पूरी तरह से सोचती है । इसी तरह अन्य मंत्रालयों के व्यय में भी वृद्धि हुई है । इस व्यय का उल्लेख करना पाप नहीं है । मैं किसी का मुंह थोड़े ही बन्द कर रहा हूं । यदि मैं किसी बात का प्रभावपूर्ण उत्तर देता हूं तो किसी को क्षुब्ध नहीं होना चाहिये । मुझे इस प्रकार की बातों का उल्लेख करने का हक है । इससे किसी विशेषाधिकार का खंडन नहीं होता । बल्कि आपत्ति करने से माननीय सदस्य मेरा अधिकार छीनना चाहते हैं । मैं अध्यक्ष से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरा संरक्षण करें ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : क्या मंत्रियों के यात्रा एवं महंगाई भत्तों में भी बचत की गयी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं यह नहीं कहता कि कहीं बचत की गुंजायश नहीं है । किन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि सारा व्यय व्यर्थ है । बस केवल इतनी सी बात ही मैं आपके समक्ष रखना चाहता था । यह भी नहीं कहा जा सकता कि संसद् के व्यय में कमी की गुंजायश नहीं है । इस सम्बन्ध में सदस्यों को चिल्लाना नहीं चाहिये ।

†**श्री खाडिलकर** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । अभी आपने कहा कि संसद् के व्यय की जांच हो चुकी है और इस में बचत की गुंजायश नहीं है—इन्हें इसके विपक्ष में नहीं कहना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जो मैंने कह दिया वह अन्तिम नहीं है । हमें भावुक नहीं होना चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : राजकोष को सेवाओं के हस्तांतरण का प्रश्न भी उठाया गया । राजकोष का कार्य बड़ा जटिल है । इसे और काम देना ठीक न होगा । बर्तानिया की बात अलग है । वहां की परम्पराएं जुदा हैं । हमारे देश में संघीय सरकार है । इंग्लैंड की भांति एकल-शासन नहीं है । भारत सरकार भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा से ही सम्बन्धित है । उनका समन्वय हमें यहां केन्द्र में करना पड़ता है । इसी तरह का मामला उच्च-न्यायालयों के साथ है । न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किन्तु वे राज्यों में होते हैं । इस समन्वय का काम राजकोष नहीं कर सकता, गृह मंत्रालय ही को यह करना होता है । इसलिये सिद्धान्ततः भी विद्यमान प्रणाली ही हमारे यहां के लिये उपयुक्त है । हां यदि कुछ ब्यौरात्मक परिवर्तन करने हों तो वह अलग बात है । किन्तु इस प्रकार की कार्यवाही करने से हमारे काम में दक्षता नहीं आयेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : अब सेवा आदि के मामले दो मंत्रालयों में जाते हैं और उनके निबटारे में काफी देर लगती है । क्या किसी अन्य लोकतंत्रात्मक देश में भी ऐसी व्यवस्था है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : राज्यों में भी सेवाओं का नियंत्रण मुख्य मंत्री के हाथ में है वित्त मंत्री के हाथ में नहीं है । आप अपने ही देश को देखें । बाहर जाने की क्या आवश्यकता है । कोई यह नहीं कहेगा कि यह नियंत्रण वित्त मंत्रालय के अधीन हो । मुझे भी प्रशासन का अनुभव तो है ही । आप नाराज न होना । यदि कोष को ही प्रशासन का भार सहन करना पड़े तो शायद उसे भारी

†मूल अंग्रेजी में

क्षति पहुंचेगी । मैं यही समझता हूं । इस कारण कोष विभाग पर यह भार डालना उचित न होगा । इस काम के लिये गृह मंत्रालय सब से उचित है ।

इस के बाद कहा गया कि व्यय की बचत का सुझाव देने के लिये एक संसदीय समिति बनाई जाय । माननीय सदस्य हमें बचत के लिये जो भी सुझाव दे देते हैं हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं । हम तो बाहर वालों के सुझावों को भी मान लेते हैं । किन्तु इस प्रकार की समिति बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा । इससे व्यय की वृद्धि होगी क्योंकि उस समिति के लिये कर्मचारी लगाने पड़ेंगे और फिर उस समिति की देखभाल के लिये हमें एक और समिति बनानी पड़ेगी । इस से लाभ नहीं होगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : किन्तु मेरा सुझाव यह नहीं था कि आप व्यय बढ़ायें । जिस तरीके का उल्लेख मैं ने किया है उससे एक पैसा व्यय भी न बढ़ेगा ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सब से पहले प्राक्कलन समिति सारे अनुमानों का परीक्षण करती है और उसके बाद लोक-लेखा समिति । वे सुझाव भी देते हैं । इन से लाभ होता है ।

प्राक्कलन बनाने के तुरन्त बाद ही हम किसी समिति से लाभ नहीं उठा सकते—क्योंकि तब तो सारे बजट प्रस्तावों की गोपनीयता समाप्त हो जायगी । ऐसा नहीं हो सकता । हां प्राक्कलन समिति इस काम को करती ही है ।

यह भी कहा गया कि व्यय पर वित्तीय नियंत्रण बहुत ही कम है । किन्तु मुझे तो ऐसा नहीं लगता । विभाग के पास शक्तियां पूरी हैं । हां यदि आप कहें कि काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है तो यह बात अलग है । अगर यह कहा जाय कि प्रशासनिक मंत्रालयों से शक्तियां हस्तांतरित कर ली गयी हैं और भूत की कार्यवाही की अपेक्षा अब नवीन प्रथा अपना ली गयी है, तब उस सम्बन्ध में मैं तो यही कहूंगा कि यह कार्यवाही केवल इस कारण से की गयी है कि मंत्रालय शीघ्र एवं दक्ष रूप से धन का व्यय कर सकें । पहले बजट की व्यवस्था के बावजूद भी प्रत्येक मंत्रालय को प्रत्येक व्यय की मंजूरी वित्त मंत्रालय से लेनी पड़ती थी । अब उस प्रणाली को त्याग दिया गया है । प्रत्येक मंत्रालय को अपना अंश व्यय करने का हक दे दिया गया है । हर मंत्रालय में आन्तरिक वित्त सलाहकारों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं । उस सलाहकार की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाती है, जिसका एक सदस्य वित्त सचिव भी होता है । यदि सलाहकार का फैसला न माना जाय तो उन मामलों को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सौंप दिया जाता है । यह व्यवस्था निष्प्रयोजन नहीं की गयी । सब कुछ देख-भाल लिया गया है । किन्तु ५० लाख रुपये से अधिक के व्यय की मंजूरी के लिये वित्त मंत्रालय को फिर निर्देश करना होता है । इसलिये व्यय पर काफी नियंत्रण है । मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि इन शक्तियों का और अधिक प्रभावपूर्ण उपयोग किया जाय ।

†**श्री खाडिलकर** : क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि कितनी बार आन्तरिक वित्त सलाहकार और मंत्रालयों की राय में विभिन्नता आई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह प्रणाली हाल ही में लागू की गयी है । अभी उदाहरण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

†**श्री खाडिलकर** : वे तो दब कर काम करते हैं । मैं ने एक उदाहरण भी दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह दुखद आलोचना की गयी थी कि लोक-लेखा समिति तथा नियंत्रक एवं महालेखा के प्रतिवेदन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । मैं इस प्रकार की आलोचना पर आपत्ति करता हूं । जो कुछ भी लोक लेखा समिति अथवा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कहते हैं हम उस पर बड़े सम्मान से विचार करते हैं । किन्तु आखिर सरकार को भी तो कुछ सोच विचार करना होता है । जहां हमारा मतभेद होता है वहां हम कह डालते हैं । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनका सम्मान नहीं करते । यदि सरकार कुछ न करे तो इस पर यह आरोप लग सकता है कि वह कोई काम नहीं करती ।

हम केवल यही कार्यवाही करते हैं । हां यदि कुछ मामलों में हम यह समझ लें कि हम अमुक बात को नहीं कर सकते तब हमें कहना पड़ता है कि हमारे लिये यह संभव नहीं है । अतः असम्मान इत्यादि का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

मैं समझता हूं कि यह आरोप कि बजट ढीले ढाले ढंग से बनाया जाता है किसी सीमा तक उचित है । इस क्षेत्र में भी हम सुधार कर रहे हैं । किन्तु इस मामले में माननीय सदस्यों ने एक अतिशयोक्ति-पूर्ण चित्र हमारे सामने रखा है उसका स्पष्टीकरण करना भी मेरा कर्तव्य है ।

कहा गया था कि एक मामले में स्वीकृति मांग में ५० से ७० और यहां तक कि ८० प्रतिशत तक की भी बचत थी । यह बात किसी एक मंत्रालय में एक या आध मद में तो हो सकती है किन्तु शेष स्थानों पर आप इस प्रकार की वृद्धि को २० प्रतिशत से अधिक नहीं पायेंगे । खैर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मांगों की जांच पूर्णतया हो और प्रायः वास्तविक व्यय की ही व्यवस्था की जाया करे । हाल ही में किये गये इस विकेन्द्रीयकरण का तात्पर्य ही यही है कि हम व्यय को अत्याधिक उचित और दक्ष रीति से करें । मुझे आशा है कि थोड़े समय बाद हम इस दिशा में भी पर्याप्त सुधार कर लेंगे । तब इस मामले में शिकायत की कोई गुंजायश नहीं रह पायेगी ।

यह सच है कि विभागों को कई बार आखिरी मास में एकदम से धन का व्यय करना पड़ता है ; इस से कुछ धन व्यय भी जाता है ; किन्तु यह तरीका इस कारण चल रहा था कि उन्हें सदैव यही भय बना रहता है कि यदि धन का प्रयोग शीघ्र ही न किया गया तो काम समाप्त न होगा और अगले वर्ष भी इस के लिए कुछ न मिलेगा । अतः हम ने विभागों को बता दिया है कि उन्हें इस प्रकार से घबराना नहीं चाहिए—यदि धन खर्चा न जा सके तो कोई बात नहीं अगले बजट में तदनुसार व्यवस्था की जायेगी किन्तु जल्दी में आकर धन का व्यय करने की आवश्यकता नहीं है । जिन मामलों में ठीक आखोर में जा कर ही धन का व्यय किया जाता है उन्हें रोका जायेगा ।

यह भी कहा गया है कि राज्यीय संस्थापन लाभप्रद नहीं है । मैं यह नहीं कहूंगा कि यह आलोचना निराधार है । जिन राज्यीय संस्थापनों का स्थायीकरण होता जा रहा है वे प्रत्येक वर्ष ज्यादा लाभ दिखा रही हैं । भारतीय एयरलाइन्स निगम को कुछ कारणों से लाभ नहीं हुआ है । दुनिया में प्रत्येक जगह एयरलाइन्स से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि उन पर व्यय अधिक होता है, किन्तु तब भी हमें उन्हें बनाये रखना पड़ता है । हम देश हित के लिए इन्हें चलाते हैं । अतः इस प्रकार के उपक्रमों में हानियां होना स्वाभाविक है किन्तु राज्यीय उपक्रमों में इस कारण ही हानि होने की गुंजायश नहीं है कि वे राज्यीय उपक्रम हैं । साथ ही यह आशा करना भी बुद्धिमता नहीं कि पहले दो, तीन या चार वर्षों में ही हमें काफी लाभ हो जायेगा और यही बात राज्यीय उपक्रमों पर लागू होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भी कहा गया कि पुनर्वित्त निगम का काम भी ठीक नहीं है। अभी तो यह निगम बना है और इन चन्द एक महीनों में ही यह अन्दाज लगा लेना कि यह निगम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उचित नहीं है। इस निगम के काम को उचित समय तक देख कर ही इस के कार्य पर फैसला देना न्यायसंगत होगा। किन्तु इस थोड़ी सी अवधि में हो इस निगम ने २.४३ करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। अतः काम ठीक चल रहा है और यह समझने का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि यह निगम आर्थिक व्यवस्था की वृद्धिशील आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकेगा।

अल्प बचतों के फलस्वरूप प्राप्त धन के सम्बन्ध में भी चिन्ता का प्रदर्शन किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि अब हमें इस माध्यम से ज्यादा धन प्राप्त हो रहा है और जो विभिन्न कार्यवाहियां हमने की हैं उन के परिणाम स्वरूप अधिक अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में हमें इस साधन से ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध होगा। सभी माननीय सदस्यों की सहायता उस में प्रभावपूर्ण सिद्ध होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य स्थान स्थान पर जा कर इस बचत को बढ़ावा देने का प्रचार करेंगे।

अनिवार्य बचत, स्वर्ण बंधकों का जारी करना अथवा अल्प बंधकों के एकत्रण के लिए एक निगम की स्थापना करना आदि विषयों से अन्य बहुत सी बातें पैदा होती हैं। ये मामले ऐसे नहीं हैं जिनका निर्णय शीघ्रता पूर्वक किया जाय क्योंकि इन से बहुत सी जटिलताएं और उलझनें पैदा होती हैं। अतः सरकार सदैव उन के बारे में सोचा करती है। उन्हें नामंजूर भी नहीं किया जाता क्योंकि संभव है किसी समय कोई चीज लाभदायक सिद्ध हो जाय। अतः उनका परीक्षण सदैव किया जाता है और जिस घड़ी भी यह देख लिया जाता है कि अमुक चीज अमुक समय लाभप्रद रहेगी उसी समय हम उसको अपना लेते हैं।

विदेशी ऋणों के अधिक जमा होने पर भी गहन चिंता प्रकट की गयी। मैं ने शुरू में भी इस मामले का उल्लेख किया था और अब पुनः करता हूं। हमने विदेशी ऋणों सम्बन्धी आंकड़े सदस्यों को समय समय बताए हैं।

मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी अविकसित देश बाहर के देशों की सहायता के बिना विकास नहीं कर सकता। परन्तु हमने उतना ही कर्जा लिया है जितना कि हमारे अन्दर सामर्थ्य है। हम उतनी रकम उधार नहीं लेते जिसे हम कभी अदा न कर सकें। इस लिए इस संबंध में चिन्ता करने की कोई बात ही नहीं है। चिंता केवल इसी कारण अच्छी है कि हम कहीं ज्यादा ऋण न ले लें और अपनी क्षमता से बाहर न चले जायें—अथवा अपने देश का फायदा करने के जोश में कहीं अन-जाने ही अपने को क्षति न पहुंचालें। अतः जो माननीय सदस्य हमें इस प्रकार की बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों से सचेत करते रहते हैं मैं उनका आभारी हूं, और मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि हमें स्वयं इस बात का ध्यान रहता है; क्योंकि सरकार की साख इसी बात पर निर्भर करती है, और यदि सरकार इस मामले में स्वयं सतर्क न रहे तो इसे देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। हम इस जिम्मेदारी का पूरा अहसास करते हैं और सभा को आश्वासन दिलाते हैं कि हम देश के प्रति इस उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभायेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: क्या मुझे किसी एक कटौती प्रस्ताव को अलग से रखना है?

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम्): हम कटौती प्रस्ताव संख्या २०४६ पर मत विभाजन चाहते हैं। यह कटौती प्रस्ताव श्री प्रभात कार के नाम से है और दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब के विषय में है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे पांच बजने में दस मिनट पर रखा जायगा। ५ बजे अन्य कटौती प्रस्ताव लिये जाने हैं। अब हम अगला विषय लेते हैं।

वित्त विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वित्त विधेयक, १९५९ पर विचार होगा। इस के लिए १५ घंटे का समय आवण्टित किया गया है। इस समय को विभिन्न प्रक्रमों में किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिये ?

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल) : इस के लिए दो घण्टे का समय और दिया जाना चाहिए ताकि दस घण्टे सामान्य चर्चा के लिए और सात घण्टे शेष प्रक्रमों के लिए आवण्टित किए जा सकें।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मेरे विचार से १२ और ५ घण्टे ठीक रहेंगे।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : सामान्य चर्चा के लिए दस घण्टे मिलने चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी दस घण्टे और ५ घण्टे ही ठीक हैं। बाद में यदि आवश्यकता मालूम होगी तो कुछ समय बढ़ा दिया जाएगा।

जैसा हमेशा होता है सदस्यों को पन्द्रह मिनट और दल के नेताओं को आधे घण्टे का समय भाषण देने के लिये मिलेगा।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

चूंकि यह विधेयक सभा में सात सप्ताह पूर्व पुरःस्थापित किया गया था इसलिए उस में सन्निहित प्रस्ताव सभा में और बाहर भी पर्याप्त चर्चा का विषय रहे हैं। कुछ प्रस्तावों की आलोचना भी की गई है। विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में मुझे संसद्-सदस्यों, वाणिज्य मंडल, व्यापार संघों और साधारण व्यक्तियों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यद्यपि मैं इन अभ्यावेदनों का अलग अलग उत्तर नहीं दे सका हूं फिर भी मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ने विभिन्न आलोचनाओं और सुझावों को भली प्रकार जांच की है और इस बात पर विचार भी किया है कि जो मांगें रखी गई हैं उन्हें किस प्रकार पूरा किया जा सकता है।

मेरे लिए विधेयक के समस्त उपबन्धों की व्याख्या करना आवश्यक नहीं है। इन उपबन्धों की विस्तृत व्याख्या उस स्मरण पत्र में दी हुई है जो बजट पत्रों के साथ परिचालित किया जा चुका है। इसलिए मैं केवल उन संपरिवर्तनों का ही उल्लेख करना चाहता हूं जो मैं ने आलोचनाओं के फलस्वरूप करने का निर्णय किया है।

सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों को लीजिए। जहां तक केन्द्रीय आबकारी करों का संबंध है सभा को स्मरण होगा कि वित्त विधेयक में खांडसारी चीनी पर ५·६० रुपये प्रति हंडरवेट मूल आबकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

कर और बिक्री कर के बदले में ७० नए पैसे अतिरिक्त कर का प्रस्ताव किया गया था : बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान इस कर की इस आधार पर आलोचना की गई थी कि खांडसारी उद्योग उसका भार नहीं वहन कर सकेगा। मुझे इस उद्योग से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। मैं ने इस मामले की पूरी पूरी जांच कराई है और मुझे खुशी है कि मैं इस उद्योग के संबंध में कुछ रियायतों की घोषणा करने में समर्थ हूं।

सलफिटेशन प्लान्ट की सहायता से बनाई जाने वाली खांडसारी चीनी और बिना ऐसी सहायता के बनाई जाने वाली खांडसारी चीनी को अलग अलग समझा जाएगा। सलफिटेशन प्लान्ट की सहायता से तैयार की जाने वाली खांडसारी चीनी पर मूल कर ५.०४ रुपये प्रति हैंडरवेट कर दिया जाएगा और बिना ऐसी सहायता के तैयार की जाने वाली खांडसारी पर ३.९२ रुपए प्रति हन्डरवेट। इसी प्रकार सलफिटेशन प्लान्ट की सहायता से तैयार की जाने वाली खांडसारी चीनी पर अतिरिक्त आबकारी कर ०.६३ रुपए प्रति हन्डरवेट और बिना ऐसी सहायता के तैयार की जाने वाली खांडसारी पर ०.४९ रुपए प्रति हंडरवेट कर दिया जाएगा। इस रियायत से राजकोष को १९५९-६० में ६१ लाख रुपये और पूरे वर्ष में ८१ लाख रुपए की हानि होगी और उसे प्रशासकीय विज्ञप्तियों द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा। यह भी निर्णय किया गया है कि खांडसारी चीनी को तभी निर्धारणीय समझा जाएगा जब उस के निर्माण में विद्युत्-चालित सेन्ट्रीफ्यूगल्स का प्रयोग किया जाए।

दूसरे शब्दों में यदि विद्युत-चालित कोल्हुओं (क्रशर) की सहायता से निकाले गए रस से 'राब' बनाया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं है; ऐसे राब' से हाथ द्वारा चालित सेन्ट्रीफ्यूगल्स अथवा किसी भी अन्य विद्युत-भिन्न-उपाय की सहायता से बनाई गई खांडसारी चीनी निर्धारणीय नहीं होगी। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मैं छोटी इकाइयों के संबंध में प्रमाप दरों के बदले में कर की संयोजित दरें निर्धारित कराने का विचार भी कर रहा हूं। विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और निकट भविष्य में उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मैं आशा करता हू कि फिर इस उद्योग को कोई शिकायत नहीं रह जाएगी।

जहां तक वनस्पति असारभूत तेलों का संबंध है, छोटी इकाइयों के संबंध में, जिनको पहली बार आबकारी नियंत्रण के अन्तर्गत लाया गया है, यह आशंका व्यक्त की गई थी कि वे इतने रजिस्टर नहीं रख पायेंगे और आबकारी करों में विनिहित प्रमाप प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकेंगे। प्रमाप प्रक्रिया को काफी सरल बनाने और कुछ रजिस्टरों और रिर्टन्स के बन्धन को हटा देने के लिए आदर्श जारी कर दिये गये हैं। निकासी के मामले में भी औपचारिकतायें न्यूनतम कर दी गई हैं। नई प्रक्रिया के अन्तर्गत निकासी स्वयं निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षरित गेट पासों से हो सकेगी और आबकारी अधिकारी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए बिना एक्सपेलर्स की सहायता के ७५ टन प्रतिवर्ष तक उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिये संयोजित दरें विनिहित करने वाला आदेश जारी किया जा रह है। मुझे आशा है कि इस सरलीकरण से छोटी इकाइयों को होने वाली परेशानी का डर समाप्त हो जाएगा। इस सरलीकरण से राजकोष को १९५९–६० में ११ लाख रुपए और पूरे वर्ष में १२ लाख रुपये की हानि होगी।

जहां तक रेशमी कपड़ों का संबंध है, मूल आबकारी कर ६ पाई से ६ नए पैसे कर दिए जाने के कारण विद्युत-करघों के लिए मूल दरों के बदले में संयोजित कर भी प्रथम पारी के लिए ५० रुपए, दूसरी पारी के लिए ३५ रुपए और तीसरी पारी के लिए २० रुपए कर दिया गया है जब कि पहले ४ करघों को कर से छूट दी गई है। इस छूट का उद्देश्य वास्तव में मालिक-बुनकरों को लाभ पहुचाना था जिनका कार्य कुटीर उद्योग जैसा है तथा जो सामान्यतः अपने घरों में ही एक पारी काम करते हैं। परन्तु बड़ी इकाइयों को भी यह छूट देने का परिणाम यह हुआ है कि ऐसी इकाइयां पहले चार

[श्री मोरारजी देशाई]

करघां को एक से अधिक पारी चलाकर अनुचित लाभ उठा रही हैं। इसलिए यह विचार किया गया है कि यह रियायत केवल कुटीर उद्योगों की श्रेणी की इकाइयों को ही दी जाए जो चार से अधिक करघे नहीं रखती हैं और एक ही पारी में काम करती हैं। परन्तु ९ करघों तक की इकाइयों को पहले चार करघों के संबंध में यह रियायत मिली रहेगी यदि वे पहले चार करघों को एक से अधिक पारी न चलायें। इस वैज्ञानिकन के कारण मध्यम आकार की और बड़ी इकाइयों पर कर का अधिक भार न पड़े इस के लिये उनके द्वारा देय संयोजित दरों में समुचित कमी और समायोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त आवकारी कर के बदले में संयोजित दरों में भी समुचित परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन परिवर्तनों के कारण, जिन्हें प्रशासकीय विज्ञप्तियों द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा है, राजकोष को मूल आबकारी कर में १९५९-६० में २३ लाख रुपए और पूरे वर्ष में २५ लाख रु० की हानि होगी और अतिरिक्त आबकारी कर में १९५९-६० में १४ लाख रुपये और पूरे वर्ष में १५ लाख रुपए की हानि होगी।

प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में, मुझे खुशी है, मेरे प्रस्तावों विशेषकर समवाय कर योजना के सरलीकरण, विषयक, के संबंध में प्रतिक्रियाएँ सामान्यतः अनुकूल ही रही हैं यद्यपि उसके व्यौरे के संबंध में कुछ आलोचनायें भी हुई हैं। मैं इन में से कुछ आलोचनाओं का उत्तर दूंगा।

यह कहा गया है कि अग्रिम कर के संग्रह के लिए प्रस्तावित २० प्रतिशत आय कर और २५ प्रतिशत कर अधिकार (अर्थात् कुल ४५ प्रतिशत) की दर कम्पनियों के वर्तमान कर-भार से बहुत अधिक है और उस से पूंजी निर्माण की प्रेरणा खत्म हो जाएगी। यह आलोचना मेरे बजट भाषण के संदर्भ में की गई है जिस में मैं ने कहा था कि नई योजना के अन्तर्गत हमें कम्पनियों से उतनी ही आय होगी जितनी पहले होती थी। मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि अपने देश के आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था में हम निगमित उद्योग क्षेत्र से अपनी आय कम नहीं कर सकते क्योंकि वह सब से बड़ी कर दाता इकाई है। कर की प्रस्तावित दरें इसी बात की सुरक्षा के लिए रखी गई हैं। परन्तु पूर्णांकन के अधीनस्थ, जो औसत निकालने की प्रक्रिया में अपरिहार्य है, कर की राशि में किसी विशेष वृद्धि का न तो उद्धेश्य ही है और न आशा ही है।

मैं समझता हूं कि लाभांश वितरण की उचित नीति का अनुसरण करने वाली कम्पनियों में से अधिकांश के लाभ की राशि में कोई विशेष अथवा महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पड़ेगा। परन्तु यह सम्भव है कि वैयक्तिक मामलों में विशेष परिस्थितियों में, उदाहरणार्थ जहां अतिरिक्त लाभांश कर अथवा धन कर की राशि कम हो अथवा जहां कुछ विशेष वर्ग की कम्पनियों को धन कर के अन्तर्गत छूट मिली हुई हो अथवा जहां लाभांश वितरण में ही अधिकांश लाभ निकल जाता हो, ४५ प्रतिशत की दर कुछ अधिक मालूम होगी। दूसरी ओर यह दर उन मामलों में कम मालूम पड़ेगी जिन में कम्पनियों के अतिरिक्त लाभांश और धन करों की की राशियां बड़ी हों। परन्तु समस्त कम्पनियों पर लागू होने वाले कर की समान दर की योजना तैयार करने में, जो अनिवार्यतः सामान्य और औसत कार्य और समस्त निगमत उद्योग क्षेत्र पर समस्त कर प्रभाव के विचार से बनाई जाएगी इस प्रकार के चरम सीमाओं के मामलों में कर की राशि में थोड़ा बहुत अन्तर रहना अपरिहार्य है। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि मुख्य बात यह है कि भविष्य में समस्त कम्पनियां समान दर से कर का भुगतान करेंगी और इसके संबंध में किसी कम्पनी को कोई वास्तविक अथवा उचित आपत्ति नहीं हो सकती।

फिर यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि नई योजना के अन्तर्गत अंशधारी का लाभ कम हो जायेगा। यद्यपि मैं कुछ मामलों में लाभांशों में कमी होने की संभावना से इन्कार नहीं करता परन्तु चरमसीमा के मामलों के लिये उपबन्ध करना न संभव ही है और न वांछनीय ही। जो

कम्पनियां लाभांशों का सही वितरण कर रही हैं उनके अंशधारियों को पहले की तरह ही लाभ होता रहेगा तथा उन्हें रक्षित कोष की राशि में कमी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी । वास्तव में नई योजना उन कम्पनियों के लिये अनुकूल रहेगी जो लाभांशों का सही वितरण करती रही है ।

अन्य आलोचनाओं का उल्लेख में नहीं करना चाहता हूं । जब कोई नई योजना चालू की जाती है तो प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां होना अनिवार्य है । जब तक सभा इस बात से सहमत है कि नई योजना वांछनीय है उसकी प्रारम्भिक कठिनाइयों का तूल देने से कोई लाभ नहीं होगा । हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि विधेयक में विनिहित दरें केवल कर के अग्रिम भुगतान के प्रयोजनों के लिये हैं और निर्धारण वर्ष १९६०-६१ के लिये अंतिम दरों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं । जब योजना कार्यान्वित होगी तब हमें उसके दोष मालूम होंगे और निश्चय ही उनके सुधार के लिये कदम उठायेंगे ।

परन्तु इस समय कुछ उपबन्धों का स्पष्टीकरण करने के लिये कुछ संशोधन आवश्यक हैं ताकि संदेह के लिये स्थान न रहे । मैंने इन संशोधनों की सूचना सभा को दे दी है । ये संशोधन बहुत मामूली हैं और स्पष्ट हैं । इसलिये मैं उनकी व्याख्या करना इस समय आवश्यक नहीं समझता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री मसानी** (रांची—पूर्व) : माननीय वित्त मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किये यदि वे कुछ समय पूर्व हमें दे दिये गये होते तो अच्छा होता । ऐसा न किये जाने के कारण मुझे उनकी जानकारी नहीं है इसलिये हो सकता है कि मैं जो कुछ कहूं वह उन संशोधनों की दृष्टि से अनावश्यक हो ।

इस वर्ष के वित्त विधेयक में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं इसलिये यह अच्छा होता कि इसे एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाता जो उसके उपबन्धों की अच्छी तरह छानबीन करती ।

वित्त मंत्री ने अभी कहा कि सरलीकरण योजना का उद्देश्य आयकर अथवा समवाय कराधान को बढ़ाना नहीं है । परन्तु मेरा विचार है कि तथ्यों को देखते हुए उनका यह कथन सर्वथा ठीक नहीं मालूम होता ।

सरकार ने रिजर्व बैंक द्वारा १९५५ और १९५६ में किये गये लगभग १००१ कम्पनियों के अध्ययन को सामान्य संयुक्त-स्कन्ध उद्यम का प्रतिनिधि मान लिया है । यह ठीक नहीं है । उन दो वर्षों के आधार पर आयकर विधि में इतने आधारभूत परिवर्तन करना ठीक नहीं है क्योंकि उन वर्षों में कम्पनियों को जितना लाभ हुआ था बाद के वर्षों में उतना नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त वह अध्ययन केवल ५८ प्रतिशत पूंजी के सम्बन्ध में किया गया था, ४२ प्रतिशत पूंजी छोड़ दी गई थी । इसलिये इस प्रकार के अध्ययन को ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये ।

मेरा निवेदन है कि निगमित उद्यमों से लाभ के वितरण का निश्चित अनुपात स्वीकार करने की बात कहना बुद्धिमानी नहीं है । व्यापार का चक्र सदा एक सा नहीं चलता है, उस में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । इसलिये देश के हित की दृष्टि से कम्पनियों से करों का भुगतान करने के बाद ६० प्रतिशत से अधिक लाभ को वितरित करने के लिये कहना ठीक नहीं है ।

मेरा विचार है कि ऐसा करने से अंशधारियों को नुकसान होगा । इस सम्बन्ध में मैं भारतीय वाणिज्य मण्डल के सभापति श्री कपाडिया द्वारा किये गये विश्लेषण और भारतीय लोकमत संस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मसानी]

के त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन संख्या २० की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्री कपाडिया का दावा है कि इस परिवर्तन से अंशधारियों को नुकसान होगा । श्री कपाडिया देश के एक लब्धप्रतिष्ठ लेखापाल और लेखापरीक्षक हैं । उनकी बात को सहज ही नहीं ठुकराया जा सकता । यही नहीं श्री कपाडिया ने आंकड़े देकर अपने मत की पुष्टि की है । उनके आकलनों के अनुसार जितना ही छोटा अंशधारी होगा उतना ही अधिक भार उस पर सरलीकरण के परिणामस्वरूप पड़ेगा । १०,००० रुपये से कम की आय वाले व्यक्ति को ७०,००० रुपये अथवा उससे अधिक की आय वाले व्यक्ति से अधिक हानि उठानी पड़ेगी । भारतीय लोकमत संस्था के अध्ययन से श्री कपाडिया के निष्कर्षों की पुष्टि होती है । उस में कहा गया है कि १००१ कम्पनियों के अध्ययन से प्राप्त औसत अत्यन्त भ्रामक हैं । वास्तव में कोई भी कम्पनी औसत कम्पनी नहीं है; कोई भी कम्पनी ६० प्रतिशत वितरण नहीं करती है । उक्त संस्था के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि कृषि, खनन, रसायन, आदि उद्योगों को इस परिवर्तन से बहुत नुकसान होगा । इसलिये वित्त मंत्री की यह धारणा सर्वथा गलत है कि इस परिवर्तन से कर के भार में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ।

जहां तक सरलीकरण का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में भी विशेषज्ञों का मत है कि इस परिवर्तन से कोई सुविधा नहीं होगी । श्री पालकीवाला, जो करों से सम्बन्धित सब से बड़े वकील हैं, ने कहा है कि सरलीकरण की दिशा में उठाये गये प्रत्येक कदम से अधिकाधिक जटिलतायें ही उत्पन्न हुई हैं । उनका विचार है कि नये प्रस्ताव से कम्पनी और अंशधारियों दोनों को ही पहले की अपेक्षा अधिक भुगतान करना होगा । यह एक विशेषज्ञ का मत है ।

फिर जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया था यह योजना दो भागों में लागू की जायेगी । इस वर्ष अंशधारियों के लाभांशों पर कर लगाया जायेगा और अगले वर्ष कम्पनियों पर कर की दर अन्तिम रूप से निश्चित की जायेगी । यह उल्टी बात है । मेरा सुझाव है कि यदि वित्त मंत्री इस वर्ष के परिवर्तन को रहने दें और अगले वर्ष दोनों बातें एक साथ कर दें तो कोई हानि नहीं होगी । वित्त मंत्री को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । विधेयक के खण्ड २, ५, ७, ९ से १८ को एक वर्ष के लिये स्थगित कर देना चाहिये और विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप देना चाहिये जो विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करके उसके औचित्य का निर्णय करे । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे । अन्यथा मेरा अनुरोध है कि मैंने जो संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करेंगे । यह संशोधन खण्ड ७ के सम्बन्ध में है जो कर की संचित राशि के बारे में है । इस राशि पर कर नहीं लगना चाहिये जैसा कि प्रस्तुत विधेयक में किया जा रहा है । उस पर कर लगाने का अर्थ दोहरा कराधान हो जायेगा । यह संचित राशि बुरे समय में काम आने के उद्देश्य से रखी जाती है । यदि उस पर कर लगाया जाता है तो उसका तात्पर्य यह होगा कि कम्पनियों को उस को न रखने की प्रेरणा मिलेगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे जिस में यह कहा है कि "परन्तु शर्त यह है कि आय कर अधिनियम की धारा १६(२) कम्पनी के वर्ष १९५९-६० अथवा किसी पहले के वर्ष के लिये घोषित लाभांशों के सम्बन्ध में लागू रहेगी ।" यदि मेरा संशोधन स्वीकार्य न हो तो कोई और संशोधन रखा जा सकता है परन्तु इस प्रकार का संशोधन किया जाना आवश्यक है ।

इसके बाद मैं व्यय कर के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मैं उस प्रवर समिति का सदस्य रहा हूं जिसने दो वर्ष पूर्व इस विषय पर विचार किया था । उस समय यह तय किया गया था कि जिस व्यक्ति की आय, कर का भुगतान करने के बाद ३६००० रुपये से कम हो उस पर

कर नहीं लगना चाहिये । परन्तु अब उस पर कर लगाया जा रहा है । ऐसा करना ठीक नहीं है । यदि सरकार ऐसा करना चाहती थी तो उसे व्यय कर अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये था अथवा प्रवर समिति द्वारा उसकी छानबीन करानी चाहिये थी ।

इसी प्रकार सोना-चांदी, हीरे जवाहरात आदि को भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लगने का प्रयन किया जा रहा है । खण्ड २५ के उपखण्ड २ में यह कहा गया है कि सोना-चांदी व हीरे जवाहरात को व्यय की मद समझा जाना चाहिये । पहले प्रवर समिति ने इन्हें पूंजी विनियोजन माना था । अभी भी धन-कर के अन्तर्गत उन्हें व्यय नहीं आस्तियां माना जाता है और उन पर कर लिया जाता है । फिर अब किस सिद्धान्त के आधार पर उन पर पुनः कर लगाया जा रहा है ? एक ओर तो उन्हें आस्तियां मानकर कर ले रहे हैं और दूसरी ओर व्यय मान कर कर लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है । यह कैसी नैतिकता है ? यदि उद्योगपति अथवा व्यापारी इस प्रकार का आचरण करते हैं तो उन्हें समाजविरोधी कहा जाता है । परन्तु जब सरकार स्वयं वैसा करती है तो वही आचरण नीति-संगत हो जाता है ।

इस प्रकार मेरा निवेदन है कि इस वित्त विधेयक में जो उपबन्ध रखे गये हैं वे अविचारपूर्ण हैं । सरकार को उन्हें कुछ समय के लिये स्थगित करना चाहिये । यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसे बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री समझ से काम लेंगे ।

†**श्री पद्दलकर** (थाना) : मैं सभी अप्रत्यक्ष करों का विरोध करता हूं । मैं उन संशोधनों का भी विरोध करता हूं जिसके द्वारा कम्पनियों से सम्पत्ति कर और अधिलाभांश कर हटाया जा रहा है । उक्त करों तथा छूटों पर हमें करों की समूची व्यवस्था को ध्यान में रख कर विचार करना पड़ेगा । तथापि इस विधेयक से चार प्रश्न उत्पन्न होते हैं । पहिला प्रश्न यह है कि सरकार इस राजस्व को कैसे व्यय करती है । दूसरा प्रश्न यह है कि अतिरिक्त करों का भार किन व्यक्तियों पर पड़ेगा । तीसरा प्रश्न यह है कि किन लोगों को छूट दी गई है । चौथा प्रश्न यह है कि इन प्रस्तावों से किन को लाभ होगा ।

पहिले मैं सरकारी व्यय के प्रश्न को लेता हूं । माननीय मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वे व्यय में बचत करने की आवश्यकता से पूरी तरह अवगत हैं और वे सदैव इस बात का प्रयत्न करेंगे कि कार्य की कुशलता पर आघात किये बिना अधिक से अधिक मितव्ययिता की जाय । इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । उदाहरणार्थ १९५०–५१ में असैनिक व्यय में १८७.३ करोड़ रुपये व्यय होते थे, इसी मद में १९५९–६० में ५९९.५ करोड़ रुपये रखे गये हैं । इसी प्रकार असैनिक प्रशासन में १९५०–५१ में ४८.३० करोड़ रुपये व्यय किये जाते थे, इसी मद में १९५९–६० के लिये २२२.२२ करोड़ रुपये रखे गये हैं । विविध व्यय १९५०–५१ में ५२.८७ करोड़ था जो १९५९–६० में बढ़ कर १०००.६२ करोड़ हो गया है । उक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अतिरिक्त करों से जो भी आय हो रही है उसका एक बड़ा अंश प्रशासनिक व्यवस्था में व्यय किया जा रहा है एक ओर प्रशासन में इस प्रकार की फिजूल खर्ची की जा रही है दूसरी ओर कार्य में अकुशलता आ गई है । अत : मे विचार से उन्हें जनता से यह कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वे संयम और त्याग से काम लें कर जांच आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की है कि अतिरिक्त कर लगाने के पहिले हमें वर्तमान आय व्यय में मितव्ययिता करनी चाहिये । उनके विचार से राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के व्यय में अभी बचत की काफी गुंजायश है और इस काम के लिये उच्च स्तरीय समितियों की नियुक्ति की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री परुलकर]

जाय जो इस पूरे मामले की सावधानी से जांच करें। सरकार ने इस सिफारिश पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। केवल मात्र आश्वासन देने से अब जनता पर कोई भार नहीं पड़ सकता है।

अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है। हमें यह सोचना चाहिये कि क्या वे इस भार को वहन करने योग्य हैं। मेरे विचार से वे इस योग्य नहीं हैं। इस संबंध के आंकड़ों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जीवन के लिये अनिवार्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में पर्याप्त वृद्धि हो गई है। १९४९–५० में,उत्पादन शुल्क से सरकार को कुल ६०.९० करोड़ रुपयों की आय होती थी १९५८–५९ में इस से ३०१.१५ करोड़ रुपयों की आय हुई। सामान्य जनता इस भार को वहन करने में बिल्कुल असमर्थ है इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि सामान्य जनता की क्रय क्षमता में कमी आ रही है। इस से देश में निर्मित वस्तुओं की बिक्री घट गई है। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि देश में निर्मित कपड़े, सीमेंट चीनी इत्यादि की खपत नहीं होने पाती है। वस्तुतः जनता की वास्तविक आय घट गई है। तथ्य यह है कि १०० करोड़ रुपयों में से ८० करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय उत्पादन शुल्क से हुई है। वित मंत्री ने इसकी प्रशंसा की है इस से यह ज्ञात होता है कि वित मंत्री को सामान्य जनता से कोई सहानुभूति नहीं है।

अब मैं तीसरे प्रश्न पर आता हूं। धनी और सम्पन्न व्यक्तियों को कर की छूट दी गई है इस के दो कारण बताये गये हैं। पहिला यह कि करों के ढांचे का एकीकरण हो जाने के कारण अब हमें उन पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। और दूसरे इस व्यवस्था से कर अपवंचन नहीं होने पायेगा। इस से सरकार की आय में वृद्धि होगी। आंकड़ों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रत्यक्ष करों के प्रतिशत में कमी आ रही है। यह प्रतिशत १९४९–५० में यह ४५.१ था जो कि १९५८–५९ में घट कर केवल ३१.२ प्रतिशत रह गया है। मैं वित्त मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि कर अपवंचन से आय में वृद्धि होती है। तथापि वे कार्यवाहियां करने के लिये तैयार नहीं हैं जिन से वैध या अवैध रूप से होने वाला कर अपवंचन रोका जा सके। प्राफेसर काल्डर ने कर अपवंचन के संबंध में अपने प्रतिवेदन में जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है कि भारत में आमदनी को छिपा कर तथा झूठे बही खाते बना कर बहुत कर अपवंचन किया जाता है। इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भारत में ब्रिटेन की तरह कर अपवंचन करने वालों के साथ सख्ती से वर्ताव नहीं किया जाता है। इस से वे लोग लाभ उठाते हैं। वस्तुतः कर अपवंचन रोकने के लिये हमें ऐसे व्यक्तियों को कड़ा दंड और काफी जुर्माना करना चाहिये। जैसा कि अमेरिका में किया जाता है। इस संबंध में एक पहलू यह भी है कि सरकार आय कर की बकाया राशि भी जमा नहीं करती है। लोक लेखा समिति के खंड १ के आंकड़ों से यह ज्ञात होगा कि इस राशि की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। यह बकाया आय कर की राशि २६२ करोड़ रुपये है। मेरे विचार से ऐसा कोई कारण नहीं कि आय कर की यह बकाया राशि वसूल न की जा सके। सरकार यह बहाना बनाती है कि इस में विधि संबंधी कठिनाइयां हैं यदि ऐसा है तो विधान में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। इसका कारण यह है कि सरकार इन लोगों को जो कर अपवंचन कर के राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति और समाज के प्रति अपराधी हैं, उन्हें आदरणीय व्यक्ति समझती है।

अब मैं इस बात पर आता हूं कि सम्पति कर और अधिलाभांश कर में छूट दे कर किन लोगों को लाभ हुआ है। इस संबंध में 'ईस्टर्न इकानामिस्ट' ने अपने बजट के अंक में यह कहा है कि इस छूट से विदेशियों को इस देश में पूंजी लगाने की प्रेरणा मिलेगी, जिस पूंजी की देश में आगामी वर्षों में पर्याप्ति आवश्यकता है। पिछले वर्ष सम्पति कर लगाते समय एक तर्क यह दिया गया था कि इस

से कर अपवंचन नहीं होने पायेगा। इस वर्ष यह कर घटा हटा दिया गया है है इस से स्पष्ट है कि हम कर अपवंचन करने की छूट दे रहे हैं।

खांडसारी पर कर लगा कर भी वस्तुतः चीनी उद्योगपतियों की मांग पूरी की गई है। उन्होंने कुछ रियायतें भी दी हैं तथापि वे नगण्य हैं। शक्ति चालित करघों की संख्या में कमी कर के वस्तुतः कपड़ा उद्योगपतियों की मांग को ही पूरा किया गया है क्योंकि शक्ति चालित करघे अपना कपड़ा १५ नये पैसे गज सस्ता बेच सकने में समर्थ थे।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इन कर प्रस्तावों तथा छूट का विरोधी हूं क्योंकि इन से विदेशी पूंजी और धनी व्यक्तियों को ही रियायत मिलेगी। तथा इन से सामान्य जनता पर करों का भार बढ़ेगा।

श्री विश्वनाथ राय : (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज राष्ट्र की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तीन साल बीतने पर चौथे साल के बजट और फाइनेंस बिल पर विचार हो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन साल बीतने के बाद भी हम अपने देश की पूंजी में कमी जान पड़ती है। और उस के लिये हम को विदेश से मुद्रा लेने की आवश्यकता पड़ रही हैं। इन कठिनाइयों के कारण जहां द्वितीय योजना के लिए ४८ अरब रुपया खर्च करने की बात थी, वहां हम उस के बदले केवल ४५ अरब रुपया ही खर्च करने वाले हैं। जब हमें अपने देश में पूंजी की कमी है, और विदेशी मुद्रा की मांग है, उस समय यदि किसी ऐसी चीज पर जिस पर टैक्स नहीं लगा हुआ है, टैक्स लगाया जाता है तो विरोधी पक्ष वाले और कुछ हमारे साथी भी उस पर शोर करते हैं, यहां तक कि प्रधान मंत्री के पास भी जाते हैं और वित्त मंत्री से भी मिलते हैं। अभी अभी हमारे विरोधी बैंच के एक सदस्य ने कहा है कि हिन्दुस्तान में जो बड़े बड़े चीनी मिल के मालिक हैं उनकी मांग के कारण खंडसारी पर कर लगाया गया है यह बहुत अनुचित है।

हम को इस मामले को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि खंडसारी के उत्पादन से क्या किसानों को जो गन्ना पैदा करते हैं, लाभ होता है, या जो देश का समाज है उसको लाभ होता है, या इस के द्वारा हम को विदेशी मुद्रा मिलने में सहायता मिलती है और इस में जो लाभ होता है उसका कुछ अंश किसानों को मिलता है या केवल जो खंडसारी का रोजगार करने वाले हैं उनको ही इसका लाभ होता है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि खंडसारी पर यह कर मिल मालिकों की मांग पर लगाया गया है। वह किसानों और मजदूरों की बात बहुत करते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या इस खंडसारी के रोजगार से किसानों और मजदूरों को कोई लाभ होता है। मैं चाहता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें। पिछले सालों में इस खंडसारी पर थोड़ा बहुत अतिरिक्त कर नहीं लगा था। इस बीच में इसका उत्पादन ४०० प्रतिशत बढ़ गया है। सन १९५२ में इसका उत्पादन एक लाख टन था वह १९५८ में बढ़ कर ४००००० टन हो गया है। जहां फैक्टरी में सौ मन गन्ने में ९.९६ मन चीनी निकलती है वहां खंडसारी में सौ मन गन्ने में ७ मन चीनी निकलती है इस तरह से तीन प्रतिशत चीनी का नुक्सान होता है। यही नहीं है कि इस तरह शुगर कम निकलने निकलने से केवल उन्हीं का नुक्सान होता है जो खंडसारी का काम करने वाले हैं बल्कि इस से सारे राष्ट्र और समाज का नुकसान होता है। इस के साथ ही साथ उन किसानों का भी नुकसान होता है जिन के बारे में हमारे विरोधी पक्ष वाले समय कुसमय आवाज उठाया करते हैं। जो लोग खंडसारी का अपने हाथ से काम करते हैं वे बहुत थोड़े हैं ज्यादा तर लोग पावर से यह काम करते हैं। या स्टीम से काम करते हैं। यही लोग ज्यादातर खंडसारी पैदा करते हैं। इस काम में जो बचत होती है उस से उन रोजगार करने वालों को व्यक्तिगत लाभ होता है। जो गन्ने का उत्पादक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्वनाथ राय]

है उसको उस लाभ में से कुछ नहीं मिलता । फैटरी के जोन में जो गन्ने के उत्पादक होते हैं उनको अपनी खेती आदि की उन्नति के लिए जो रुपया मिलता है वह खंडसारी पैदा करने वाले क्षेत्र के किसानों को नहीं मिलता । मोटे तौर पर आप देख लें जो चीनी फैक्टरी में पैदा होती है उसका दाम ३६ रुपये मन है । जो लोग पावर से खंडसारी पैदा करते हैं उनकी चीनी का दाम ३३ रुपया मन है । लेकिन जो फैक्टरी में चीनी पैदा होती है उस पर गवर्नमेंट को १३ रुपये प्रात मन एक्साइज़ डयूटी और सैस और सैल्स टैक्स के तौर पर मिलता है । यह रुपया खजाने में नहीं रखा जाता है बल्कि वह किसानों को किसी न किसी रूप में लौटा दिया जाता है, जैसे उनकी खेती के विकास के लिए, या सड़क के विकास के लिए या किसी और दूसरे रूप में । फैक्टरी एरिया में तो इस प्रकार प्रति मन १३ रुपया किसान की सहायता के लिए खर्च किया जाता है और मिल मालिक को केवल २३ रुपया प्रति मन रह जाता है । उसके मुकाबले में जो लोग खंडसारी का रोजगार करने वाले हैं उनको पूरे का पूरा ३३ रुपया मिल जाता है । इस तरह से जो हमारे विरोधी पक्ष वाले किसानों की बात कहते हैं वे देखें कि फैक्टरी एरिया में जो १३ रुपया प्रति मन किसानों को सहायता के तौर पर मिल जाता है वह खंडसारी क्षेत्र के किसानों को नहीं मिलता । यह बात तो गन्ना उत्पादकों की हुई ।

अब आप सारे समाज की बात को लें । एक तो खंडसारी में जो तीन प्रतिशत चीनी कम निकलने के कारण नुकसान होता है वह तो है ही । इस के साथ ही साथ जो सेल्स टैक्स और अतिरिक्त कर गवर्नमेंट को मिलता है वह नहीं मिल सकता है । तीसरी योजना में शायद गुड़ और खंडसारी का ५० लाख टन का टारजेट रखा गया है । यदि खांडसारी पर ऐसे कर न लगें तो सरकार को अतिरिक्त कर और सैल्स टैक्स आदि मिल सकते हैं उन से वह वंचित रहेगी और इस खंडसारी से केवल उन लोगों को ही बढ़ावा मिलता रहेगा जो कि इसका रोजगार चलाते हैं । उनकी ही उन्नति होगी । अब यह उद्योग कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं रह गया है । हिन्दुस्तान में चीनी का उद्योग दूसरे नम्बर का उद्योग है । हमारे देश में लगभग ५० लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होती है जो दुनिया के दूसरे देशों में इसकी खेती का ३५ प्रतिशत है । हमारा उत्पादन प्रति एकड़ १६ टन ही है जो कि अन्य देशों के मुकाबले में कम है फिर भी हमारे इस उद्योग की यह अवस्था है कि हम हिन्दुस्तान से बाहिर भी चीनी भेज सकते हैं । और उस से विदेशी मुद्रा पैदा कर सकते हैं ।

अब आप विदेशी पूंजी के बारे में विचार करें । आप देखेंगे कि खंडसारी की चीनी ऐसी नहीं है जो विदेशों को भेजी जाये । अगर हमारी फैक्टरी की चीनी का उत्पादन बढ़े तो हम अधिक चीनी बाहर भेज कर विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं । लेकिन खंडसारी की चीनी से यह लाभ नहीं हो सकता । मैं यह नहीं कहता कि जो लोग हाथ से खंडसारी का काम करते हैं उन पर भी टैक्स लगाया जाये । मैं तो यह कहता हूं कि जो पावर से यह काम नहीं करते उन पर कोई कर न लगाया जाये । लेकिन जो पावर से चलने वाली मशीन से चीनी तैयार करते हैं या जो उसे खरीद कर बेचते हैं उन पर कर लगना चाहिये ।

ग्रामोद्योग की रिपोर्ट बारे में यहां चर्चा हुई और कहा गया कि उसके अनुसार खंडसारी के ज़रिये चीनी और गुड़ ज्यादा निकलता है । हो सकता है कि यह उन लोगों के बारे में कहा गया हो जो हाथ से काम करते हैं और गुड़ राब से चीनी बनाते हैं । लेकिन यह उनके बारे में नहीं है जो कि पावर से यह काम करते हैं था मिडिल मैन बन कर इसका रोजगार करते हैं । जहां तक उनका सवाल है उनका उत्पादन मिल से ज्यादा होने की बात सही नहीं है । इस उद्योग में जो भी लाभ होता है वह सारा का सारा रोजगार करने वालों के पास जाता है । इसमें पूरा ३३ रुपया रोजगार करने वालों

के पास जाता है और किसानों के पास उसमें से कुछ नहीं मिलता। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है। इसके मुकाबले में जो फैक्टरी से चीनी निकलती है उससे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और उसमें से किसानों को सहायता दे रही है जो इस उद्योग की नीव हैं और जो इस उद्योग के लिये कच्चा माल पैदा करते हैं। किसानों को कई प्रकार से गवर्नमेंट इस टैक्स से सहायता करती है। सड़कों के विकास के रूप में किसानों को सहायता मिलती है जिससे उनकी गाड़ियों को आने जाने में सुविधा होती है, सहकारी समितियों के द्वारा उनको लाभ पहुंच रहा है। लेकिन यह सारा लाभ उसी एरिया में है जो कि मिल का एरिया है। जो खंडसारी का एरिया है उसमें किसान इन सारे लाभों से वंचित है। अगर उसकी मात्रा थोड़ी होती, मामूली होती, तो एक बात थी, लेकिन हम तो यह देखते हैं कि तृतीय योजना में अगर चीनी तीस लाख टन बनाई जायेगी, तो गुड़ और खंडसारी पचास लाख टन बनाई जायेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खंडसारी के नाम के कारण हिन्दुस्तान के दूसरे नम्बर के व्यवसाय को, चाहे वह पावर से चले, चाहे बिजली से चले, यदि मुक्त रखा जाय और जन-साधारण और गन्ने के उत्पादकों का ख्याल न किया जाय, यह उचित नहीं होगा। मैं विरोधी बैंचों के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि वे किसानों पर भी ध्यान दें। इस टैक्स से कुछ हज़ार खंडसारी के रोजगारियों का नुकसान होगा, यह हो सकता है।

श्री स० म० बनर्जी : (कानपुर) हम चाहते हैं कि लाइसेन्स हो।

श्री विश्वनाथ राय : यह तो प्रोसीड्यर की बात है, शासन के काम करने के तरीके की बात है। जहां तक पालिसी का सम्बन्ध है, वहां तक एक मौलिक प्रश्न है जो भी उत्पादक या रोजगारी अपना फायदा कर रहा है, उस पर टैक्स होना चाहिये या नहीं और अगर होना चाहिये तो किस हद तक होना चाहिये। जहां तक हद की बात है, खंडसारी का मालिक ३३ रुपये फी मन पा रहा है और मिल का मालिक २३ रुपये फी मन पा रहा है। १३ रुपये प्रति मन फैक्टरी की चीनी से समाज के, किसानों और मजदूरों के लाभ के लिये जा रहे हैं। इसलिये यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता है कि इस इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा है। इंडस्ट्री को खत्म करने की बात नहीं है। इस इंडस्ट्री को चलाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उनको भी इससे लाभ है। अगर यही मुख्य बात है बीस हज़ार या पचास हज़ार टन की बात होती, तो बात दूसरी थी, लेकिन दिन-प्रति-दिन इसका टनेज बढ़ रहा है। यह कोई छोटा-मोटा रोजगार नहीं है। आप देखें कि १९५६–५७ में १०६.४ करोड़ रुपये ग्रोअर्ज़ (ईख पैदा करने वाले कृषकों) को गन्ने के दाम मिले थे। उसी साल केन्द्रीय सरकार को २०.३६ करोड़ रुपये एक्साइज़ के रूप में मिले थे और प्रदेशीय सरकारों को ५.६६ करोड़ रुपये सेस के रूप में मिले थे। यह रुपया कोई थोड़ा नहीं है—यह काफ़ी रुपया है और इसको और बढ़ा सकते हैं। खंडसारी के रोजगार को बढ़ाते हुये, उसका विकास करने के लिये उसको सुविधायें देते हुये हम इस रुपये को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे रेवेन्यूज़ में वृद्धि हो सकती है और अपनी योजनाओं को चलाने के लिये जो पैसे की कमी है, उसको कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। पिछले करीब बीस बाईस वर्षों में शूगर फैक्टरीज़ से केन्द्रीय सरकार को लगभग १३० करोड़ रुपये एक्साइज़ वगैरह के जरिये मिल चुके हैं और प्रदेशीय सरकारों को लगभग ५५ करोड़ रुपये मिले हैं। यह रुपया जो सरकार के पास आ रहा है, वह मालिकों के लाभ के लिये नहीं मिल रहा है, वह समाज और देश के लाभ और उन्नति के लिये और योजना को सफल बनाने के लिये आ रहा है।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मिल मालिकों की भी यही मांग है।

श्री विश्वनाथ राय : हां, वह है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई कह दे कि यह काम किया जाय, तो उसका मतलब यह हो कि अच्छे काम को भी बन्द कर दिया जाय, यह ठीक नहीं है। इस

[श्री विश्वनाथ राय]

बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि इसमें समाज और देश की कहां तक सुविधा है, इसका योजना की सफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ उस रोजगार के लिये कहां तक सुविधा है। हमारे विरोधी साथी कहते हैं कि वहां कर लगाना ठीक नहीं है, वहां कर न लगाया जाये। अगर कोई समझदार और धनी आदमी किसी बात को कहे, तो उसको मानने से इसलिये इनकार नहीं करना चाहिये कि उसको किसी धनी आदमी ने कहा है। यह अनुचित है।

किसानों के दृष्टिकोण से, इस इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से, विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से, उस व्यवसाय के दृष्टिकोण से—किसी भी दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है कि उस पर कर न लगाया जाय। ज्यादा से ज्यादा दो चार हज़ार आदमी ऐसे होंगे जो खंडसारी का रोजगार करते हैं, उनको जो सारी आमदनी इस वक्त हो रही है, उस को कोई क्षति न हो, इस दृष्टिकोण से भले ही यह असंगत हो। लेकिन अगर हम अपने देश के दूसरे नम्बर के इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी योजना को अपने बल पर, अपने ही देश पर ज्यादातर निर्भर रह कर सफल बनाना चाहते हैं, तो यह जो रोज़गार पनप रहा है, उसके लाभ का कुछ हिस्सा लेना ज़रूरी हो सकता है जाता है। इस इंडस्ट्री पर इतना कर नहीं लग रहा है, कि वह रोज़गार ही खत्म हो जायेगा।

आपको याद होगा कि हमारे माननीय सदस्य ने कैपिटलिस्ट्स की चर्चा की। माननीय सदस्य के यहां चार शूगर फैक्टरीज़ हैं। उसकी बगल में देवरिया में १४ फैक्टरीज़ हैं। वहां जो छोटे मोटे खंडसारी का काम करने वाले थे, वह बहुत पहले विदेशों के काम्पीटीशन से—मारेशस और जावा की चीनी आने के कारण खत्म हुये। फिर हमारी यह इंडस्ट्री बढ़ी और हमारे देश की मुद्रा विदेश जाने से रुकने लगी। अब वह इस अवस्था में हो गई है कि हम बाहर भेजें। अगर हमने सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता में ठहरना है, विदेशों से मुकाबला करना है, विदेशों को चीनी भेजनी है, तो हमको किसानों को प्रोत्साहन देना होगा कि वे और अधिक पैदा करें और साथ ही साथ छोटे मोटे रोज़गार भी चलें।

अन्त में मैं इसकी भी चर्चा करना चाहता हूं कि दुनिया के मार्केट में हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा पड़ौसी नैपाल हमारी चीनी ले सकता है। ज़रा उस ओर भी सरकार ध्यान दे और उनको चीनी खाने की आदत डाले। जैसे चाय का प्रचार किया गया था, वैसे ही चीनी का भी वहां प्रचार किया जा सकता है और उसको वहां भेजा जा सकता है।

†**श्री ज० रा० मेहता** (जोधपुर) : इस सारे महीने विभिन्न मंत्रालयों की मांगें पारित होती रहीं हैं। जिसके लिये मंत्रियों तथा सभा के सभी सदस्यों को काफी श्रम करना पड़ा है। हमें निसंदेह संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का आभारी होना चाहिये कि इन सब मांगों पर सभा में काफी आलोचना इत्यादि हो सकी; तथापि दो बातों पर सभी पक्ष एक मत हैं। पहिली बात यह है कि हमारे विकास की गति में किसी प्रकार का धीमापन नहीं आना चाहिये तथा समाजवादी ढांचे के समाज के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि हमें सरकारी व्यय में फिजूलखर्ची रोकनी चाहिये और यथासंभव मितव्ययिता से काम लेना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई ने बताया है कि उनके मंत्रालय में प्रशासन तथा सरकारी व्यय में कमी करने के संबंध में एक विशेष संस्थापन है तथा व्यय में कमी करने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। मेरा विचार यह है कि खर्च में कमी करने का यह प्रश्न वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन

†मूल अंग्रेजी में

और बदलाव के प्रश्न से घनिष्ट रूप से संबंधित है । यह व्यवस्था हमारे भूतपूर्व शासकों की धरोहर है अतः हमें चाहिये कि हम इस व्यवस्था में आ मूल परिवर्तन करने पर भी विचार करें । अतः मेरा विचार है कि प्रशासन में व्यय की कमी करने के प्रश्न कर हमें एक विशेष आयोग या एक विशेष समिति की नियुक्ति करनी चाहिये ।

अब मैं एक महत्वपूर्ण बात को लेता हूं इसका संबंध हमारी बजट की नीतियों और हमारी विविध योजनाओं की सफलता से है । हमारे बजट की रूपरेखा के दो मुख्य पहलू हैं । पहिला यह है कि प्रति वर्ष हमारे प्रावकलित व्यय और वास्तविक व्यय के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है । और दूसरा यह कि हमारे संसाधन हमारी मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं । यद्यपि हम आंतरिक और बाह्य प्रयत्नों द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । कुछ लोग इसे संसाधनों की कमी कहते हैं और कुछ लोग इसे योजना की कमी कहते हैं ; लेकिन मेरे विचार से यह मूल्यों का संकट है । मे विचार से हम मूल्यों को, विशेषतः अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने में असमर्थ रहे हैं । और सरकार ने भी इस पहलू की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया है । इसी का कारण जब हम योजना के लिये कुछ आर्थिक और कार्य संबंधी लक्ष्य निश्चित करते हैं तो होता यह है कि समय बीतने के साथ आर्थिक लक्ष्य ऊंचे होते जाते हैं जब कि कार्यों के मामले में हम लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं । फल यह होता है कि हम अपनी योजना में कटौती करते हैं और हमें कुछ मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति करके ही संतोष कर लेना पड़ता है । अतः मैं आपसे इस बात के लिये पुरजोर निवेदन करता हूं कि यदि हम अपनी योजना की सफलता चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने का भरसक प्रयत्न करें । जब तक हम इस ओर प्रयत्न नहीं करेंगे हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं । मैं इस संबंध में विस्तार से नहीं जाना चाहता तथापि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चहिये कि वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता आये । उदाहरणार्थ खाद्यान्नों के व्यापार को सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने की नीति ऐसी है कि जिससे खाद्यान्नों के दाम नहीं बढ़ने पायेंगे ।

अब मैं खाद्य उत्पादन के प्रश्न पर आता हूं । यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है । हम सहकारी खेती, अच्छे बीज, सिंचाई और उवर्रकों द्वारा खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने की बातें करते हैं तथापि मेरे विचार से सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसानों में अपना जीवनस्तर ऊंचा करने की भावना पैदा करें । हमारे किसानों में सब से बड़ा दोष यह है कि वह थोड़े से ही आत्म तुष्ट हो कर बैठ जाते हैं । वे अपने जीवन स्तर को अधिक ऊंचा करने की नहीं सोचते । उनमें महत्वाकांक्षा की कमी है । यह याद रखना चाहिये कि प्रति एकड़ पैदावार उसी अनुपात से बढ़ती है जिस अनुपात से हम अपने जीवन का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं । इसीलिये हम देखते हैं कि पंजाब में प्रति एकड़ पैदावार राजस्थान से कहीं अधिक है । इतना ही नहीं जो पंजाबी किसान राजस्थान में आये हैं वे वहां की ऊसर कही जाने वाली भूमि में भी वहां की बढ़िया भूमि के मुकाबले में काफी अधिक पैदावार कर रहे हैं । अतः किसानों में आत्मतुष्टि की भावना को हटा कर उनमें महत्वाकांक्षा जगाना आवश्यक है ।

श्री अजित सिंह (भटिण्डा—रक्षित अनुसूचित जातियां) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । चूंकि वक्त कम है इस वास्ते मैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा और अपने सुझाव पेश करके ही अपने भाषण को समाप्त करूंगा ।

सब से पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह डिफेंस बजट के बारे में है । इसमें जो कमी की गई है, वह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है । बेशक हमने डिफेंस बजट की डिमांड्स को पास कर दिया है लेकिन आजकल जो हालात हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूँ कि वह कमी न की जाए । हमारे सम्बन्ध

[श्री अजित सिंह]

पाकिस्तान से पहले ही से अच्छे नहीं हैं और अब दलाई लामा की वजह से पता नहीं चीन के साथ हमारे कैसे सम्बन्ध रहते हैं। इस वास्ते मैं समझता हूँ कि डिफेंस में कमी करके हमने ठीक नहीं किया है और वह कमी नहीं की जानी चाहिये।

अब मैं खंडसारी और कोहलुओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने खंडसारी पर लेवी कुछ कम की है और इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा कमी करने की गुंजाइश है और वह की जानी चाहिये। कोहलुओं पर जो हमने टैक्स लगा रखा है, वह भी हमको कम करना चाहिये, वह काफी ज्यादा है। कोहलू पर, मैं समझता हूँ यह टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिये चूंकि यह विल्लेज इंडस्ट्री है और इसे हमें तकवीयत देनी चाहिये। हम कहते हैं कि हम स्माल स्केल इंडस्ट्रीस को बढ़ावा देना चाहते हैं और चूंकि यह भी उनमें से एक है, इस वास्ते इस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। गरीब किसान या दूसरे गरीब लोग अपने घरों में एक एक दो कोहलु लगाते हैं और अपना गुज़ारा करते हैं और इस टैक्स से उनको नुकसान होगा। यह घरेलू धंधा है....

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : गन्ने के कोहलू पर कोई टैक्स नहीं है।

श्री अजित सिंह : मैं उन कोहलुओं की बात कर रहा हूँ जो सरसों का तेल बनाने के लिए लगाये जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो टैक्स है, वह छोटे-छोटे धंधों पर नहीं लगाया जाना चाहिये।

हमने डीज़ल पर भी टैक्स लगाया है। इससे आम जनता पर, पैसेंजर्स पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता है। यहीं लोग हैं जो कि सफर करेंगे। जो गाड़ियों वाले हैं, जो बसिस वाले हैं, वे उन से ज्यादा किराया लेना शुरू कर देंगे। इस तरह के टैक्स लोगों में कुछ इस तरह की भावना पैदा कर देते हैं जैसे किसी ज़माने में कारूं बादशाह के ज़माने में हुआ था। कारूं अरब दुनिया में एक तलम्बा देश था। वह एक मुस्लिम देश था। वहां एक बड़े राजा हो गुज़रे हैं। उस ज़माने में कब्र में जब आदमी को दबाया जाता था तो उसके मुंह में एक रुपया डाल दिया जाता था। कारूं बादशाह ने ऐसा हुक्म दिया कि जो यह रुपया मुर्दे के मुंह में रखा जाता है, इसको भी निकाल लाया जाए और उसको भी निकाल लाया जाता था। उस वक्त हमारे गुरू नानक साहब ने उसको समझाने के लिए यह बात कही थी :—

क़ीजे नेक नामी जो देवे खुदाए।
जो दीसे ज़मीं पर सो हो सी फनाए।
बस्ती उजाड़े फेर न बसायें।
पूंके पुकारे तो दाद न पाये।
लानत है तेंकू व तेंड़ी कमाई।
दगेबाज़ी करके दुनिया लूट खाई।
पिए प्याले खाए कबाब।
देखो रे लोको कारूं होता खराब।

अगर इस तरह की भावना आज लोगों में आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग इस तरह के टैक्सों को बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे। चूंकि इस तरह की भावना लोगों में आ गई थी, इस वास्ते इतने बड़े गुरु को वहां जा कर यह कहना पड़ा था। मैं चाहता हूं कि आज इस तरह की भावना लोगों में पैदा न होने दी जाए।

आज हम यह भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स इवेयन होता है, काफी टैक्स इवेड किया जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति यह काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए हमें

एक ऐसा महकमा कायम करना चाहिये जिस तरह से कि सी० आई० डी० का महकमा है, जो मुजरिमों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट की मदद करता है, ताकि वह इस तरह के इवेयन को रोकने में आपको मदद कर सके । इस तरह से टैक्स इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री कायम करे तो बड़े बड़े पूंजीपति जो बच निकलते हैं, वे बच नहीं निकल सकेंगे ।

एक विषय में बड़ी चर्चा सुनी जाती है । यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काफी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है । गवर्नमेंट की तरफ से यह कई बार कहा जाता है कि हम एफिशेंसी को बनाये रखने के लिए खर्चे में कमी नहीं कर सकते हैं । अखराजात को चैक करने के लिए, मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े अच्छे सुलझे हुए आदमियों की कमेटी बनाई है जो इस चीज़ की जांच करेगी । मैं चाहता हूं कि इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंटरी कमेटी और बनाई जाए जिस में सभी पार्टियां शामिल हों ताकि इस तरह की चीज़ों को चैक किया जा सके ।

हम हिन्दुस्तान में कम्युनिटी डिवेलेपमें भी करने जा रहे हैं । हम कहते हैं कि ग्राम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जोकि गांवों में रहते हैं और जो ७०-८० परसेंट हैं, हमने सब कुछ करना है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने एनविरनमेंट्स को ध्यान में नहीं रखा है । हमें चाहिये कि हम उनके दिलों को चेंज करें ताकि वे लोग अपने आप सोच सकें कि उनको किस किस चीज़ को जरूरत है । उन लोगों को हमेशा ही गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिये और हमेशा ही गवर्नमेंट के पास आकर पैसे की मांग नहीं करनी चाहिये, सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए या कम्युनिटी हाल बनाने के लिए । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम लोगों को उन्हें ऐसे ढंग से एजुकेट करना चाहिये कि वे खुद अपनी रिसपांसिबिलिटी को महसूस करें और खुद ही इस बात का फैसला करें कि किस तरह से उन्हें रहना चाहिये, उनके रहने सहने का क्या ढंग होना चाहिये । इसके लिए हमें उनके अन्दर उत्साह पैदा करना होगा । उत्साह पैदा करने के लिए कई चीज़ें की जा सकती है । आज हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं और जिन आदमियों को रखते हैं, वह शहर वालों को रखते हैं, और उन्हीं को गांवों में भेजते हैं । जितने भी बी० डी० ओ० होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, ग्राम सेविकायें होती हैं, या विल्लेज लेवेल वर्कर होते हैं, उन्हें हम शहरों से गांवों में भेजते हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गांवों में से ही ऐसे लोगों की भरती होनी चाहिये न कि शहरों में से । शहरों से हमें लोगों को गांवों में नहीं भेजना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो ब्लाक डिवेलेपमेंट इत्यादि कमेटीज़ होती हैं, उनके नान-आफिशल्स ही चेयरमैन होने चाहियें न कि आफिशल्स ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे स्टाफ में बहुत इनसिक्योरिटी है । उनमें ऐसी भावना है कि थोड़े दिन के बाद, एक साल या दो साल के बाद उनको नौकरी से अलग कर दिया जाएगा । ऐसी भावना जब वर्कर्स में पैदा हो जाती है तो कोई भी काम अच्छी तरह से चल नहीं सकता है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की भावना स्टाफ में पैदा न होने दी जाए ।

हमारी जो प्रापैगण्डा मशीनरी है, उसके बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं । देयर इज़ लैक आफ प्रापैगण्डा । हम हमेशा इसी पर डिपेंड करते हैं कि मिनिस्ट्री आफ इनफार्मेशन और ब्राडकास्टिंग जो है, वही हमारे लिये सब प्रापैगण्डा करती रहे । मगर हम देखते हैं कि गांवों के जो लोग हैं, उनके पास आपके जो जर्नल्स हैं जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, भगीरथ है, स्वास्थ्य है, पहुंचते नहीं हैं, यहीं पर पढ़े लिखे लोगों तक वे रह जाते हैं । इस वास्ते मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो प्रापैगण्डा का हमारा ढंग है, उसको बदला जाना चाहिये और उसको बदलने के लिये हमें कम्युनिटी मेले करने चाहियें, जिनमें कबड्डी, कुश्ती तथा दूसरी ऐसी गेम्स करनी चाहियें ताकि इन गैदरिंग्स में गवर्नमेंट द्वारा बनाई

[श्री अजित सिंह]

गई स्कीमों का प्रचार लोगों में किया जा सके और वे इन स्कीमों से लाभ उठा सकें। हमें सिनेमा वैग़ के ज़रिये से भी लोगों को अपनी स्कीमों के बारे में जानकारी करानी चाहिये। ड्रामे करने चाहियें और म्युज़िकल पार्टीज़ तथा एग्ज़ीबिशन्स के ज़रिये से भी लोगों तक अपना प्रोग्राम पहुंचाना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हम काम करते हैं, उसको रिजनल लैंगुएजिज़ में छपवा करके हम लोगों में मुफ्त बांट दिया करें तो इससे लोगों में यह भावना पैदा होगी कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और उनको पता चलेगा कि हमारे मुल्क ने कितनी तरक्की की है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो पैटर्न ग्राफ डिवेलेपमेंट है वह एक ही तरह का है। मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में या मद्रास में या बंगाल में सड़कें बनाने की क्या जरूरत है? वहां पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी कि पंजाब और राजस्थान जैसे प्रदेशों में है या मुल्क के दूसरे हिस्सों में है। मैं समझता हूं कि जो कंडिशंस जिस जगह पर प्रिवेल करती हैं, उनके मुताबिक ही हमारा पैटर्न ग्राफ डिवेलेपमेंट होना चाहिये। हम एक ही दवाई से अलग अलग बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के मरीज़ों को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं।

अब मैं कोआप्रेटिव फार्मिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सी जगहों पर ज़मीन पर सीलिंग लगाई है। तो सीलिंग करने का जो ढंग है वह बिल्कुल खराब है। ठीक ढंग नहीं है। हम पहले अनाउन्स कर देते हैं कि आज से फलां तारीख तक सीलिंग होगी तो जिस जमीन की हमें सीलिंग करनी होती है उस जमीन का मालिक पहले से उस जमीन को बेच देता है या अपने रिश्तेदारों को बांट देता है। क्या कोई भी आदमी यहां कह सकता है कि कितनी जमीन गवर्नमेंट ने सीलिंग करने के बाद किसी से ली और कितनी जमीन को हमने लोगों में बांटा? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यहां पर पूरे आंकड़े दे सके कि हमनें कितनी ज़मीन देश में पाई।

कोआपरेटिव फार्मिंग का जो हमने रेजोल्यूशन नागपुर में पास किया है उसके बारे में हमारे यहां बहुत बड़े बड़े क्रिटिसिज्म होते हैं। कोई कहता है कि यह रूसी बन्दी सिस्टम है, रशियन टाइप आफ फार्मिंग है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। यहां पर रशियन टाइप आफ फार्मिंग नहीं हो रही है। यहां पर यह चीज वालेंटरी बेसिस पर हो रही है। लकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हालांकि हमारे नेता प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यह वालन्टरी बेसिस पर होगा और वह डोर टु डोर जमींदारों के दरवाजों पर जाकर दरख्वास्त करेंगे कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग में आ जायें लेकिन कुछ जमींदारों के दिल में डर है। उस डर को दूर करने के लिये हमें चाहिये कि कुछ न कुछ करें। एक तो यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट की तरफ से एक **डेफिनिट एंड कैटेगारिकल स्टेटमेंट** होना चाहिये जिसमें वह यह कहें कि लैंड ओनरशिप ऐबालिश नहीं की जायेगी, दूसरे यह कि वह कह कि वालेटरी बेसिस पर आप इसमें आकर ज्वाइन हो जायें लेकिन आपको अख्त्यार होगा कि जब आप चाहें आप कोआपरेटिव फार्मिंग से बिड्रा कर सकते हैं और तीसरी बात इसमें यह होनी चाहिये कि जमींदार को पूरा हक हो कि वह अपनी जमीन को बे कर सके या मार्टगेज कर सके। अगर हम यह तीन बातें कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा कोआपरेटिव फार्मिंग का प्रोग्राम काफी मजबूती से चल सकेगा।

इसी तरह से सर्विस कोआपरेटिव्ज़ की बात है। उसको तो हमें चलाना ही पड़ेगा। जब तक हम कोआपरेटिव फार्मिंग को अच्छे पैमाने पर नहीं चला पाते, जैसा कि हमारा रेजोल्यूशन है, जितनी हमारी सर्प्लस जमीन है उस जमीन को लैण्डलेस एग्रीकल्चरिस्ट्स को देकर उसमें कोआपरेटिव

फार्मिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिये । मैं चाहूंगा कि वह कम से कम तीन साल तक चले ताकि लोग उससे तजुर्बा हासिल करें । सीलिंग के बारे में एक प्वाइंट मेरे मन में है । जब मैं ग्राम जमींदारों से बात करता हूं तो पता लगता है कि उनके अन्दर यह भी फीलिंग है कि हमारी जमीनों पर सीलिंग करके तो गवर्नमेंट ने उसे ले लिया, लेकिन जो पूंजीपति हैं उनकी पूंजी पर पता नहीं कोई सीलिंग लगने जा रही है या नहीं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ३००० रु० तक की यह सीलिंग लगाई जानी चाहिये । इनकम टैक्स कुछ ऐसा हो कि ३००० रु० के बाद जो कुछ भी हो वह सरकार के कब्जे में खुद ही आ जाय । जहां तक तनख्वाह की बात है. सीलिंग आन पेमेंट भी होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह हो १५०० रु० और कम से कम तनख्वाह हो १५० रु० । अगर इससे ज्यादा तनख्वाह हम रखते हैं तो लोगों में यह भावना पैदा होगी कि हम गरीब को मारना चाहते हैं ।

हमारे यहां ७० या ८० फीसदी लोग गांवों में रहते हैं । क्या हम सचमुच इस हिसाब से उनके लिये अपने बजट से पैसा देते हैं ? मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं देते । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे सारे टैक्स का कम से कम ८.६ परसेन्ट लैण्ड रेवेन्यू से आता है जो कि आजकल के हिसाब से ७० करोड़ रु० बनता है । वह कम से कम आप गांव पंचायतों को दें । यह कोई बहुत ज्यादा रुपया नहीं है । उससे गांव पंचायतें अपना काम कर सकेंगी । पंचायतों के मुताल्लिक मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम को पंचायतों को डेवेलप करने के लिये बहुत कोशिश करनी है । हमारे गांव पंचायतों के जो सरपंच होते हैं उनके लिये एक मिनिमम स्टैण्डर्ड आफ एजूकेशन रखना चाहिये साथ ही एक सरपंच को बराबर बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहिये । उसको हमेशा के लिये सरपंच नहीं बनाना चाहिये । सरपंच को दुबारा दो साल के बाद एलेक्ट करना चाहिये । इसी तरह से जो सरपंच होता है उसको कंट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव दोनों अथारिटीज नहीं होनी चाहियें, बल्कि जो फंक्शनल कोआपरेटिव्ज हैं गांव में वह सारा काम करें और वह पंचायतों के मातहत हों । मैं समझता हूं कि इस तरह से पंचायतों का काम बहुत ठीक ढंग से चल सकेगा । पंचायतों में हरिजनों और औरतों के लिये रिजर्वेशन होना चाहिये । जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक हमारे मनों में यह भावना चलती रहेगी कि हरिजनों और औरतों के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं होता । मैं गवर्नमेंट से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि लोगों का बड़ा मसला तो है कुल्ली, गुल्ली और जुल्ली । हमने बड़े बड़े प्लैन्स बनाये हैं । हमारे मुल्क की जो बड़ी इंडस्ट्री है वह है ऐग्रीकल्चर इंडस्ट्री । हमारा मुल्क ऐग्रीकल्चरिस्ट्स का मुल्क है । हमारी एकानमी इसी पर बेस करती है । ८० फीसदी लोग ऐग्रिकल्चरल एकानमी में रहते हैं । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज़ बनाने पर जोर देना चाहिये । हम जो भी चाहें प्रोजैक्ट्स बनायें लेकिन साथ साथ इस तरफ भी ध्यान देना हमारे लिये अजहद जरूरी है ।

आखीर में मैं जनाबवाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जो बिल हमारे वित्त मंत्री महोदय यहां लाये हैं उसको तहे दिल से सपोर्ट करता हूं ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : वित्त मंत्री महोदय द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद हमें विरोधी पक्ष की ओर से दो परस्पर विरोधी भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ । श्री मसानी ने यह शिकायत की है कि निगमों पर बहुत कर लगाया गया है, जिससे छोटे छोटे अंशदानों पर प्रभाव पड़ा है; आयकर का भी उन्होंने विरोध किया है । साम्यवादी पक्ष की ओर से जो माननीय सदस्य बोले वह सामान्य व्यक्ति पर लगे भारी कर की शिकायत कर रहे थे । वह अप्रत्यक्ष करके विरोधी थी । मैं इन्हीं बातों के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करता हुआ कुछ सुझाव प्रस्तुत करूंगा ।

हमारा देश गरीब देश ह और जहां हमें सामान्य व्यक्ति पर ही कर लगाना होता है । जो बहुत ही गरीब वर्ग है वह तो कर दे ही नहीं सकता । बहुत आय वाले असाधारण व्यक्तियों की संख्या बहुत

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री आचार]

कम है। अतः यदि हमारा विचार योजना और उसके प्रशासन को छोड़ने का नहीं, तो सामान्य व्यक्ति पर कर लगाना होगा। इसी प्रकार निगमों पर कर लगाने के अतिरिक्त और अन्य हमारे काफी साधन नहीं हैं। आयकर का जहां तक सम्बन्ध है आंकड़ों से पता चलता है कि आय की उन्नति नहीं हो रही। हमारा समाजवादी देश है। हम अमीरों की आय कम करके गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं। अतः आय कर और निगम कर में वृद्धि होनी चाहिये विशेषकर उस अवस्था में जबकि आयकर के आंकड़े बहुत ही निराशाजनक हों। इस वर्ष इस दिशा से केवल ८७ करोड़ रुपये की आशा है। इसकी उन्नति होनी चाहिये। न्यूनतम स्तर को कम करने वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं ३००० से ३५०० रुपये वार्षिक कमाने वाले कम हैं, बहुत अमीर तो बहुत ही कम हैं। ' प्रतिशत और एक प्रतिशत से ही काफी कुछ बन जाता है। परन्तु कर एकत्रित करने वाली मशीनरी बड़ी दक्ष होनी चाहिये, ताकि व्यय पर इस साधन से लाभ उठाया जा सके। अमीरों पर अधिक कर लगाना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं करना चाहिये कि उनका सारा उत्साह ही नष्ट हो जाय। आय व्ययक देखने से पता चलता है कि हमारा कुल घाटा २२२ करोड़ रुपये है। राजस्व खाते में भी ८२ करोड़ का घाटा है। करों द्वारा हमें केवल २३ करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। आज के हालात में यह सम्भव नहीं कि अप्रत्यक्ष कर को हटा जाये।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कि हमने आयकर $^1/_2$ प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे २ करोड़ ५० लाख रुपये की आय होगी। हमें सम्पदा शुल्क, व्ययकर तथा अन्य कर से अधिक आय नहीं हुई है। शायद इसलिये भी कि, कर एकत्रित करने वाली मशीनरी हमारी अभी काफी कमज़ोर है। लेकिन हमें उम्मीद है कि $^1/_2$ प्रतिशत की वृद्धि से हमें २ करोड़ ५० लाख प्राप्त हो जायेगा। इससे हमें आगे के लिये और भी गुंजाइश मिल जाती है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि हमें गरीबों का भी कुछ ध्यान रखना चाहिये। मिट्टी के तेल में कुछ रियायत दी जानी चाहिये। इसका प्रभाव अधिकतर देहाती जनता पर पड़ता है और हर हालत में लाभ गरीब को ही पहुंचता है। नमक का उदाहरण लीजिए, हमारे देश में यह बड़ी आवश्यक वस्तु है। तो दो तीन पैसों की वृद्धि से ही गरीबों के लिए इतनी आवश्यक चीज को खरीदना असम्भव हो गया। यही तो कारण था कि महात्मा जी ने नमक सत्याग्रह किया था। अतः मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक चीज पर कुछ रियायत देना आवश्यक ही है।

कई लोगों का यह विचार है कि किसानों पर समुचित कर नहीं लगाया जा रहा। यह बात बिल्कुल गलत है। २०० से ३०० रुपये की अल्प आय होने पर भी उसे भूमि का राजस्व अदा करना पड़ता है। छोटे भूमिदारों का कर ३० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है। अतः यह बात गलत है कि किसान समुचित कर नहीं दे रहे और यदि उन पर कोई नया कर लादा गया तो यह उचित नहीं होगा।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि आज मुल्क में कर भार बढ़ रहा है। जब हम देखते हैं पढ़ते हैं और सुनते हैं कि इस मुल्क का औसतन कर भार उतना ही है जितना कि बड़े बड़े मुल्कों में है तो आश्चर्य होता है कि एक गरीब देश की जनता और लोगों की पाकिटों से इतना पैसा निकालना कहां तक उचित है? लोगों पर कर लगाने से सरकारी खज़ाना ज़रूर बढ़ता है और उससे सरकार कार्य भी होते हैं किन्तु क्या जनता में इतना दम रह जाता है कि वह अपने कर भार को लेकर चल सके? मैं समझता हूं कि बुनियादी यही गलती है कि जबसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है सरकार ने अपने खज़ाने को निरन्तर बढ़ाया है। सरकार ने बड़े बड़े काम किये हैं। जनता से रुपये लेकर और बाहर से कर्ज़ा लेकर काम किये गये किन्तु जनता इस योग्य

नहीं रह गई कि वह अपने कार्य को सम्हाल सके। उसनें सम्हलने की क्षमता और इन्निशियेटिव दूर होता जा रहा है। यह बड़े खतरे की बात है क्योंकि यदि जनता में खुद भी उत्साह न हो, उमंग न हो, इन्निशियेटिव लेने की भावना न हो तो चाहे बड़े से बड़ा कोई प्लान बाहरी मुल्क की बदौलत आप इस मुल्क में खड़ा कर दीजिये, उससे इस मुल्क को तरक्क़ी नहीं हो सकती। एक दूसरे प्रकार की गुलामी होगी जिसके कि नीचे हम दब जायेंगे। इसलिये मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चलाने के लिये आप कर भार उतना ही रखिये जितना कि जरूरी हो और जैसे कि गाय से दूध लेते समय उसके बछड़े के लिये दूध छोड़ देना चाहिये जिससे कि आगे भी दूध मिलता रहे और गाय के थनों से तमाम दूध एक दम न निचोड़ लेना चाहिये।

अब यदि सरकार की क्षमता बढ़ी है तो जनता की क्षमता किस प्रकार घटी है इसके लिये एक ही उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं और वह देश में अनाज का उत्पादन है। आप कहेंगे कि इस मुल्क में गल्ले का उत्पादन बढ़ा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बढ़ा है ? जब सन् १९४७ में हमारे देश में स्वराज्य आया उस समय २६ लाख टन गल्ला बाहर से आता था। स्वाधीनता के बाद सन् १९४८-४९ में आपने ग्रो मोर फुड कैम्पेन के लिये करोड़ों रुपये खर्च किये लेकिन खाद्यान्न का उत्पादन कितना बढ़ा? चाहे कुछ भी बढ़ा हो लेकिन सन् १९४९ में आपको ३७ लाख टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ा। सन् ५० में कुछ कम हुआ। फिर १९५१-५२ में आपको ४७ लाख टन अनाज विदेशों में मंगाना पड़ा। हकीकत यह है कि हर साल आपको बाहर से गल्ला मंगाना पड़ रहा है और मालूम ऐसा देता है कि बिना बाहर की सहायता के आप जी नहीं सकते। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इंडिपेंडेंस के पहले यहां के लोग अपने गल्ले और बाहर का कम गल्ला मंगा कर जीवित रह सके तो कोई कारण नहीं दिखाई देता कि स्वाधीनता के पश्चात् आपको बाहर से यह करोड़ों टन गल्ला क्यों मंगाना पड़ रहा है ? मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि २ करोड़, ८५ लाख और ५८ हजार टन अनाज हमने आजादी के बाद से इस देश में मंगाया है और उस पर कई अरब व करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और मैं समझता हूं कि आप भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा यह कहना है कि आपका ग्रो मोर फुड कैम्पेन फ़ेल हुआ और आप इस देश में किसानों द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी तौर पर नहीं बढ़ा सके और इसका कारण यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने जो करोड़ों रुपये अपने अफ़सरों के ज़रिए खर्च किये वह किसानों तक पहुंच भी नहीं सके। किसानों में उनसे दम नहीं आया, दिलासा नहीं आया, उत्साह नहीं पैदा हुआ और उनमें इन्निशियेटिव पैदा नहीं हुआ। इस तरीके से योजनाओं के पीछे आप जब किसानों को दबाते जायेंगे तो वे उभर नहीं पायेंगे। अगर आप यह समझते हैं कि इस मुल्क को हम दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता और बम्बई आदि बड़े बड़े नगरों में बैठ कर बना लेंगे तो आप गलती पर हैं। मुल्क को बढ़ाने के लिये और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये आप अपने मौजूदा काम के तरीकों और पालिसी को बदलिये और ऐसी नीति अख्त्यार कीजिये जिससे कि गरीब किसान और मजदूरों में काम करने के लिये उत्साह आये और वे खुद आगे बढ़ कर कमर कस कर मुल्क को बनाने में जुट जायं और वे यह समझने लगें कि उनको यह काम करना है।

मैं अगर वक्त मिला तो सहयोगी खेती के बारे में भी कुछ कहूंगा। लेकिन यहां पर इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि इसके ज़रिए अफ़सरों की खेती न बना दीजियेगा जिससे कि किसान और तबाह हो जायं। सहयोगी खेती अच्छी चीज है। उसका हम समर्थन करते हैं और वह होनी चाहिये लेकिन वह किसानों की ही साइड से उनसे एक प्रकार से सहयोग करके ही अपनी खेती चलाते हैं। इस मुल्क में आप जानते हैं कि एक एक गज़ के ज़मीन के टुकड़े पर किसान खेती करता है और उसको जोतता है और वे आपस में एक दूसरे से सहयोग करके खेतीबाड़ी करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपस में किसानों

[श्री रामजी वर्मा]

को इस सहयोग की भावना को डेवलप किया जाय, उनको सहायता की जाय। उनके हाथ पकड़ कर उन्हें ऊपर उठाइये। ऐसा यदि आप करेंगे तो देश आगे बढ़ सकेगा अन्यथा नहीं।

मैं आपसे यह निवेदन करूं कि इसी गलती के कारण कि इस टैक्सेशन से सरकारी खज़ाने में अभिवृद्धि होती है और आगे भी हो और उसी गलत खयाल को लेकर हमारे एक साथी ने खंडसारी के सवाल को उठाया और उन्होंने कहा कि यह टैक्स लगना चाहिये। उन्होंने उसके लिये दलील यह दी कि चीनी जब ३६ रुपये मन बिकती है तो उससे १३ रुपये का सरकार को मुनाफा होता है और खंडसारी ३३ रुपये प्रतिमन बिकती है तो क्या सरकार को उससे मुनाफा नहीं मिलना चाहिये ? अगर बात इतनी ही सी होती तो यह बहुत सुन्दर जचती है कि उनसे ज़रूर टैक्स लेना चाहिये किन्तु मैं आपसे निवेदन करूं कि १३ रुपये टैक्स देने के बावजूद भी २२ रुपये पर जो यहां मिलों को चीनी बिकती है तो खाद्य मंत्री महोदय ने एक मर्त्तबा अपनी स्पीच में कहा था कि हमको विदेशों में जो चीनी भेजनी पड़ती है वह विदेशों में अन्य देश के मुकाबले में १७ रुपये पड़ती है। २२ रुपये पर भी पैदा करके उनको मुनाफा है तो क्या आप मिल की चीनी और खंडसारी शक्कर को एक ही तरफ रखेंगे ? उत्तर प्रदेश में खंडसारी वालों की एक असोसियेशन है जिसका कि नाम यू० पी० गुड़ एंड खंडसारी असोसियेशन है उनकी तरफ से एक पैम्फलेट छापा हुआ है जिसमें उन्होंने सरकार से अपील की है और सब बातों की तकलीफों का रोना रोया है। उन्होंने दिखलाया है कि हमारी खंडसारी का जो उत्पादन है वह ३१ रुपये और २६ नये पैसे पर पौंड पड़ता है तो अब जिनका कि उत्पादन खर्च ३१ रुपये २६ नये पैसे पड़े उनसे भी ४ रुपये टैक्स लिया जाय और जिनका कि उत्पादन टैक्स २२ रुपये पड़े, उत्पादन खर्च २२ रुपये से भी कम पड़े उनसे भी इतना ही लिया जाय यह कोई हिसाब है ? मैं समझता हूं कि जिसके कि हाथ में शासन की बागडोर है उसको इसी तर्क और इसी हिसाब से चलना होगा। मैं यह नहीं कहता कि ३१ रुपये और २६ नये पैसे उनके कहां तक जायज़ हैं। लेकिन आपके ज़रिये मैं वित्त मंत्री महोदय से इतना ज़रूर निवेदन करना चाहता हूं कि उनके हिसाब में अगर कोई गलती है तो मंत्री जी कोई कमेटी बना कर या किसी और तरीके से इसकी जांच करा लें और जो सही उनका उत्पादन खर्च हो उसके अनुसार टैक्स लगायें नहीं तो नहीं लगाना चाहिये। मैं तो आप से कहूं कि खंडसारी पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मिलों पर बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं बड़े बड़े आमदनी के ज़रिये हैं उन पर आप टैक्स लगाइये लेकिन खंडसारी पर, छोटी छोटी स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर और कौटेज इंडस्ट्रीज़ पर भी यदि आप टैक्स लगाते हैं तो मेरा कहना है कि उसमें छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में टैक्स के बारे में कुछ भेद तो होना चाहिये, उनका कुछ हिसाब तो होना चाहिये, कोई तारतम्य तो होना ही चाहिये। आपको टैक्स लगाना है तो बड़े बड़े उद्योगों और कारखानों पर लगाइये। लेकिन आपको यह याद रखना चाहिये कि हमारे देश में जो छोटे छोटे गृह और कुटीर उद्योग चलते हैं और जिनमें कि हमारे लाखों लोग रोज़ी कमा रहे हैं उन पर आप बजाय टैक्स लगाने के उनको पनपाने और प्रोत्साहन देने की कोशिश कीजिये। यह बड़े खतरे की चीज़ होगी अगर आप इसके विरुद्ध आचरण करते हैं। अभी मेरे एक मित्र ने जो कहा उसको सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कहा कि वे उस जिले से आते हैं जहां कि १४ चीनी फ़ैक्टरीज़ हैं। मैं भी उसी जिले से आता हूं जहां कि १४ चीनी मिलें हैं और आज हमारा उनका यही झगड़ा है। पता नहीं हमारे आनरेबुल सदस्य कैसे इन १४ फैक्टरियों से प्रभावित हो गये ? किन्तु मैं तो कहता हूं कि यही झगड़ा है हमारा। हम कहते हैं कि हे मिल वालो तुम यह २२ रुपये पर जो चीनी पैदा करते हो उससे कौस्ट आफ प्रोडक्शन जनता के सामने रखो, क्या तुमने कभी बतलाया कि तुम्हारा सही मायने में क्या कौस्ट आफ प्रोडक्शन है ?

इसी बात पर वहां हमारा झगड़ा शुरू होता है। इसी तरह से गन्ने की कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन और उसकी प्राइम का सवाल है। इसके लिए हर साल हड़तालें होती हैं, अनशन होता है, लोगों को जेल जाना पड़ता है, साधारण किसान को, मेम्बर्स को, एम० एल० एज़० को और एम० पीज़० को। यह सब सरकार का इस ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है लेकिन कभी कभी सरकार इसको पोलीटिकल सवाल बताकर टाल देती है और कहती है कि यह पार्टियों का झगड़ा है और इसके पीछे पोलीटिकल स्टंट है। मैं आपसे नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी, कि यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह किसानों का सवाल है, यह गन्ने का सवाल है, और यह उठते हुए हिन्दुस्तान के लोगों का सवाल है और यह उस उद्योग धन्धे का सवाल है कि जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग लगे हुए हैं। यह उनकी जीविका का सवाल है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक कमेटी बनायें, इसकी जांच कीजिये और उसी में तै कीजिये कि खंडसारी वालों को क्या पड़ता है अगर उनको बहुत मुनाफा है तो उनसे ले लीजिये, और उसी में यह तै कीजिये कि गन्ने वालों को क्या पड़ता है और शुगर केन फैक्टरीज़ उनको कितना चूस रही हैं। तो, मंत्री जी, मैं आपसे यह बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह सवाल टालने का नहीं है। आप खंडसारी पर यह कह कर टैक्स लगा सकते हैं कि वह ३६ रुपये पर बेचते हैं और यह ३३ रुपये पर बेचते हैं और उनसे हमको १३ रुपया मिल जाता है। आप इनसे भी १३ रुपया ले लीजिये और ये छोटे लोग हैं इनसे आप २३ रुपया ले लीजिये और उनके लिए १० रुपया ही छोड़ दीजिये क्योंकि ये ज्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन इस तरह से टैक्स लगाने से और इस तरह से अन्धाधुन्ध करने से काम नहीं चल सकता। इस हाउस को भी यह देखना चाहिए कि यह हिन्दुस्तान के गरीबों की बात है इस तरफ आपको तवज्जह देनी चाहिए। मैं तो आपसे बहुत ही नम्रता के साथ पुनः यह निवेदन करता हूं कि यदि हो सके तो आप उदारता के साथ इस खंडसारी के टैक्स को स्थगित ही कर दीजिये और इस बात की जांच कीजिये कि इसकी कास्ट ग्राफ़ प्रोडक्शन क्या है। इसमें हमारा सवाल भी हल हो जायगा। हम गन्ने वाले हर साल जेल जाते हैं, हड़ताल करते हैं किसानों के आग्रह पर उनके हित के लिए। हमारा प्रश्न भी इस तरह से हल हो जायेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने का विचार किया था। वह एक ट्रिपारटाइट कान्फ्रेंस बुलाना चाहती थी जिसमें मिल वालों, गन्ने वालों और सरकार तीनों के प्रतिनिधि हों। लेकिन पता नहीं वह स्कीम कहां दब गयी। इस समय प्रधान मंत्री जी भी हाउस में मौजूद हैं। मैं आपसे और प्रधान मंत्री जी से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस मुल्क की खाद्य समस्या बिगड़ी और आप कहते थे कि नहीं खाद्य समस्या हमारे हाथ में हैं, उस समय जब भाव बढ़े और पोलीटिकल पार्टीज़ के लोग जेल जाने लगे, तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने आगे बढ़ कर सब पार्टीज़ की एक कमेटी बुलायी थी और इस समस्या के बारे में सब से राय ली थी। मैं समझता हूं कि गन्ने और खंडसारी का सवाल भी कोई छोटा सवाल नहीं है। यह उस उद्योग से सम्बन्ध रखता है जो कि छोटे लोगों का उद्योग है। इसलिए आप इसे टालिए मत। यह राष्ट्र निर्माण में बहुत ही सहायक चीज़ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज इस टैक्स को स्थगित कीजिये और एक कमेटी बनाइये कि जिसके ज़रिये से इस मसले को हल किया जाये।

मैं कुछ और भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग देहात में रहते हैं। हम जानते हैं कि अगर देश का उत्पादन बढ़ेगा तो आपको भी टैक्स मिलेगा। मैं आपका ध्यान खाद्य समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। खाद्य समस्या से घबराकर आप कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ जारहे हैं। कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग भी उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बात मैं आप से निवेदन करूं और वह यह कि इस मुल्क में क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ ने जो काम किया है उससे उनको बहुत बदनामी मिली है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोग आज कोआपरेटिव

[श्री रामजी वर्मा]

का नाम सुनकर घबराते हैं। इस मुल्क में कोआपरेटिव मारकेटिंग फेडेरेशन बना था और गन्ने के बारे में सोसाइटियां बनी थीं। इन सोसाइटियों ने गन्ना बढ़ाने का काम नहीं किया बल्कि गन्ने को बेचकर नफा उठाने का काम किया जैसे कि ठेकेदार करते हैं। तो इस कारण लोग कोआपरेटिव शब्द से घबराते हैं। फिर भी चूंकि यह चीज सिद्धान्त में अच्छी है और चूंकि आज मुल्क के लिए यह जरूरी है कि जिन किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं उनको मिलाया जाय और फिर उस पर खेती की जाये, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इस दिशा में कदम उठाने के पहले बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और देहात के लोगों के सहयोग से ही इसको आगे चलाना चाहिए। अब तक जो कोआपरेटिव को चलाने वाले लोग रहे हैं उन्होंने विदेशी सिद्धान्तों को मोटी मोटी किताबों में पढ़ा है। लेकिन जो काम इस दिशा में मुल्क में हुआ है उसमें उनको नेकनाम नहीं मिला है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि इस मुल्क में कोआपरेटिव का तत्व है। यहां पर गांव गांव में, घर घर में पड़ोस पड़ोस में लोग सहकारी खेती करते हैं। अगर ऐसा न करें तो वे खेती कर ही नहीं सकते। अगर पानी चलाना होता है, सिंचाई करनी होती है, या बीज देना होता है तो सब एक दूसरे से मिल कर काम करते हैं। तो जो यह तत्व देश में है उसका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने कोई कमेटी बिठाई है कि जो देश के इन कोआपरेटिव तत्वों का अध्ययन करे। आपने ऐसा नहीं किया यह समझ कर कि यह तो गुलाम मुल्क रहा है, इसमें कुछ है नहीं, यहां तो वेद हैं, शास्त्र हैं और बड़े बड़े ग्रन्थ हैं, कल्चर है, और इस पर आप खर्च करते हैं। लेकिन बताऊं कि इस मुल्क में कोआपरेटिव का भी बहुत तत्व है। उसका आप अध्ययन कीजिये। गांव गांव में, जाति जाति में, समाज समाज में यहां यह तत्व काम कर रहा है। उसी को बढ़ाने में आप सहयोग कीजिये। और उसके बाद विदेशी तत्वों को भी आप ले लें। मैं इससे इन्कार नहीं करता। आप विदेशी सिद्धान्तों को भी लेकर यहां पर कोआप्रेटिव के काम को बढ़ावें। यह उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। हम अमरीका से, अस्ट्रेलिया से, जापान से और रूस तथा दूसरे देशों से गल्ला मंगाकर बहुत दिनों तक यहां के लोगों का पेट नहीं भर सकते। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान एक खेतीहर देश है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और दो तीन मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री रामजी वर्मा : बहुत अच्छा।

तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मुल्क एक खेतीहर मुल्क है किन्तु आज यहां सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि यहां की आबादी बहुत बढ़ रही है और यह एक प्राबलम हो गया है। आज सरकार के सामने यह प्राबलम है कि इस मुल्क की आबादी को किस तरह से घटाया जाये क्योंकि अन्यथा यहां की खाद्य समस्या का सवाल हल नहीं हो सकता। यह बुद्धिमान लोगों की बातें हैं, यह उन लोगों की बातें हैं जो कि बड़े बड़े रिसर्च करते हैं। किन्तु मैं एक चीज़ आप से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी, कि इस मुल्क में जो ३६ करोड़ लोग रहते हैं वे कर्मठ हैं, कार्यशील हैं, वे लोग कमजोर नहीं हैं और इम्पोटेंट नहीं हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं। किन्तु जब तक इन ३६ करोड़ लोगों की इनर्जी को आप किसी योजना के अन्दर नहीं लगायेंगे जिससे देश का उत्पादन बढ़े, तब तक ये लोग अपना उत्पादन ही बढ़ाते रहेंगे। और इसको आप नहीं रोक सकते। तो, मंत्री जी, गुस्ताखी माफ हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दो प्रकार का संघर्ष है। खेती आपके हाथ में है, रोजगार देना आपके हाथ में है, इंडस्ट्रीज़ आपके हाथ में है, बिना सरकार के हाथ लगाये

कोई इंडस्ट्री इस मुल्क में नहीं चल सकती। जब आदमी किसी काम को पकड़ना चाहता है, कोई रोजी रोजगार करना चाहता है, काम लेना चाहता है, कोई सरविस लेना चाहता है तो वह अपने को असहाय पाता है। उसमें आप उसकी मदद नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण बाद में जारी रखें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या २०४६ को मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री प्रभातकार का कटौती प्रस्ताव संख्या २०४६ मतदान के लिये रखा गया

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २५; विपक्ष में १०६

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

वर्ष १९५९–६० के लिये वित्त मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
२१	वित्त मंत्रालय	१,३५,७१,०००
२२	सीमा–शुल्क .	३,६३,५२,०००
२३	संघ उत्पादन शुल्क . .	७,४१,७९,०००
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर .	५,१७,४०,०००
२५	अफीम	३६,०१,०००
२६	मुद्रांक .	२,५५,५२,०००
२७	लेखा-परीक्षा	९,६६,८९,०००
२८	चल–मुद्रा	३,५७,७१,०००
२९	टकसाल . . .	५,३९,३६,०००
३०	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति-वेतन .	२३,२३,०००
३१	अतिवयस्कता भत्ता तथा निवृत्ति-वेतन	३,१३,७२,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	४०,३३,५५,०००
३३	योजना आयोग . . .	२,०८,८७,०००
३४	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विधि समायोजन	१६,५७,०००
३५	विभाजन के पूर्व भुगतान	२०,०९,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
११२	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय .	१०,०८,०००
११३	चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय . . .	९२,५२,३१,०००
११५	टकसालों पर पूंजी व्यय . .	४४,५०,०००
११५	सेवा-निवृत्ति वेतन का राशिकृत मूल्य . .	४१,५७,०००
११६	छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान .	५,०००
११७	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	५९,३५,७९,०००
११८	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . .	१,९४,३३,२८,०००

अध्यक्ष महोदय द्वारा संसद-कार्य विभाग लोक सभा, राज्य सभा तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०२	संसद्-कार्य विभाग	२,१३,०००
१०३	लोक-सभा	९१,६६,०००
१०५	राज्य-सभा .	३१,०७,०००
१०६	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	५९,०००

विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, खण्ड ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, खण्ड ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री मुरारजी देसाई** : मैं प्रस्तव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वित्त विधेयक पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी ।

वित विधेयक—(जारी)

श्री रामजी वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा था कि मुल्क को जो उत्पादन की शक्ति है, उसको प्रापर चैनल न देने के कारण, उसको सही मार्ग न देने के कारण, उसका रुख दूसरी तरफ़ हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है । इसको रोकने का कोई कृत्रिम उपाय न करते हुए अगर लोगों को काम करने के लिये साधन मिले, तो अगर आबादी बढ़ती भी है, तो भी भारत-भूमि में इतनी ताकत अभी है कि वह अपने बच्चों का, अपनी सन्तान का पालन करने की क्षमता रखती है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है ।

मैं आप से एक निवेदन और करूं कि कुछ महीने पहले मैं गोरखपुर में नौतनवा के बीज गोदाम पर गया था । लोगों की शिकायत यह थी कि उनको जो बीज दिया गया है उसमें फोका दाना है, सरकारी गोदाम से जो बीज दिया गया उसमें से १/३ और १/४ हिस्सा गन्दा दाना है । मैं पूछना चाहता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामजी वर्मा]

हूं कि इस तरह से कैसे काम चल सकता है । इससे तो अच्छा यह हो कि किसान अपने घर में ही बीज को रख लें और इसी से वे उत्पादन बढ़ा सकते हैं । कई जगहों पर मैंने देखा है कि लेट पैडी की जगह पर अर्ली दे दिया जाता है और अर्ली की जगह पर लेट पैडी दे दिया जाता है । जो देने वाले होते हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि किस किस्म का बीज दिया जा रहा है, आया ठीक दिया जा रहा है या नहीं, उनको तो इसी से मतलब होता है कि उनको जो एकाउण्ट है, वह ठीक होना चाहिये, ठीक एकाउण्ट जाना चाहिये । इस प्रकार का आफिशलवाद किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है, यह सोचने वाली बात है । इससे कुछ काम नहीं बनाया जा सकता है । आप ग्रो मोर फूड करें या कुछ और, कुछ नहीं हो सकता है ।

मैं यह भी चाहता हूं कि किसानों पर भरोसा किया जाए, उन पर विश्वास किया जाए । आप यह न समझें कि वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह समझना कि उनमें धंधे को समझने की बुद्धि नहीं है, चीजों को वे अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं, गलत है । वे सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझने लग गये हैं । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि उन पर विश्वास किया जाए और उनकी हर सम्भव सहायता की जाए ।

अन्त में मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं । हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा है कि न सिर्फ खेती में बल्कि उद्योग धंधों में भी हम चाहते हैं कि कोआप्रेशन को लायें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शूगर फैक्ट्रीज़ का स्थान इस मुल्क में दूसरे नम्बर पर आता है । बहुत दिनों से यह आवाज़ उठाई जा रही है कि इसको कोओप्रेटिव बेसिस पर क्यों नहीं चलाया जाता है ? क्यों नहीं ग्रोअर्स को तथा वर्कर्स को पार्टनर इस इंडस्ट्री में बनाया जाता है ? मालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं । अगर आप इस इंडस्ट्री को नैशनलाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम कोओप्रेटिव बेसिस पर इसे तो चला ही सकते हैं । मैं चाहता हूं कि इस बेसिस पर इसको चलाने की जल्दी कोशिश की जानी चाहिये । अगर ऐसा किया गया तो न तो खंडसारी का प्राबलैम ही रहेगा और न हर साल गन्ने की कीमत निर्धारित करने का ही सवाल पैदा होगा । सब प्रश्न सरल हो जायेंगे ।

अब मैं उत्पादन के बारे में थोड़ा सा कह कर समाप्त करता हूं । इसके सिंचाई और खाद, ये दो खास फैक्टर हैं । जहां तक सिंचाई का ताल्लुक मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिले में दो सौ से अधिक ट्यूबवैल लगे हुए हैं । उनमें से आपने क्या यह जानने का कभी प्रयत्न किया है कि क्या २५ या ५० भी वर्क करते हैं ? क्या यह पता लगाने का भी कभी प्रयत्न किया गया है कि जो कमाण्ड एरिया है, उस सब को पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है ? इसके साथ ही साथ एक यह भी बात है कि जो रेट होता है, वह महंगा पड़ता है । दूसरी बात यह भी है कि नालियां नहीं बनी हैं । तीसरी यह भी बात है कि किसान उसके अभ्यस्त नहीं हैं, उनको धीरे धीरे उस रास्ते पर लाने की कोशिश भी होनी चाहिये । इसके लिये आपको जो रेट्स हैं, उनको सस्ता करना पड़ेगा और प्रचार द्वारा उनको समझाना पड़ेगा । यह भी देखने में आया है कि जिस ज़िले में दो सौ या ढाई सौ ट्यूबवैल हैं, वहां पर पानी एक खेत में भी नहीं जाता है । जो लोग पानी देने वाले हैं वे लोग नज़दीक के खेतों में ही पानी देकर संतोष मान लेते हैं और जो दूसरे दूर के खेत होते हैं, उनमें चाहे पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, उनसे चार्ज कर लिया जाता है और यह नहीं देखा जाता है कि बाहर ही पानी बह जाता है और किसी काम नहीं आता है । दूर के किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचता है और नज़दीक ही पानी रह जाता है । मैं यह भी चाहता हूं कि इसके लिये फ्लैट रेट होना चाहिये ।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे । मैं आशा करता हूं कि खंडसारी पर लगे टैक्स को स्थगित करने

पर विचार किया जाएगा और साथ ही साथ जो दाम हैं उनको कास्ट बेसिस पर निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : जनाब स्पीकर साहब, देश की तरक्की और खसूसन दूसरे प्लान की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि बहुत सी स्कीमें जो बनाई हैं, उनको पूरा करने के लिये पैसे का कैसे इन्तिज़ाम किया जाता है । इस बिल में इस बात की कोशिश की गई है कि जो स्कीमें हैं, उनको पूरा करने के लिये फाइनेंशल अरेंजमेंट किये जायें और इसके लिये बहुत से टैक्सिस भी लगाये गये हैं । जहां तक टैक्सों को लगाने का सवाल है, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी पालिसी ऐसी होनी चाहिये कि इन टैक्सों का बोझ गरीब लोगों पर कम से कम पड़े । इसलिये मैं अपील करना चाहता हूं कि खंडसारी पर जो डयूटी लगाई गई है उसमें कुछ कमी तो कर दी गई है लेकिन अब भी वह काफी है और उसको और भी कम किया जाए । इसका कारण यह है कि दूसरे प्लान का मकसद यह है कि हम इस ढंग से काम करें, ऐसी स्कीमें बनायें कि जिससे आमदनी और इनकम के अन्दर जो बड़ी भारी डिसपैरिटीज़ हैं वे कम हों । अगर इस तरीके से टैक्स लगाये जायेंगे जिस तरीके से अब लगाये गये हैं, तो मुझे भय है कि हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे ।

इस बिल में इस बात का भी ज़िक्र किया गया है कि साल्ट ड्यूटी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है । यह बहुत अच्छी तजवीज़ है और मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इससे गरीब लोगों को रिलीफ मिलेगा ।

तीसरी बात मैं स्टेट अंडरटेकिंग्स के बारे में कहना चाहता हूं । आज इस बात पर बहुत ज्यादा ज़ोर दिया जाता है कि जो बड़े बड़े अंडरटेकिंग्ज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको नैशनलाइज़ किया जाए । लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि हमारा जो मकसद नैशनलाइज़ करने का है, वह पूरा हो । मैं नैशनलाइज़ेशन के खिलाफ नहीं हूं । लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारा मकसद है वह यह है कि उनसे जो आमदनी होती है, उसके अन्दर गरीब लोगों का भी हिस्सा हो ताकि वे लोग भी फायदा उठा सकें । हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी बम्बई में एक दफा स्पीच करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया था—अब तक हमारा जो तजुर्बा है, उसकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि अगर्चे बहुत से अंडर-टेकिंग्ज़ को नैशनलाइज़ किया गया है लेकिन हम अपने मकसद में बहुत कम कामयाब हुए हैं । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि इस पर हम को सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि देश की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि जो अंडरटेकिंग्ज़ हम नैशनलाइज़ करते हैं, उसका हम कैसे इंति-ज़ाम करते हैं । अकसर यह देखने में आता है कि जिस अंडरटेकिंग को नैशनलाइज़ किया जाता है उसका इन्तज़ाम ठीक नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है, जिससे फायदे के बजाय नुकसान होता है । मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं । सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आडिट रिपोर्ट पेश की थी उसमें भी इस बात का ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि स्वायत्त प्राधिकारों द्वारा प्रशासित कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब, अनुमानित लागत में काफी वृद्धि और अन्य वित्तीय गड़बड़ी देखी गई है ।

इसलिये मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि हमें इस मसले पर गौर करना चाहिये ताकि इससे पूरा फायदा हम उठा सकें । इसके बारे में मैं दो तीन तजवीज़ पेश करना चाहता हूं । पहली तज-वीज़ तो यह है कि आज हमारी यह आम पालिसी है कि जिस अंडरटेकिंग को नैशनलाइज़ किया जाता

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

हैं और जिन लोगों से उस इंडस्ट्री को लिया जाता है उन्हीं लोगों को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में रख लिया जाता है, बल्कि चेयरमैन भी बना दिये जाते हैं। इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता और इसकी वजह यह है कि वे लोग जो इसका इन्तिज़ाम करते हैं उनकी यह कोशिश रहती है कि यह स्कीम फेल हो जिससे कि आइंदा इस तरफ ज्यादा ध्यान न दिया जाए। इसलिये मैं अपील करना चाहता हूं कि इस तरफ खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी तजवीज इस सिलसिले में मैं यह पेश करना चाहता हूं कि अगर हमारी यह ख्वाहिश है कि यह स्कीम कामयाब हो तो सब से अच्छा तरीका यह है कि इन अंडरटेकिंग्स के इंतिज़ाम में सब से ज्यादा लेबरर्स, वर्कर्स को हिस्सेदार बना दें और इसे हमारी स्कीम कामयाब हो सकती है। हमें यह साबित करना चाहिये कि गवर्नमेंट एक माडल एम्पलायर है क्योंकि जब तक हम यह साबित नहीं करते हैं तब तक प्राइवेट कंसर्स के अन्दर इस स्कीम को लागू नहीं किया जा सकेगा। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी अंडरटेकिंग्स को नैशनलाइज़ किया जाये उनके इंतिज़ाम के अन्दर मजदूरों को और वर्किंग क्लासिस को पूरा हिस्सा मिलना चाहिये। यह बात मैं दूसरे मुल्कों की मिसालें दे कर भी बता सकता हूं जिन मुल्कों में कि सब से ज्यादा सनती तरक्की हो रही है उसका सब से बड़ा कारण यह है कि उन मुल्कों ने मज़दूरों को सब से ज्यादा कान्फिडेंस में लिया है। आप वेस्ट जर्मनी को ले लीजिये, वेस्ट जर्मनी की हालत हम से बहुत खराब थी। लेकिन वह इंडस्ट्री और तरक्की के मैदान में हम से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। इस का सब से बड़ा कारण यह था कि उस ने अपने मजदूरों पर विश्वास किया, और अपने कारखानों का इन्तजाम, खुसूसन आयरन ऐंड स्टील इंडस्ट्री का इन्तजाम वहां की ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के हाथों में दे दिया। हमारा एक डेलिगेशन अभी उन मुल्कों में गया था। उस ने एक रिपोर्ट भी पेश की थी। उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि जर्मनी के मजदूर जिस तरह से कारखानों को अपना समझते हैं और कम मजूरी होते हुए भी जो उन में यह भावना होती है कि उन्होंने उद्योग के लिये बहुत अच्छा कार्य किया है उस से नियोजकों और विधान-निर्माताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसी तरह कुछ दूसरे मुल्कों में भी जितनी नैशनलाइज्ड कंसर्न्स या अन्डरटेकिंग्स हैं उन में लेबरर्स को हिस्सा दिया जाता है। बल्कि यूगोस्लाविया के अन्दर तो इन्तजाम मजदूरों की कौंसिल करती है जिस को उस कारखाने के मजदूर मिल कर एलेक्ट करते हैं। इस लिये मैं इस बारे में खास तौर पर जोर दूंगा कि हमें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं यह बात इस लिये ज्यादा कह रहा हूं कि सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन की कामयाबी का दारोमदार सब से ज्यादा वर्किंग क्लास या लेबरर्स पर है। जब तक हम उन में जोश पैदा नहीं कर सकेंगे तब तक हमारा काम नहीं हो सकेगा। और वह जोश उन में मोकम्मिल तौर पर पैदा नहीं हो सकता जब तक पूरी तरह से उन को कांफिडेंस में नहीं लिया जायेगा। कहीं कहीं मैनेजिंग कौंसिल बन गई हैं, मैं उन से मुत्तफिक नहीं हूं क्योंकि उन को पूरी ताकत नहीं दी गई। आज हम क्या देखते हैं? न तो बैलेन्स शीट उन के सामने पेश की जाती है न वह कम्पनी के प्राफिट और लास में हिस्सा ले सकते हैं। यही नहीं कि वह उन पर विचार भी नहीं कर सकते बल्कि जो रोज की चीजें हैं जिन पर कारखाने के काम का दारोमदार होता है, वह उन से अलग रक्खी जाती हैं। उन को कांफिडेंस में नहीं लिया जाता बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वर्क्स कमेटीज़ को जो ताकत दी गई है उस में और मैनेजिंग कौंसिल के जरिये उन को जो अख्त्यार दिये गये हैं उस में कोई खास फर्क नहीं है। इस लिये आज सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उन्हें सबसे ज्यादा ताकत दी जाय और तमाम बैलेंस शीट उन के सामने रक्खी जायें ताकि उन्हें यह मालूम हो सके कि दरअस्ल कारखाने में मुनाफा हुआ है या नुकसान। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जो बैलेंस शीट पेश की जाती हैं वह तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है।

इस किस्म की बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं। ग्राडिट वगैरह में भी उस का कोई हाथ नहीं होता। भिवानी के अन्दर एक टी० ग्राई० टी० मिल है जो कि बिड़ला कंसर्न है। वहां इस किस्म का एक झगड़ा पैदा हुआ था। वहां के मजदूरों और मालिकों में बहुत ज्यादा बेचैनी थी। मजदूर कहते थे कि कारखाने के अन्दर बड़ा भारी मुनाफा हुआ है, मालिक कहता था कि नुकसान हुआ है। मजदूरों ने इस किस्म की दो बैलेंस शीट्स भी वहां पेश कीं। मेरा इन तमाम बातों के कहने का मकसद यह है कि अगर मजदूरों को मुकम्मिल तौर पर कांफिडेंस में लिया जाता, अगर उन के सामने तमाम हालात रक्खे जाते, तो वह ज्यादा कोग्रापरेट कर सकते थे और कारखाने के अन्दर पैदावार भी बढ़ सकती थी। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि आज हम क्या देखते हैं कि कारखानों के अन्दर हड़तालें होती हैं। पिछले साल भी बहुत ज्यादा हड़तालें हुईं और बहुत से दिन जाया हुए। अगर ऐसा किया जाये तो यह तमाम चीजें रुक जायेंगी और तमाम देश पर भी इस का अच्छा असर पड़ेगा।

आज हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी मैन पावर है, शायद दुनियां के किसी भी मुल्क में नहीं। लेकिन इस के साथ साथ यह भी आपको तसलीम करना पड़ेगा कि जितनी मैन पावर हिन्दुस्तान में वेस्ट होती है शायद उतनी कहीं नहीं होती। इस का सब से मुख्य कारण यह है कि गरीब आदमी देश की तरक्की के जो काम हैं उन के अन्दर ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। उन के अन्दर ज्यादा जोश नहीं है। अगर हम मजदूरों को कांफिडेंस में लें तो उन के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा और वह हिन्दुस्तान के कामों में हिस्सा लेंगे। इसलिये आज सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ऐसी स्कीम तैयार की जाय जिस से कि हिन्दुस्तान के अन्दर कम से कम मैन पावर का वेस्टेज हो और उन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाय। आज हमारे सामने फाइनैन्सेज का सवाल है, आज हमारे सामने फारेन एक्स्चेन्ज का सवाल है, हमें पक्का विश्वास है कि अगर हम हिन्दुस्तान के मजदूरों के अन्दर, हिन्दुस्तान की ४० करोड़ जनता के अन्दर जोश पैदा कर सके हैं तो हमारे यह सवाल खत्म हो जायेंगे क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं। अगर आज हिन्दुस्तान का हर शख्स जो काम कर सकता है, तकरीबन दो घंटे रोजाना काम करे तो उस से करीब ५०० करोड़ रु० सालाना का फ़ायदा हो सकता है और यह तमाम दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इसलिये सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन को कामयाब करने के लिये सब से जरूरी है कि हम अपनी प्लैन ऐसी बनायें जिन में हम मजदूरों को कांफिडेंस में ले सकें। मैं यह बात खास तौर पर इसलिये भी कहता हूं कि थर्ड फाइव इअर प्लैन की तैयारियां हो रही हैं। इसलिये मैं अपने देश के नेताओं पर इस बात का जोर दूंगा कि वह इस बात को खास तौर पर ध्यान में रक्खें और वे जो भी स्कीम बनायें उन स्कीमों के अन्दर ऐसे तरीके होने चाहियें जिन से हम हिन्दुस्तान की मैन पावर को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें।

इस के बाद मैं कुछ कम्पनी ला ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक भी कहना चाहता हूं। इस के लिये एक रिपोर्ट भी पेश की गई है। इस के अन्दर भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कम्पनी ला ऐडमिनिस्ट्रेशन की तहत बहुत सी एन्क्वायरीज हुई हैं और उन एन्क्वायरीज के दौरान यह मालूम हुआ है कि कम्पनी ला के बहुत से क्लाजेज को ऐब्यूज कर के किस तरह से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में मेरी तो एक ही तजवीज है। इस साल जो रिपोर्ट पेश की गई है उस के अन्दर यह दर्ज है कि सैक्शन २४७ की तहत कुछ एन्क्वायरीज़ हुई हैं। मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं कि आखिर एन्क्वायरी करने का क्या मकसद है? आज कम्पनी ला के अन्दर या जो कम्पनी ऐक्ट है, उस के अन्दर सब से बड़ा डिफेक्ट यह है कि एन्क्वायरीज तो हो जाती हैं, रिपोर्ट भी पेश हो जाती हैं और यह भी साबित हो जाता है कि जिन के खिलाफ एन्क्वायरीज हुई हैं वे कुसूरवार हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिस के जरिये उन के खिलाफ

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

ऐक्शन लिया जा सके। इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस तरफ भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिये और हमें अपने कम्पनी ऐक्ट को इस तरीके से अमेंड करना चाहिये जिस से सेक्शन २४७ की तहत जिन के खिलाफ एन्क्वायरीज हुई हैं और जिन के खिलाफ ऐलिगेशन साबित हो जाय, उन के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सके। मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उस में भी इस बात का जिक्र किया गया है और गवर्नमेंट का इस तरफ पूरा ध्यान है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस तरीके से इस ऐक्ट को अमेंड किया गया तो उस से बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी तो इस बारे में यह तजवीज है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट ऐंड रेगुलेशन ऐक्ट की तहत कारखानों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है और उन का इन्तजाम अपने हाथ में लिया जा सकता है, कम्पनी ऐक्ट को भी इस तरह से अमेंड किया जाय कि कारखानों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सके और जो इस किस्म की गलतियां करते हैं, और जिन के खिलाफ ऐलिगेशन साबित हो जाय, उन कारखानों के इन्तजाम को भी गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सके।

इस के बाद मैं थोड़ा सा पंजाब के बारे में कहना चाहता हूं। पंजाब के अन्दर आज सब से बड़ा सवाल बेटरमेंट लेवी का है। पिछले दिनों इस सिलसिले में वहां बड़े जोर का एजिटेशन भी हुआ लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि एजिटेशन करने वालों ने अपनी गलती को महसूस किया और वह एजिटेशन बन्द हो गया। लेकिन इस के साथ-साथ मैं यह अपील जरूर करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट को बेटरमेंट लेवी के जरिये जो रुपया वसूल करना था वह बहुत ज्यादा तादाद में था। वहां के किसान इतने बड़े बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकते। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात की कोशिश हो रही है कि बेटरमेंट लेवी के जरिये जो रकम गवर्नमेंट को देनी है उस में सूद की रकम भी काफी से ज्यादा है, इस वास्ते सूद कम कर दिया जाय। मैं यह अपील करूंगा कि इस सिलसिले में बजाय कम्पाउंड इंटरेस्ट के सिम्पल इंटरेस्ट चार्ज किया जाय और सूद कुछ कम कर दिया जाय ताकि पंजाब गवर्नमेंट कम बेटरमेंट लेवी वसूल कर सके और किसानों को रिलीफ मिले।

इस के साथ-साथ मैं थोड़ा सा यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब की तरक्की के लिये और राजस्थान की तरक्की के लिये दो तीन स्कीमों का जारी किया जाना बहुत जरूरी है।

इन दोनों स्टेट्स की तरक्की का दारोमदार सबसे ज्यादा इस बात पर है कि हम ब्यास, रावी और सतलज़ दरियाओं के पानी को मुकम्मिल तौर पर युटिलाइज़ कर सकें। इसके बारे में मेरी यह तजवीज़ है कि हमें यह पूरी कोशिश करनी चाहिये कि उन तीनों दरियाओं का तमाम पानी हिन्दुस्तान यानी पंजाब और राजस्थान के लिये इस्तैमाल हो सके। आपको यह जान कर हैरानी होगी कि दरिया व्यास हिन्दुस्तान से निकलता है और हिन्दुस्तान में ही खत्म होता है लेकिन उसका ६० फ़ीसदी पानी अब भी नहरों के ज़रिए पाकिस्तान को दिया जाता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाखरा डैम को पूरा पानी दिया जाय। एक्सपर्ट्स की यह राय है कि जो पानी सतलज से मिलेगा वह उसके लिये काफ़ी नहीं होगा। उसके लिये पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है। उसका नाम सतलज व्यास लिंक है। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस स्कीम को एप्रूव करे ताकि सतलज और व्यास लिंक करने से व्यास का जो पानी है वह वहां स्टोर हो सके भाखरा डैम के ज़रिए मुकम्मिल तौर पर तमाम साल युटिलाइज कर सके क्योंकि मौजूदा एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक अगर सतलज नदी के पानी से ही काम लिया गया तो २० साल के अन्दर सिर्फ़ ८ साल ऐसे होंगे जबकि डैम के अन्दर काफ़ी पानी होगा। इसलिये मैं इस बात पर ज़ोर दूंगा कि इस स्कीम को प्राएरटी दी जाय ताकि पंजाब और राजस्थान को काफी पानी मिल सके। और जो फुड का मसला है वह भी हल हो।

दूसरी मेरी इस बारे में तजवीज़ यह है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ़ से इस बात पर भी बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि भाखरा डैम पर जो राइट बैंक पर पावर हाउस बनाया जाना है उस काम को भी चालू रक्खा जाय और यह बात सही भी है क्योंकि अगर उस स्कीम को पोस्टपोन कर दिया गया और बाद में शुरू किया गया तो उससे लागत भी ज्यादा आयेगी और गवर्नमेंट को नुकसान भी काफ़ी होगा।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस स्कीम को भी साथ-साथ लिया जाय और इस को भी पूरा किया जाय। दूसरे अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां के किसानों को बहुत कम बिजली मिलेगी क्योंकि लेफ्ट बैंक पर जो पावर हाउस बनने वाला है उसकी तकरीबन तमाम बिजली राजस्थान स्टेट और नांगल फर्टिलाइज़र्स फैक्टरी कंज्यूम कर लेगी और गांवों और किसानों को बहुत कम बिजली मिलेगी और उनको इस बात से बड़ा दुःख होगा कि बेटरमेंट लेवी के लिये तो हमसे रुपया बसूल करने की कोशिश की जाती है लेकिन बिजली वगैरह की सप्लाई के लिये इन्तज़ाम नहीं हो सकता। वह इन्तज़ाम तभी हो सकता है कि उस दूसरे पावर हाउस को भी साथ-साथ लिया जाय और उसको भी मुकम्मिल किया जाय और ऐसा करने से वहां के गरीब किसानों को मुकम्मिल तौर पर पूरी बिजली मिल सकेगी।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सवाल है, खास तौर पर पब्लिक सैक्टर के अन्दर पंजाब को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक वहां सिर्फ़ पब्लिक सैक्टर के अन्दर एक ही फैक्टरी नांगल के अन्दर लगाई जायगी। मेरी इस सिलसिले में अपील है कि वहां पब्लिक सैक्टर के अन्दर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जाये और पंजाब स्टेट की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाये। वैसे भी वहां पर इंडस्ट्रीज़ ज्यादा कामयाब हो सकती हैं। खास तौर पर मैं न्यूज़प्रिंट फैक्टरी के लिये सबसे ज्यादा जोर दूंगा क्योंकि पिछले दिनों फ़िनिश एक्सपर्टस का एक डेलीगेशन वहां पर गया था और उसने वहां का सर्वे किया। उन्होंने उस एरिया को देखा और उनकी यह राय है कि वहां न्यूज़प्रिंट फैक्टरी बहुत अच्छे तरीक़े से चल सकती है। इसलिये मैं ज़ोर दूंगा कि जिस तरीक़े से आंध्र के अन्दर न्यूज़प्रिंट फ़ैक्टरी लगाई जा रही है वहां भी इस की तरफ़ ध्यान दिया जाय और व्यास रीजन के अन्दर एक न्यूज़प्रिंट फैक्टरी ज़रूर पब्लिक सैक्टर के अन्दर लगाई जाय।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब लाइट इंजीनियरिंग के अन्दर आज सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। लुधियाना और जालंधर में यह इंडस्ट्रीज़ बहुत ज्यादा तरक्की कर रही हैं। इसलिए अगर वहां घड़ियां बनाने का कारखाना चालू कर दिया जाय खास तौर पर पब्लिक सैक्टर के अन्दर तो वहां बहुत ज्यादा कामयाबी हो सकती है।

मुझे विश्वास है कि अगर इस ओर ध्यान दिया गया तो पंजाब हिन्दुस्तान का स्विटजरलैण्ड साबित हो सकता है।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रत्यक्षकरों में जिन छूटों को देने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है, मैं उनका स्वागत करता हूं। अर्थ व्यवस्था के संतुलित विकास के लिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नयवानी]

यह आवश्यक है कि कुटीर उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा बड़े उद्योगों का विकास एक साथ किया जाये ।

मिश्रित दरों सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस पर भली भांति विचार कर लें, अन्यथा बाद में सरकार के सामने कठिनाई आयेगी ।

प्रसन्नता की बात है कि समवाय के लाभ पर कर पर छूट लगाने में वित्त मंत्री ने खुले दिमाग से काम लिया है । यदि बाद में सम्भव हुआ तो ये दरें कम भी कर दी जायेंगी ।

संचित लाभ में से जो राशि रक्षित की जायेगी उसे कर से मुक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही बोनस अंशों को भी कर मुक्त करने की आवश्यकता है । बोनस अंशों पर व्यक्तियों के आधार पर कर लगाना समुचित न होगा ।

मेरा अनुरोध है कि तम्बाकू पर जो कर लगाया गया है, उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है । हुक्का और बीड़ी की तम्बाकू पर हमने भिन्न-भिन्न कर लगाये हैं । इस समय दोनों प्रकार की तम्बाकू के मूल्य में ११$^1/_4$ आना प्रति पौंड का अन्तर है । ऐसी स्थिति में इस बात का भय है कि व्यापारी कम कर वाली तम्बाकू को बीड़ी की तम्बाकू में मिला कर काफी धन बचा लेंगे ।

धीरे धीरे कम कर वाली तम्बाकू के उत्पादन में कमी हो रही है और बीड़ी का प्रचार बढ़ रहा है । अतः सम्पूर्ण कर-स्वरूप की छानबीन की जानी चाहिये और हुक्के तथा बीड़ी की तम्बाकू के कर में जो अन्तर है उसे कम किया जाना चाहिए ताकि व्यापारी लोग गड़बड़ी न करें । साथ ही मुझे आश्चर्य है कि सस्ते प्रकार की सिगरेटों को इतनी अधिमान्यता क्यों दी गई है । जब बीड़ी की अपेक्षा हुक्के की तम्बाकू पर कर कम है, तो उसी प्रकार सिगरेट की तम्बाकू की तुलना में बीड़ी की तम्बाकू पर भी कर कम होना चाहिये । बीड़ी पीने वाला वर्ग सामान्यतः सिगरेट पीने वाले वर्ग से गरीब होता है । इन सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि व्यापारियों को इससे मिलावट व गड़बड़ी करने का अवसर न दिया जाये ।

नकली रेशम के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नाईलोन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । हम प्रतिवर्ष २० लाख पौण्ड नाईलोन का आयात करते हैं । गत तीन वर्षों में नाईलोन की साड़ियों के मूल्य में ५० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत की कमी हो गयी है । अतः पहले जो साड़ी ५० रुपया ६० रु० की मिलती थी अब १५ या १६ रु० में मिल रही है । अतः यदि हम उस पर ४ या ६ आना प्रतिगज कर लगा दें, तो हमारी आय काफी बढ़ सकती है और यह कर चाहे जनता पर पड़े या व्यापारी पर ।

व्यय कर में जो परिवर्तन किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है । इस प्रकार सोने की छड़ों तथा हीरे-मोती जवाहरात आदि को व्यय कर की सीमा से पृथक् किया जा रहा है । इन वस्तुओं को धारा ६ (१) (घ) में रखा जा रहा है, यह धारा व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में है । पर क्या सोने की छड़ें और हीरे-मोती आदि व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुयें हैं । यह व्यय तो व्यापारिक होगा । अतः मेरा निवेदन है कि इन वस्तुओं के क्रय को व्यय कर से छूट देना उचित न होगा ।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । मुझे पार्लियामेंट के इस सारे सेशन में अभी तक बोलने का मौका नहीं मिल सका । इसलिये मैं समझता हूं कि बैक-बेंचर्ज़ को हमेशा ही इग्नोर किया जाता है ।

मैं फ़ाइनेंस बिल की प्रोपोज़ल्स को सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री अपनी धुन के पक्के हैं । जिस बात का वह फ़ैसला कर लेते हैं, उस से गिरते कम हैं । हां, यह जरूर है कि जहां भी इन्साफ का मामला होगा, वहां पर अगर उनको कोई दलील जंच जाये, तो वह हर वक्त उस को मानने के लिये तैयार रहते हैं । अभी-अभी जो उन्होंने भाषण दिया था, उस में उन्होंने खंडसारी के टैक्स में कमी कर दी है और तेल निकालने के कोल्हू के मुताल्लिक भी उन्होंने हमें राहत दी है । लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने जो राहत दी है, जो कमी की है, वह बहुत थोड़ी है । १९४४ के साल्ट ऐक्ट के शिड्यूल के आर्टिकल २३ के नीचे वह लगाई गई थी । पहले जो तेश के कोल्हू पावर से चलते थे, उन को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया था पांच सात साल पहले, लेकिन उस के बाद आहिस्ता-आहिस्ता ७५ टन की जो एग्ज़ेम्प्शन थी, जो लिमिट थी, वह उन्होंने हटा दी--७५ टन से १२५ टन तक की जो लिमिट थी, वह उन्होंने हटा दी । अब जो एग्ज़ेम्प्शन ७५ टन तक उन्होंने दी है, वह बहुत कम है, क्योंकि यह इंडस्ट्री गावों में चलती है और स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट प्रोत्साहन देना चाहती है और अगर प्रोत्साहन देना है, तो बिजली निहायत ज़रूरी हो जाती है । बिजली का कोल्हू मौजूदा घानी के कोल्हू से दुगना पैदा करता है । आज जिस तरह कास्ट आफ़ लिविंग बढ़ रही है, जिस तरह हर एक आदमी के इखराजात बढ़ रहे हैं, उस को देखते हुए अगर कोल्हू चलाने वाले को एक फैमिली के लिये गुज़ारा देना है, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि जिन के पास दो कोल्हू हैं, जो दो यूनिट में आते हैं, उन को पूरे का पूरा माफ़ होना चाहिये । जिस तरह सरकार ने हैंडलूम इंडस्ट्री में चार हैंडलूम्ज़ को, चाहे वे पावर से चलते हैं, एग्ज़ेम्प्ट किया है, उसी प्रकार से पावर से चलने वाले दो कोल्हुओं को एग्ज़ेम्प्शन होनी चाहिए ।

एक बात मैं नहीं समझ पाया हूं । यह जो ७५ टन की एग्ज़ेम्प्शन दी गई है, क्या उस में मिल वाले भी आ जाते हैं, क्या उन को भी एग्ज़ेम्प्शन मिल जाती है ? मैं वित्त मंत्री से इस बात की क्लैरिफ़िकेशन चाहता हूं कि जो ७५ टन की एग्ज़ेम्प्शन रखी है, क्या वह मिल वालों के लिये भी कायम रहेगी, या उन पर यह लागू नहीं होगी, उन की आमदनी ७५ टन से ऊपर से गिनी जायगी, या एक से ७५ टन तक वे जो तेल निकालेंगे, वह गिना जायगा । मैं समझता हूं कि छोटे आदमियों को लाभ देने को लिये बड़े आदमियों को राहत नहीं मिलनी चाहिये ।

डीज़ल आयल पर वित्त मंत्री जी ने छूट नहीं दी है । डीज़ल आयल पर छूट निहायत ज़रूरी मालूम होती है, इसलिये कि तीन चीज़ों के लिये उस की ज़रूरत पड़ती है---एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिये, टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिये और स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिये । ये ऐसे घरेलू धन्धे हैं, जो मिडल क्लास के आदमियों के गुज़ारे की चीजें हैं । मैं समझता हूं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई को लड़ने वाले सारे के सारे मिडल क्लास के आदमी थे । आज उन की हालत--उन का आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है । आज टूरिज्म हिन्दुस्तान में बड़ी फ़ारेन एक्सचेंज लाता है । इसी तरह से स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ भी फारेन एक्सचेंज को बचा रही हैं, क्योंकि वे उन चीज़ों को तैयार कर रही हैं, जो कि बाहर से आती थीं । इसी तरीके से हमारे एग्रीकल्चरिस्ट्स---खेती-बाड़ी करने वाले अनाज पैदा करने के लिये जो ट्यूब वैल्ज़ लगाते हैं, सब जगह उनमें डीज़ल आयल काम में आता है । मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी को इस पर फिर विचार करना चाहिये कि किस तरीके से डीज़ल आयल पर ड्यूटी में कमी की जाये ।

अब मैं एक और बात की तरफ उन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि तीन हज़ार की जो इनकम टैक्स की एग्ज़ेम्प्शन रखी गई है, वह बहुत कम है । पहले ४२०० की लिमिट रखी गई थी । उस के बाद उस को ३६०० रुपये कर दिया गया और फिर उस लिमिट को ३००० रुपये कर दिया गया । जो मिडल क्लास के आदमी हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो नौकरी करते हैं,

[श्री हेमराज]

अगर उन की तन्ख्वाह २५० रुपये माहवार हो, तो उन की आमदनी ३००० रुपये बन जाती है और उन से भी टैक्स लिया जाता है। आज हालत यह है कि २५० लेने वाला आदमी अपने लड़कों को कालेज की एजूकेशन भी नहीं दे सकता है। उस पर सारे फैमिली का बोझ होता है— उस को फ़ादर, मदर, ब्रदर्ज़ और अपने बच्चों का पालन करना पड़ता है। इस महंगे समय में यह उस के लिये नामुमकिन है कि वह अपने लड़कों को एजूकेशन दे सके। इसलिये मैं समझता हूं कि तीन हज़ार की इस लिमिट को ३६०० तक पहुंचा देना चाहिये, जो कि पहले लिमिट थी। उन्होंने कहा है कि अगर एक लड़का है, तो लिमिट ३३०० हो जाती है और दो लड़के हैं, तो ३६०० हो जाती है। मैं समझता हूं कि आज के ज़माने के मुताबिक तो इस से उलट होना चाहिये। जो डिस्टिंक्शन एक बैचलर और औलाद वाले में रखा गया है, उस को हटा देना चाहिये। आज आबादी का बढ़ना हिन्दुस्तान की प्राबलम बन गई है। अगर हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा औलाद पैदा न करें, तो बैचेलर—ब्रह्मचारी—को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, इसलिये कि ज्यादा औलाद पैदा न हो। हमारी आबादी पचास साठ लाख सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। इसलिये लोगों में यह इन्सेन्टिव भी फैलना चाहिये, ताकि वे कम से कम औलाद पैदा करें, ज्यादा शादियां न करें। ब्रह्मचारी औलाद कहां से पैदा करेगा ? हमारे दूसरे प्लान का यह ध्येय था कि मुल्क इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ बढ़े। दूसरा ध्येय यह था कि एम्पलायमेंट अपरचुनिटीज़ बढ़ें और तीसरा ध्येय यह था कि जो तरक्की हो वह पिछड़े हुए इलाकों को अधिक हो। ऐसा न हो कि जो सैक्शंस बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, वे और भी ज्यादा ऊंचे चले जायें और जो बहुत नीचे हैं, वे और ज्यादा नीचे चले जायें और जो नीचे हैं, उनको ऊपर लाया जाये। इन तीनों बातों को हमें ध्यान में रखना था। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ रिजंस, कुछ स्टेट्स तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ हो गई हैं और दूसरी स्टेट्स को बिल्कुल ही निग्लैक्ट कर दिया गया है। मुझ से पहले बोलने वाले एक वक्ता ने कहा कि पंजाब को हैवी इंडस्ट्रीज़ के मामले में बिल्कुल निग्लैक्ट कर दिया गया है और उनकी इस बात में मैं भी शामिल होता हूं और कहना चाहता हूं कि उसको निग्लैक्ट किया गया है। यह भी एक आर्गुमेंट दी जाती है कि वह बार्डर स्टेट है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं। आपके सामने रिपोर्ट है जिस में कहा गया है कि वहां पर सिमेंट का कारखाना लग सकता है। ब्यास बेसिन के अन्दर फारेस्ट इन्डस्ट्रीज़, न्यूजप्रिंट फैक्टरी लग सकते हैं। इनके बारे में प्रोपोज़ल्स भी हैं और मैंने एक बार सवाल भी किया था जिसके जवाब में मुझे बताया गया था कि वे अंडरकंसिड्रेशन हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि पंजाब के दो हिस्से हैं और दो भी नहीं तीन हिस्से हैं। एक तो हिन्दी रिजन है और दूसरा पंजाबी रिजन। मैं तो समझता था कि पंजाब गवर्नमेंट ही हमारे साथ सौतेला सलूक करती है और हिन्दी रिजन को बिल्कुल इगनोर करती है मगर अब पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई गई हैं वे सारी को सारी पंजाबी रिजन में बनाई गई हैं और हिन्दी रिजन को बिल्कुल नज़र-अन्दाज़ कर दिया गया है। हिन्दी रिजन के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो जनूब में है और दूसरा शुमाल में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू वैली, कंडाघाट और शिमला का जो हिस्सा है, उसको बिल्कुल निग्लैक्ट कर दिया गया है और हरियाना प्रान्त वालों की तरफ ज्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, ज्यादा तवज्जह दी जा रही है। वे शोर मचा सकते हैं और ले भी सकते हैं लेकिन हम लोग चूंकि शोर नहीं मचा सकते हैं, इस वास्ते कुछ ले नहीं सकते हैं। हमारा हिस्सा हिमाचल के साथ मिला हुआ है। उस हिस्से को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय वहां पर गये थे और उसकी वजह से कुल्लू वैली का नाम चमक गया है। लेकिन जहां तक पीने खाने की चीज़ों का सम्बन्ध है, वहां के लोग फाका मस्ती ही करते हैं। वहां पर इंडस्ट्रीज़ की जरूरत है।

वहां पर चाय की इंडस्ट्री है और यही एक मात्र इंडस्ट्री है । हरी चाय वहां होती है और इस इंडस्ट्री में दस हज़ार मजदूर काम करते हैं । दस लाख की आबादी में से दो लाख की आबादी इसी पर निर्भर करती है । लेकिन उसकी हालत यह है कि आज उसके लिये कोई पैसा नहीं दिया गया है । प्लांटेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि असली जो तकलीफ है, असली जो दिक्कत है वह फाइनेंसिस की है और कोआप्रेटिव्ज़ बननी चाहियें क्योंकि वहां छोटी-छोटी एस्टेट्स हैं । लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सारे के सारे मामले को खटाई में डाला हुआ है । उस टी की तजारत अफगानिस्तान के साथ होती थी और जो बार्टर एग्रीमेंट हुआ था, उसके ज़रिये से वह जाती थी । लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब नकद रुपया देना शुरू कर दिया है उन सब इम्पोर्ट्स के लिये जो होती हैं । इसका नतीजा यह हुआ है कि जितना भी चाय का व्यापार था वह खत्म हो गया है । असली जो कठिनाई है वह फाइनेंसिस की है फिर चाहे वह ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो । बहुत दिनों से यह मामला चल रहा है और पांच साल हो गये हैं, कोई फैसला नहीं हो पाया है । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सब से पहले तो उसके डेवलपमेंट के लिये फाइनेन्स कारपोरेशन बना दी जाये ताकि फाइनेंसिस का मसला हल हो सके और दूसरे जहां तक छोटे-छोटे गार्डन्स का ताल्लुक है उनकी इमदाद करने का कोई न कोई बेहतरीन तरीका निकाला जाये । मैं सिलोन की मिसाल पेश करना चाहता हूं । वहां भी बहुत छोटे-छोटे गार्डन्स हैं और बहुत ज्यादा तादाद में वे हैं । वहां की गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन गार्डन्स को ये ये सबसिडी दी जाती हैं :— उर्वरक प्रयोग के लिये २५० रु० प्रति एकड़ की सहायता, भूमि संरक्षण उपायों के लिये १०० रु० प्रति एकड़ की सहायता आदि । यहां पर हमारी केन्द्रीय सरकार ने सारा मामला प्रान्तीय सरकार पर छोड़ रखा है और प्रान्तीय सरकार इस काम को कर नहीं सकती है । आप जानते ही हैं कि चाय सब से ज्यादा डालर अर्न करती है या फारेन एक्सचेंज अर्न करती है, इसलिए भी मैं चाहता हूं कि सारा जो कंट्रोल है वह केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ।

आपने दूसरी पांचसाला योजना चलाई है और इस के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह नीचे से ऊपर को बनती और ऊपर जा कर कोआर्डिनेशन हो जाता है । लेकिन मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आप नीचे से भले ही चलें लेकिन कुछ प्राबलैम्स हैं, जिन का मैं ज़िक्र करना चाहता हूं और वे प्राबलैम्स पहाड़ी इलाकों के हैं । यह इलाका एक्सटेंड करता है उत्तर प्रदेश से लेकर काश्मीर तक । आप जिस तरह का प्लान मैदानी इलाकों के लिये बनाते हैं, उसी तरह का प्लान पहाड़ी इलाकों के लिये बनाते हैं । स्माल इरिगेशन का मामला हो या इंडस्ट्रीज़ का मामला हो या कोई और मामला हो, जो अखराजात हैं, वे प्लेंस के मुकाबले में पहाड़ों पर पांच गुना अधिक होते हैं । जब हम कम्युनिटी डिवेलेपमेंट मिनिस्टरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यह प्लान फारेस्टेशन का है या कम्युनिकेशन का है तो वहां से जवाब मिल जाता है कि यह दूसरी मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता है और इस को यह मिनिस्ट्री पूरा नहीं कर सकती है । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप प्लांस बनाते हैं उस वक्त आप पहाड़ी इलाकों का ख्याल नहीं रखते हैं जहां पर खर्च ज्यादा आता है एक ही सा काम करने के लिये । हमारे एक भाई ने कहा कि जब हर एक मर्ज के लिये एक ही दवा दी जाती तो वह मर्ज़ दूर नहीं हो सकती है । इस सब के बारे में एम० पीज़० ने एक रिप्रिजेंटेशन, पहाड़ी इलाकों के एम० पीज़० ने एक रिप्रिजेंटेशन भी किया था और आपकी प्लानिंग कमिशन ने वादा किया था कि उस के लिये कुछ न कुछ किया जायेगा, कुछ न कुछ इमदाद दी जायेगी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी आपके पास सिफारिश की है कि जो पंजाब के पहाड़ी इलाके हैं उनकी खास तौर पर मदद की जानी चाहिये लेकिन आज तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है । इस चीज़ को दो साल हो गये हैं । मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें ।

[श्री हेम राज]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । जो हमारा पहाड़ी इलाका है उसके मुकाबले में हिमाचल प्रदेश आधा है । उसकी आबादी ग्यारह लाख है तो मेरा जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है उसकी आबादी १८ लाख है । हिमाचल में छः करोड़ रुपया एक साल में खर्च किया जाता है तो हमारे पंजाब के इलाके के पहाड़ों में रहने वालों लोगों के लिये पूरे ५ साल में दो करोड़ रुपया ही खर्च किया जाता है । मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोगों पर एक साल में छः करोड़ रुपया खर्च किया जाता है क्योंकि वे भी पहाड़ी लोग हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां आप यह कहते हैं कि तमाम के तमाम जो रिजन हैं उनको बराबर की सतह पर आप लाना चाहते हैं वहां आपको यह भी ख्याल करना चाहिये कि जो कंटिगुअस एरियाज़ हैं उन में दो मुख्तलिफ किस्म का डिवेलेपमेंट जब आप करते हैं, तो बजाय इसके कि लोगों में सैटिसफैक्शन की भावना आये, डिससैटिसफैक्शन की भावना पैदा होती है । पहाड़ी इलाके की तरक्की करने के लिये पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि उसके पास इतना रुपया नहीं है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट की कुछ न कुछ मदद जरूर करे ।

एक और बात कह कर मैं समाप्त करता हूं । हिमाचल प्रदेश को भी एक डिससैटिसफैक्शन है । उसको जो टैरिटोरियल काउंसिल मिली हुई है, उसके कोई अखत्यारात नहीं हैं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २१ अप्रैल, १९५९/१ वैशाख, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

———

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २० अप्रैल, १९५९]

३० चैत्र, १८८१ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		५८०३—२७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९०७	विद्युत् इंजीनियरिंग गवेषणा केन्द्र .	५८०३-०४
१९०८	दिल्ली का चिड़ियाघर	५८०४-०५
१९०९	ऊन का उत्पादन . .	५८०५—०७
१९१०	भुवनेश्वर में कुक्कुट फार्म .	५८०७-०८
१९११	दिल्ली के गांवों में दूध की मात्रा . .	५८०८—१०
१९१३	तूतीकोरिन पत्तन का विकास . . .	५८११—१३
१९१४	कुण्डा जल-विद्युत् परियोजना .	५८१३
१९१५	तुंगभद्रा निम्नस्तरीय नहर योजना .	५८१४-१५
१९१७	वाइकिंग विमान	५८१५-१६
१९२०	इलाहाबाद के असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में ट्रेनिंग कोर्स .	५८१६-१७
१९२२	सड़क विकास योजना .	५८१७-१८
१९२४	मनीपुर में तुलिहाल हवाई अड्डा .	५८१८
१९२५	सीजन टिकट . . .	५८१९
१९२७	दिल्ली में बूचड़खाने . . .	५८२०
१९२८	सरकारी अस्पतालों में शिकायत पुस्तकें . .	५८२०-२१
१९२९	आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी . . .	५८२१—२३
१९३०	दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय . .	५८२३-२४
१९३१	जल व नाली बोर्ड . .	५८२४—२७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		५८२७—५८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९१२	मद्रास में वन लगाने के लिये सहायता . . .	५८२७
१९१६	पंजाब में सरई तथा शहतूत के पेड़ लगाना . .	५८२७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६१८	उड़ीसा में चीनी का कारखाना	५८२८
१६१६	हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील के लिये खाद्यान्न	५८२८
१६२१	पूर्वोत्तर रेलवे की वर्कशाप में आग	५८२८–२६
१६२३	केरल में चीनी का कारखाना	५८२६
१६२६	डम डम हवाई अड्डे पर तोलने का कांटा	५८२६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३२४६	उत्तर रेलवे में चोरियां	५८३०
३२४७	दिल्ली में ट्रामें	५८३०
३२४८	विभिन्न बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं में मजदूरों को सुविधायें	५८३०
३२४६	सवारी-डिब्बे	५८३०-३१
३२५०	चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना	५८३१
३२५१	पंजाब में खाद्य उत्पादन	५८३१
३२५२	डिपथीरिया	५८३१
३२५३	बम्बई में भूमि संरक्षण	५८३१–३२
३२५४	बम्बई में छोटी सिंचाई योजना	५८३२
३२५५	लाहौल और स्पिति क्षेत्र में डाक तथा तार कर्मचारियों का विशेष वेतन तथा भत्ता	५८३२–३३
३२५६	छोटे पत्तनों का विकास	५८३३
३२५७	गोदी श्रमिकों का कल्याण	५८३३
३२५८	राजस्थान नहर परियोजना	५८३४
३२५६	भटिण्डा से जामसर तक रेलवे लाइन	५८३४
३२६०	राजस्थान में सड़क विकास योजनायें	५८३४
३२६१	उत्तर प्रदेश में गोशालायें	५८३४–३५
३२६२	हिमाचल प्रदेश में आलू उत्पादक	५८३५
३२६३	कोयम्बटूर हवाई अड्डा	५८३५
३२६४	हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्न का सम्भरण	५८३५–३६
३२६५	सहकारी खेती समितियां	५८३६
३२६६	दामोदर घाटी निगम नौपरिवहन नहर	५८३६–३७
३२६७	हावड़ा स्टेशन पर भ्रष्टाचार	५८३७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर —(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३२६८	केन्द्रीय होमियोपेथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्	५८३७–३८
३२६९	चरखी दादरी स्टेशन पर पानी के नल	५८३८
३२७०	चंडीगढ़ में उड्डन क्लब	५८३८
३२७१	पर्यटन का संशोधित कार्यक्रम	५८३९
३२७२	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कोटा	५८३९
३२७३	नाविकों का कल्याण	५८४०
३२७४	रेलवे पर सिगनलिंग तथा दूर-संचार	५८४०
३२७५	सालन्दी जलाशय परियोजना, उड़ीसा	५८४०–४१
३२७६	रेलवे में चोरियां और बिना टिकट यात्रा	५८४१
३२७७	पूर्वोत्तर रेलवे पर जनता ट्रेन का देरी से चलना	५८४१–४२
३२७८	हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्र	५८४२
३२७९	राजस्थान नहर परियोजना	५८४२
३२८०	बम्बई में क्षयरोग रुजालय	५८४२–४३
३२८१	फिरोजपुर डिवीजन में स्टेशनों पर बिजली लगाना	५८४३
३२८२	परिवार नियोजन	५८४३
३२८३	पूर्व रेलवे में सुरक्षा संगठन	५८४४
३२८४	अलीपुर विकास खंड	५८४५
३२८५	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक और तार की सुविधायें	५८४५
३२८६	उत्तर प्रदेश में तिब्बत सीमा तक सड़कों का निर्माण	५८४५–४६
३२८७	छपरा में नगरपालिका जल संभरण व्यवस्था	५८४६
३२८८	हिमाचल प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र	५८४६
३२८९	खंडसारी उद्योग	५८४६–४७
३२९०	राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	५८४७
३२९१	रेलवे वकील	५८४७–४८
३२९२	चीनी (हिमाचल प्रदेश) में बाकटू कूल	५८४८
३२९३	हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की छोटी योजनायें	५८४८–४९
३२९४	रेलवे हाकी टीम	५८४९
३२९५	भाड़े की दरों में कमी	५८४९–५०
३२९६	हिमाचल प्रदेश में रेलवे आउट एजेन्सियां	५८५०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

३२९७	हिमाचल प्रदेश में फलों को डिब्बों में बन्द करना . .	५८५०
३२९८	हिमाचल प्रदेश का मत्स्य पालन विभाग . . .	५८५१
३२९९	हिमाचल प्रदेश में मछलियों को डिब्बों म बन्द करना .	५८५१
३३००	ब्रह्मपुत्र नदी में मछलियों का सर्वेक्षण . . .	५८५१–५२
३३०१	हिमाचल प्रदेश में क्षयरोग रुजालय . .	५८५२
३३०२	डाक सेवाएं	५८५२
३३०३	अंदमान और निकोबार द्वीपों में प्रकाशगृह .	५८५२–५३
३३०४	प्रकाश स्तम्भों के लिये फ्लैशर . .	५८५३
३३०५	बिजली से चलने वाले बरमे . .	५८५३
३३०६	खाद्यान्न रखने के गोदाम .	५८५३–५४
३३०७	मनीपुर में सहकारी समितियां . .	५८५४
३३०८	फीरोजपुर डिवीजन में नये स्टेशन .	५८५४–५५
३३०९	उत्तर रेलवे में स्टेशनों पर पानी के नल . . .	५८५५
३३१०	रेलवे स्कूल . . .	५८५५
३३११	चलती गाड़ी में बच्चों का पैदा होना .	५८५५–५६
३३१२	रेलवे में चोरियां . .	५८५६
३३१३	खाद्यान्नों का 'बफ़र' स्टाक	५८५६
३३१४	गेहूं का मूल्य	५८५६–५७
३३१५	जम्मू तथा काश्मीर से लकड़ी के स्लीपरों की खरीद	५८५७
३३१६	रेलवे पदाधिकारी . .	५८५७–५८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८५८–५९

(१) निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की ३० सितम्बर, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक की कालावधि में, कार्यान्विति के बारे में आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी की एक प्रति ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे सहित ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(३) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १—सातवां सत्र, १९५९

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ५—छठा सत्र, १९५८

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ९—पांचवां सत्र, १९५८

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १८—चौथा सत्र, १९५८

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २४—दूसरा सत्र, १९५७

(४) बम्बई पत्तन न्यास अधिनियम, १८७९ के अन्तर्गत दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४२५ की एक प्रति ।

(५) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा वर्ष १९५६-५७ के अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के विवरण की एक प्रति ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५८५९

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २३ मार्च, १९५९ को सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में, सभा-पटल पर रखीं :—

(१) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(२) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(३) दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

(४) संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५९ ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ५८६०

उनचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५८६०–६१

श्री हेम बरुआ ने १६ अप्रैल, १९५९ को इरोड जंक्शन पर कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना की ओर, जिस के फलस्वरूप कई व्यक्तियों को चोटें लगीं, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की मांगें ५८६१–८२

(१) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

विषय पृष्ठ

अनुदानों की मांगें—(क्रमशः)

(२) संसद्-कार्य विभाग, लोक-सभा, राज्य-सभा और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की अनुदानों की मांगें भी पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . . ५८८२—५९०४, ५९०५—१६

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि वित्त विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विधेयक पुरःस्थापित ५९०४–०५

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५९ ।

विधेयक पारित ५९०५

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात विधेयक पारित हुआ ।

मंगलवार, २१ अप्रैल, १९५९/१ वैशाख, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

वित्त विधेयक, १९५९ पर आगे विचार और उसे पारित करना ।